राष्ट्रधर्म

युगाब्द ५०८९, वि०सं० २०४४
श्रावण (अगस्त) १९८७

सुरक्षा और विश्वास के साथ अल्पसंख्यकों का विकास

उत्तर प्रदेश शासन का यह दृढ़ संकल्प है कि राज्य के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाये और उन्हें अपनी सामाजिक, आर्थिक उन्नति [illegible] के भरपूर अवसर प्रदान किए जाएं।

शासन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम एवं उपलब्धियां

- पुलिस, सेना में भर्ती के लिए अल्पसंख्यकों को चुनाव पूर्व [illegible] प्रशिक्षण की सुविधा। वर्ष १९८७-८८ में इस निमित्त ३.७० लाख रुपये व्य[illegible]य करने का प्रस्ताव। पुलिस में भर्ती के लिए चयन समितियों में अधिक प्रतिनि[illegible]धित्व।
- दो लाख रुपयों तक की औद्योगिक इकाई लगाने को इच्छुक अ[illegible]ल्पसंख्यक उद्यमियों को लागत का पचहत्तर प्रतिशत धन बैंकों के पास बतौर [illegible] जमान[illegible] के जमा करने के लिए ऋण देने की सुविधा। चालू वर्ष में ४ हजार [illegible] लो[illegible] को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- तेरह अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्था[illegible] का प्रस्ताव। इस पर लगभग ६५ लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना।
- [illegible]रिक्शा चलाने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के रिक्शा चालकों को रिक्शा सुलभ [illegible]ने की योजना। चालू वर्ष में १२०० रिक्शा चालकों को २१ लाख रुपये [illegible] कर लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- [illegible]ागों को सहायता देने के उद्देश्य से एक चिकन उत्पादन केन्द्र लखनऊ [illegible]पना का प्रस्ताव। चालू वर्ष में प्रबन्धकीय एवं अन्य प्रकार की सहा-[illegible]र १००० चिकन वस्त्र कर्मियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- [illegible]यक सद्भावना बढ़ाने के लिए एकीकरण समितियों का गठन।
- [illegible] आयोग की परिधि से बाहर के तीसरी व चौथी श्रेणी के [illegible]की हर चयन समिति में एक अल्पसंख्यक सदस्य रखे जाने का

[illegible]ाष्ट्रीय एकता का आधार
[illegible]ी भाईचारा और सद्भाव

[illegible] सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

आहत राष्ट्र

हरिप्रसाद मिश्र

राष्ट्र की शिराएँ टूट गयी हैं
भारतीय मनीषा की
अतलस्पर्शिणी चेतनाएँ
कहीं दुबकी पड़ी हैं
इसीलिए तो
पाञ्चजन्य के उद्घोष का गम्भीर स्वर भी
मन्द हुआ जा रहा है,
युग का दुर्योधन
अहंकार की गहरी चटकीली रेखाएँ
युग के विक्षत वक्षस्थल पर खींचता जा रहा है
युधिष्ठिर का धर्मस्यूत स्वरसमूह
काँपने लगा है
गाण्डीवी अर्जुन की दृष्टि
लक्ष्य-वेध में
'किन्तु' की भूमि पाने लगी है,
क्या होगा
आज के परिवेश का ?
आज की दानवी लीला की आयाम-भूमि का ?

—'प्रसाद-साहित्य-सदन'; नहरपुर,
महुलिया (सैदही); साकेत।

पाठकों के पत्र

जून अंक पढ़ा, हार्दिक प्रसन्नता हुई। श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर दिव्य, भव्य मंदिर बनाने का संकल्प हिन्दू समाज द्वारा लिये जाने की जानकारी केवल 'राष्ट्रधर्म' के माध्यम से मिल सकती है।

–देवेन्द्र कुमार एवं मदन सिंह
शाहाबाद, गुलबर्गा (कर्नाटक)

'राम जन्म भूमि अंक' बहुत ही लोकप्रिय रहा है। परन्तु यह शिकायत है कि फैज़ाबाद के जज की पुत्री के अपहरण से संबंधित लेख पूर्व अंक में विज्ञापित करने के बाद भी उसका समावेश क्यों नहीं किया गया।

(न देने की विवशता है—सामाजिक उत्तरदायित्व के कारण—सं०)

–जितेन्द्र सिंह चौहान
ग्रा० व पो० विनायकपुर
मैनपुरी (उ० प्र०)

'राम जन्म भूमि अंक' पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे पूरे आर्यावर्त में साक्षात राम का अवतार हो गया हो। हिन्दू समाज राम से प्रेरणा प्राप्त कर अधर्मियों एवं सत्ता के दलालों का रावण की तरह विनाश करेगा।

–राजकिशोर प्रसाद
बेतिया [म. प्र.]

राम जन्मभूमि विशेषांक हेतु बधाई। विशेषांक उत्कृष्ट है। पर कुछ कमियाँ अखरीं। पृष्ठ ३ पर प्रकाशित रचना यद्यपि बहुत सशक्त है परन्तु उसका शीर्षक 'बावरी मनीषा को' बहुत खराब लगा। कितना अच्छा शीर्षक होता—'राम जन्म भूमि तुम्हें टेरती है हिन्दुओ'।

तथैव, मुखपृष्ठ के पृष्ठ भाग पर बन्दर छाप तम्बाकू, पृष्ठ ८२ पर भालू छाप तम्बाकू तथा अन्तिम पृष्ठ पर भोला छाप जाफरानी पत्ती देखकर लगा कि कहीं तम्बाकू विशेषांक तो नहीं।

–कमलेश कुमार मौर्य
अधिवक्ता, विसवां, सीतापुर

[ध्यातव्य है कि शीर्षक 'बावरी मनीषा को' का सम्बन्ध बावर से नहीं बल्कि उस मानसिकता से है, जो बावरी [उन्मादग्रस्त] हो रही है—सं।

राम जन्म भूमि मुक्ति विशेषांक पढ़ा। जन्मभूमि के सम्बन्ध में तथ्यपरक बातें पढ़कर मन उद्वेलित हो उठा। यह-सोचकर दिल रो उठा कि राम जन्म

भूमि जैसे स्थान को भी मुसलमान मानने के लिये तैयार नहीं।

—विभूति रंजन सिंह 'वीर'
नयानगर बरकाकाना, हजारीबाग
[बिहार]

कवर में आकर्षक चित्र दें, पठन सामग्री में परिवर्तन करें, जिससे पाठकों में और अधिक रुचि पैदा हो।

—संतोष कुमार शर्मा
पिपलानी, भोपाल

श्रीराम जन्म भूमि-विशेषांक को एक बैठक में पढ़ गये। पढ़ते समय भोजनादि मेरा ध्यान नहीं खींच सके। इस अंक को निकाल कर आपने हिन्दुत्व की जैसी रक्षा की है, वह आपकी राष्ट्र, धर्म के प्रति समर्पित श्रद्धा का नमूना है।

—प्रकाश द्विवेदी
'मनोरमा प्रकाश निकेतन'
फैजाबाद

छपाई ठीक करें

जून के श्रीराम जन्मभूमि विशेषांक में छपे कुछ व्यक्तियों के चित्र स्पष्ट तो दूर, काले धब्बे होकर रह गये हैं। पुराना किसी युग का लेटर टाइप हर पंक्ति में अपने बुढ़ापे की कहानी कहता है। पता नहीं, पूज्य बाला साहेब के अति प्राचीन ब्लाकों से आपको इतना मोह क्यों है ? पत्रिका वास्तव में 'कादम्बिनी' स्तर की है, तदनुरूप इसको आकर्षक बनाइये। कला विभाग किसी को दीजिए और पुराने ब्लाकों से मोह भंग करें।

—हरि ओम
रा० स्व० संघ मेरठ महानगर प्रचारक

अंकों की छपाई में तथा दो रंगों की छपाई में सुधार आवश्यक है। रंगीन पृष्ठ पर अक्षर स्पष्ट नहीं दीखते। जून अंक में चित्र स्पष्ट नहीं।

—डॉ० एल०जे०हर्षे
जबलपुर

पूरे पेज पर रंग छपाकर उस पर काली स्याही से छापना सुन्दर नहीं लगता। आषाढ़ अंक पेज ६७, ८२, ८१, ६६, ७० देखें डबल कलर तो फाइन आर्ट पेपर पर फाइन प्रिंटिंग से जँचता है। यदि अच्छी छपाई हो, तो केवल काली स्याही बहुत ठीक है

—नमी चन्द सिंघवी
नागौर [राजस्थान]

'राष्ट्रधर्म' का जून-'८७ अंक देखते ही मन सात्विकता से भर उठा। श्रीराम जन्म भूमि पर आपने इतनी दुर्लभ सामग्री जुटाकर एक तेजस्वी कीर्ति-स्तम्भ स्थापित किया है। पत्रिका दिनानुदिन राष्ट्र और राष्ट्रीयता की सजग प्रहरी बनती जा रही है। संपादकीय तो पत्रिका का प्राण ही होता है, इतने कुशल संपादन के लिए भूरिशः बधाई !

—भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'
अकबरपुर, फैजाबाद

सम्पादक
वीरेश्वर द्विवेदी

लेख

वर्ष-२४ अंक-३

अगस्त १९८७

युगाब्द ५०८९

राष्ट्रधर्म

संस्कृति भवन

राजेन्द्र नगर लखनऊ-४

दूरभाष : ४२९०१

कविताएँ

कथा, संस्मरण तथा व्यंग्य

पंजाब की धरती को रक्त-रंजित करने के बाद खालिस्तानी आतंकवाद के शिकंजे ने अब हरियाणा को भी धर दबोचा है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में लालडू में किया गया नर-संहार अब तक का सबसे काला अध्याय है। इस संबंध में 'स्वतंत्र भारत' में प्रकाशित श्री अनुपम मिश्र का लेख इतना उपयुक्त है कि सम्पादकीय विचार अलग से देने की विशेष आवश्यकता अनुभव नहीं हो रही है—सं०

६ जुलाई की रात। यात्रियों से भरी हरियाणा रोडवेज की बस ऋषिकेश जा रही है। रात के सन्नाटे को चीरती हुयी यह बस चण्डीगढ़ से करीब बीस किलोमीटर दूर पंजाब के पटियाला जिले में लालडू के पास पहुँचती है, तभी एक कार बस के आगे आकर खड़ी हो जाती है; कार से पाँच युवक उतरते हैं वे बस-चालक को उतारकर बस को एक सुनसान सड़क पर ले जाते हैं और फिर होने लगती है गोलियों की बौछार। देखते ही देखते समूचा वातावरण गोलियों की आवाजों और चीख-पुकार में डूब जाता है। लोगों की लाशें बिछने लगती हैं। करीब ४० बस-यात्री मौत की नींद सुला दिये जाते है, तीस से ऊपर घायल

कैसे मन के घाव भरेंगे

होकर तड़फड़ाते रहते है। इन बेगुनाहों में स्त्रियाँ भी होती है और मासूम बच्चे भी। ये गिड़गिड़कर प्राणों की भीख माँगते हैं, किन्तु आतंकवादियों की दरिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अपने राक्षसी कारनामों पर अट्टहास करते वे अंधेरे में गायब हो जाते हैं।

७ जुलाई की रात। हरियाणा के हिसार जिले का एक सुनसान क्षेत्र। फतेहाबाद से १० किलोमीटर दूर, पंजाब के भटिंडा जिले से सटा हुआ दरियापुर। हरियाणा रोडवेज की ही एक बस हिसार से चलती है। बस की प्रतीक्षा में पहले ही खड़े आतंकवादी उसे रोकते हैं और बसयात्री मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। फिर खून से लथपथ और चीखपुकारो की गूंज से भरी वह बस आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक दूसरी बस हिसार की तरफ से आती है,

सम्पादकीय

जो सिरसा जा रही होती है। उसे भी रोक लिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है हिंसा का तांडव। आतंकवादियों की स्टेनगनें तड़तड़ाती है, गिड़-गिड़ाते प्राणों की भीख माँगते, रोते-कलपते यात्रियों की लाशें बिछने लगती हैं। रात का सन्नाटा मर्मभेदी चीखों से तार-तार हो जाता है। तारकोल की स्याह सड़क रक्तरंजित हो उठती है। हत्यारे बेगुनाह लोगों के कत्ल के बाद उनसे लूटे हुए माल; असबाब के साथ फरार हो जाते हैं, अपनी-अपनी स्टेनगनें हवा में चमकाते हुए और कम से कम ७४ लोग कुत्ते की मौत मार डाले जाते हैं।

ये दोनों घटनाएं २४ घण्टों के अन्दर ही घटती है। लगता है कि यह देश अब कुल मिलाकर एक जंगल ही रह गया है, जहाँ आदमी की हैसियत जानवर जितनी भी नहीं रह गयी है और उसकी हत्यायें कुछ मुट्ठी भर लोगों का शगल बन गयी हैं। इस समय समाज में जंगल का वह कानून भी लागू नहीं होता, जो जानवरों के शिकार को प्रतिबन्धित करता है। आधुनिक हथियारों से लैस कुछ सिरफिरे नौजवान किसी भी समय, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और खून की होली खेलकर कानून, व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते उस पर अट्टहास करते निकल

ऐसी कुछ तदबीर करें

जाते हैं। फिर शुरू होती है सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा, सुरक्षा के नये वायदे और लफ्फाजी का सिलसिला।

आतंकवादियों ने केन्द्र और राज्य सरकार की सुरक्षा-मशीनरी को किस कदर बौना कर दिया है, इसका अंदाज मात्र इतने से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों ५२० लोगों की हत्यायें की गयीं और इसी ३० जून तक कुल ३६४ लोग मारे गये। इस अवधि में मारे गये आतंकवादियों की संख्या १२६ रही, जबकि पुलिसकर्मियों की संख्या ४१। आतंकवादियों ने केवल जनसाधारण को ही गोली का निशाना नहीं बनाया, वरन् अतिविशिष्ट व्यक्ति तक उनके शिकार हुये। आखिर यह सिलसिला कब और कहाँ जाकर रुकेगा ?

बताया जाता है कि लालडू नरसंहार उन आतंकवादियों ने किया है, जो हाल ही में पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर लौटे हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर जो दस्ते हाल ही में आये हैं; उनमें १२० आतंकवादी हैं। पिछले दिनों दिल्ली की पांश कालोनी में मारकाट मचाने वाले भी इसी दस्ते के लोग थे। शर्मनाक बात तो यह है कि इस दस्ते के बारे में भारत सरकार को गत १० जून को ही इन्टरपोल तथा अपनी गुप्तचर एजेंसियों के जरिए सूचना दी जा चुकी थी कि आतंकवादियों के नये दस्ते पाकिस्तान से शिक्षण लेकर भारत में घुस आये हैं, जिनका इरादा पंजाब और राजधानी में नरसंहार का तो है, ही कुछ बड़े नेताओं की हत्या का भी है। इस सूचना की पुष्टि एक आतंकवादी पृथ्वी सिंह ने भी कर दी थी, जिसे राजस्थान की सीमा पार करते समय सुरक्षा बलों ने पकड़ा था। पृथ्वी सिंह ने बताया था कि दिल्ली में दो नेताओं की हत्या की योजना है और ये हत्यायें आधा किलोमीटर दूर से भी की जा सकती हैं। इन सूचनाओं के बाद और खुफिया एजेंसी के 'रेड एलर्ट' के

खूनी दस्तावेज मिटाकर

बावजूद १३ जून की रात को ग्रेटर कैलाश में आतंकवादियों ने हत्यायें कर राजधानी के समूचे प्रशासनतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है। इस हादसे के बाद भी देश के लिजलिजे सुरक्षातंत्र की आँखे नहीं खुलीं और ७४ बेगुनाहों की जानें क्रूरतापूर्वक ले ली गयीं।

आतंकवादियों ने हरियाणा को पहली बार निशाना बनाया है। उनके हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही हत्याकाण्ड पंजाब और हरियाणा की सबसे व्यस्त एवं मुख्य सड़कों राष्ट्रीय राजमार्ग नं० १ और राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-१० पर हुये। पंजाब-पुलिस को गुप्तचरों ने एक सप्ताह पहले इस तरह के हादसे की संभावना का संकेत दे दिया था, किन्तु आला अफसर अपने इन्तजाम के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे। कुछ सूत्रों के अनुसार पुलिस को चकमा देने के लिए आतंकवादियों ने इस संहार से पूर्व ही पुलिस के इर्द-गिर्द एक जाल बुन दिया था। उन्होंने अपने खुफियातंत्र से पुलिस के पास यह झूठी

सूचना भिजवा दी थी कि आतंकवादी दिल्ली से जम्मू जाने वाली बस का अपहरण करने वाले हैं। इस तरह वे पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ बंटाने में कामयाब हो गये। पुलिस ने अपना पूरा ध्यान दिल्ली-जम्मू से बाहर केन्द्रित रखा और उधर आतंकवादियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया।

इससे भी अधिक लापरवाही हरियाणा-पुलिस ने दिखाई, जब ६ जुलाई की रात में हरियाणा की सीमा से सटे क्षेत्र में ४० बस-यात्री मार डाले गये, तब भी उसने कोई एहत्तियाती कार्यवाही नहीं की। अब पुलिस इस प्रश्न का उत्तर खोज रही है कि लालडू और दरियापुर के आतंकवादी दस्ते एक ही थे या अलग' अलग। कुछ सूत्रों का कहना है कि एक ही थे, जबकि कुछ का कहना है कि लालडू नरसंहार से पूर्व ही आतंकवादियों का एक दस्ता हरियाणा में घुस चुका था।

इस नरसंहार की जबर्दस्त प्रतिक्रिया पूरे देश में हुयी। राजधानी दिल्ली-सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र के दो

भारत की तकदीर गढ़ें

दर्जन शहरों में हिंसक वारदातें हुई, जिनमें कई लोगों की जाने गई और लाखों लोगों की सम्पत्ति नष्ट हुयी। देश के कई नगरों में पूर्ण बन्द करवाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया।

नर-संहार की इन घटनाओं के कारणों को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि लालडू नरसंहार अकाल तख्त के कार्यवाहक मुख्यग्रंथी जत्थेदार दर्शनसिंह रागी को धमकाने के मकसद से लालडू गांव मे किया गया, क्योंकि प्रो० रागी तथा उनके प्रभाव में रहने वाले कुछ आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर में केन्द्र सरकार से बातचीत करना स्वीकार कर लिया था, जो खालिस्तान के समर्थकों को बुरा लगा तथा उनके ऐसा करने से उन्हें पाकिस्तान ने आतंकवादियों को मदद न देने की धमकी भी दी थी।

(शेष पृष्ठ २३ पर)

देश को धता बताकर

विजयकुमार मिश्र

विगत २१ जून की वह काल रात्रि ! प्रधानमन्त्री राजीव गांधी अपने निवास स्थान पर घबराई हुयी मुद्रा में बैठें आसन्न विपत्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी दून स्कूली टोली भी, जिसके सदस्य राजीव जी की छत्रछाया में लखपति ही नहीं करोड़पति बन चुके थे, सहमे कबूतर की तरह बैठे अपने सर्वनाश की राह देख रहे थे। उनमें से बहुतेरों का करोड़ों रुपया स्विस बैंकों तथा अन्य विदेशी बैंकों में जमा है। उनमें से कुछ ऐन वक्त पर राजीव गांधी को दगा देकर उनके विरोधियों से साठगाँठ कर लेने की तरकीबें सोच रहे थे। कुछ विदेश भाग जाने का उपक्रम कर रहे थे।

जिस आसन्न विपत्ति ने इन लोगों के औसान खताकर रखे थे, वह प्रधानमन्त्री को अपने गुप्तचरों से मिली यह सूचना थी कि उस रात को राष्ट्रपति जैलसिंह राजीव जी और उनकी सरकार को बर्खास्त करने का आदेश निकालने वाले थे। उनके सौभाग्यवश राष्ट्रपति ने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला बल्कि एक वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं और जब तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत है, तब तक उसकी सरकार को बरखास्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति जैलसिंह अपने कार्यकाल के अंतिम मास में कदाचित ऐसा नहीं करना चाहते थे।

किन्तु दून स्कूली टोली आश्वस्त नहीं हुयी। उसे आशंका थी कि यदि जैलसिंह दोबारा चुन लिये गये, तो जो काम वे अपने प्रथम कार्यकाल के अन्तिम मास में नहीं करना चाहते थे, उसे दूसरे कार्यकाल के प्रथम मास में आसानी से कर गुजरेंगे। उन दिनो काफी चर्चा थी कि श्री जैलसिंह को पुनः चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और वे भी तैयार हैं, क्योंकि सम्पूर्ण विपक्ष उनको समर्थन करने का वचन दे रहा है और कांग्रेस सांसदों तथा विधायकों की एक बड़ी संख्या भी उनका समर्थन कर देगी। इसकी पुष्टि गुप्तचर सूचनाओं से भी हो रही थी। राजीव गांधी ने भी इस नये खतरे की अहमियत को समझा।

तब उन्होंने देश को धता बताकर सोवियत नेताओं की शरण ली और मास्को से फरमान पाकर दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां, यथा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट

रूस की गोद में !

पार्टी विपक्ष के साथ दगाबाजी कर बैठीं। उन्होंने श्री जैलसिंह का समर्थन करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का बहुमत है तथा संसद में भी उनकी बड़ी संख्या है। उनके समर्थन के अभाव में श्री जैलसिंह के लिए चुनाव लड़ना कठिन हो जाता। कम्युनिस्टों ने ब्लैकमेल (भयादोहन) से काम लिया और जस्टिस कृष्ण अय्यर को विपक्ष का उम्मीदवार बनाने के लिये उसे प्रेरित कर लिया। केवल भारतीय जनता पार्टी उनके झांसे में नहीं आई और उसने जस्टिस अय्यर का समर्थन करने से इनकार करके तटस्थ रुख धारण कर लिया। जस्टिस अय्यर ने बाद में कहा कि कम्युनिस्टों ने मुझे झूठा आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी मुझे मिलेगा, अन्यथा मैं उम्मीदवारी स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार एक दूसरे देश की सहायता से राजीव ने राजनीतिक साख बचाने की चेष्टा की।

बहरहाल, श्री राजीव गांधी द्वारा नामित श्री व्यंकटरामन चुनाव जीतकर राष्ट्रपति हो गये। जिन लोगों को मुगालता था कि व्यंकटरामन स्वाभिमानी राष्ट्रपति सिद्ध होंगे और स्वविवेक से काम करेंगे, उनकी उम्मीद उस समय मिट्टी में मिल गयी, जब अपनी जीत की खुशी में वक्तव्य देते हुए नये राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा में जब तक राजीव गांधी का बहुमत है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें प्रधानमन्त्री पद से हटा नहीं सकती। यह तो सभी जानते हैं कि बहुमत धारक प्रधानमन्त्री को सामान्यत: अपदस्थ नहीं किया जा सकता है। परन्तु जो प्रधानमन्त्री बहुमत के घमण्ड में संविधान को निरन्तर अंगूठा दिखाता जाए, उसे बर्खास्त करना राष्ट्रपति का पावन कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही संविधान का संरक्षक है।

कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति का चुनाव जीत कर राजीव गांधी के हौसले में कुछ बुलन्दी आई और गालों पर लालिमा भी छाई। अपने विरोधी कांग्रेस जनों को भयभीत करके जबरन अपना अनुचर बनाने के लिए उन्होंने तीन भूतपूर्व मन्त्रियों और प्रमुख सांसदों, यथा, विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू, और आरिफ मोहम्मद खाँ को कांग्रेस से निकाल दिया। यह तानाशाही की पराकाष्ठा थी और कांग्रेस संविधान के प्रतिकूल कृत्य था, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष आपात स्थिति में किसी कांग्रेसजन को निलम्बित तो कर सकता है, निकाल नहीं सकता, जिसका अधिकार

केवल कांग्रेस कार्य समिति को है। यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हैं, खुद ही अध्यक्ष बन बैठे हैं।

उनका यह तानाशाही कदम नैस-र्गिक न्याय के विपरीत भी है। जिन-तीन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को निष्का-सन का दण्ड दिया गया है, उनसे न तो कैफियत तलब की गयी, न उनकी सफाई सुनी गयी। बस पुराने नवाबों की तरह हुक्म सादिर फरमा दिया गया कि 'मुये को शहर से [यहाँ पार्टी से] बाहर निकाल दो।' श्री राजीव गांधी बैठक में इन्हीं छोकरों तथा कुछ अति चापलूस राजनीतिज्ञों एवं अफसरों की राय से करते हैं। आम कांग्रेस जनों से सम्पर्क नहीं करते और उनकी नीतियों की विफलता का यह भी एक कारण है।

इन तीन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के अवैध एवं अनियमित निष्कासन पर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजपूती रक्त खौल उठा। मृदुभाषी और अतिसंयमित वी० पी० सिंह अपना रोष अप्रकट नहीं रख सके और उन्होंने कांग्रेस से तथा उसके टिकट पर चुने जाने के कारण राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। यह

यह तानाशाही की पराकाष्ठा थी और कांग्रेस संविधान के प्रतिकूल कृत्य था, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष आपातस्थिति में किसी काग्रेसजन को निलम्बित तो कर सकता है, निकाल नहीं सकता, जिसका अधिकार केवल कांग्रेस कार्यसमिति को है। यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हैं, खुद ही अध्यक्ष बन बैठे हैं।

राजनीति में कोरे हैं और कांग्रेस परम्प-राओं से अनभिज्ञ हैं। वे अपने दून स्कूली छोकरों की राय पर चलते हैं। विद्याचरण शुक्ल का यह आरोप गलत नहीं है कि राजीव गांधी अधिकांश राज-नीतिक और सांगठनिक निर्णय अपनी उल्लेखनीय है कि राजीव ने श्री सिंह को वित्तमन्त्री पद से अमिताभ बच्चन के कहने पर हटाया था, जो स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा काले धन का पता लगा रहे थे। और अमिताभ को उससे प्रत्यक्ष खतरा था। श्री राजीव गांधी ने

समझ में नहीं आता ! यह 'यसमैन' 'नो-मैन' कैसे बन गया—राजीव

कांग्रेस से वी० पी० सिंह का इस्तीफा मंजूर नहीं किया और राज्यसभा से उनका त्यागपत्र भी उसकी उपाध्यक्ष श्रीमती पाटिल को नहीं भेजा। उलटे उनके इशारे पर अमिताभ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को तुष्ट करने की चाल थी। परन्तु श्री सिंह ने कहा कि मैंने जनजागरण का जो अभियान आरम्भ किया है, उसे उद्देश्य की उपलब्धि तक जारी रखूंगा। वास्तव में श्री राजीव गांधी को आशंका है कि श्री सिंह को बहुत कुछ मालूम है और वे उनकी कलई किसी भी समय खोल सकते हैं।

सर्वश्री जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चरण सिंह तथा श्रीमती इंदिरा गांधी में से किसी पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बेईमानी के आरोप नहीं लगाये गए श्री राजीव गांधी देश के पहले प्रधानमन्त्री हैं, जिन पर ये आरोप लगाये ही नहीं गये, प्राग्दर्शन से उन्हें सिद्ध भी कर दिया गया है, जिसका बहुत कुछ श्रेय प्रमुख न्यायविद राम जेठमलानी को है। फेयर-फैक्स तथा बोफोर तोप काण्डों में ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि विमानवाहक युद्धपोत 'हरमीज' की खरीद में भी कमीशन लिया गया। वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों की खरीद में भी ऐसा ही घपला हुआ। [राजीव जी के कारनामों की पूरी

(शेष पृष्ठ ३१ पर)

शहीद की समाधि पर झूठे

राजेश पाठक 'प्रवीण'

एक साक्षात्कार के दौरान माँ बेटीबाई ने भरी आँखों से अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए कहा-'मेरे बेटे ने छाती पर गोली खाई, पीठ पर नहीं। वह तो शहीद हो गया, लेकिन उसकी शहादत का कभी सच्चा सम्मान नहीं हुआ। प्रतिवर्ष १४ अगस्त को बड़े-बड़े नेता मेरे बेटे की समाधि स्थल पर आकर लम्बे-चौड़े भाषण दे जाते हैं। कोई कहता है शहीद गुलाबसिंह को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जायेगा। कोई घमण्डी चौक, जहाँ पर मेरा बेटा शहीद हुआ था, का नाम गुलाबसिंह चौक रखने का आश्वासन दे जाता है। कोई समाधि स्थल पर मेरे बेटे की प्रतिमा स्थापना का झाँसा दे जाता…। परन्तु १४ अगस्त के बाद फिर कोई मुड़कर भी मेरी खबर नहीं लेता और न ही उन आश्वासनों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। मुझे सर्वाधिक दुख है कि शहीद की समाधि स्थल पर बड़े-बड़े नेतागण झूठ बोलते हैं। विगत अनेक वर्षों से यही नाटक चल रहा है। समाधि-स्थल पर जो नेता मेरे चरण छूते हैं यही बाद में मुझे झिड़क देते हैं। सारी दुनियाँ में प्रदर्शन का नाटक रचा जा रहा है। सब कोई अपने-अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। जिन्होंने बास्तव में भारत माँ के लिए अपना रक्त बहाया, उनका परिवार आज दाने-दाने को मोहताज है और जो मैदान छोड़कर भाग गए थे उन्हें आज सम्मानित किया जाता है। उनकी बिल्डिगें बन गई हैं। बेटा राजेश, मैं किसी से धन नहीं मांगती, मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि बड़े-बड़े नेतागण मेरे बेटे की समाधि स्थल पर जाकर लम्बे चौड़े आश्वासन न दिया करें…समाधि स्थल पर झूठे संकल्प नहीं लिया करें…।'

इतना कहते-कहते शहीद की माँ बेटीबाई की आँखों से आँसू टपकने लगे। मैंने वातावरण की नमी को शांत करते हुए विदा ली…।

शहीद गुलाबसिंह तो अपना कर्तव्य पालन करते हुए अमर हो गये, परन्तु प्रश्न है कि हमने इस शहीद के लिए क्या किया ? प्रदेश की तो छोड़िये, जबलपुर के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गुलाबसिंह की शहादत से परिचित हैं ? शहीद की माँ बेटीबाई जिस तरह घुट-घुटकर जीवन जी रही हैं, यह स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए शर्म की बात है। जो वास्तव में माँ भारती के लिए जिये और

संकल्प क्यों ?

बलिदानी मातृत्व

शहीद हुए, उनके परिवार की दयनीय स्थिति हमारी अमानवीय प्रकृति और जर्जर व्यवस्था तंत्र का नमूना है।

शहीद गुलाबसिंह का घर आज भी जबलपुर के गोरखपुर मोहल्ले में स्थित है। गुलाबसिंह के शहीद होने के उपरान्त पिता लक्ष्मण दास ज्यादा नहीं जी सके। माँ बेटीबाई ने संघर्ष करके चारों बच्चों की परवरिश की। माँ बेटीबाई की उम्र लगभग ८० वर्ष है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। शहीद की माँ दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, कभी-कभी तो उन्हें दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती।

गुलाबसिंह जबलपुर में मोहल्ला गोरखपुर के निवासी श्री लक्ष्मण दास पटेल एवं बेटीबाई की सबसे बड़ी संतान थे। बचपन से ही निर्भीक. हठी और दृढ़ संकल्पी गुलाबसिंह का मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम था।

सन् १९४२ में 'भारत छोड़ो आंदोलन' के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष छिड़ा था, भला फिर जबलपुर कैसे अछूता रह जाता। जबलपुर में भी अंग्रेजी सत्ता के विरोध में आम सभाएँ और रैलियों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी था।

घटना अगस्त १९४२ की है। तब गुलाबसिंह की उम्र मात्र १६ वर्ष की थी और वह महाराष्ट्र हाई स्कूल में आठवीं के विद्यार्थी थे। गुलाबसिंह दोपहर में स्कूल से हाँफते-हाँफते घर आये, अपना बस्ता एक ओर फेंका और माँ से बोले—'अम्मा ! आज हम लोग तलैया जा रहे हैं, मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को एकत्रित कर लिया है। तलैया से हम लोग जुलूस किकालेंगे और नारे लगायेंगे—'अंग्रेजो भारत छोड़ो···भारत छोड़ो···'

जब मौत भी उसे नहीं रोक सकी

माँ गुलाब को समझाती ही रह गई कि शहर में गोलियाँ चल रही हैं, तू छोटा है, आगे-आगे मत हो। लेकिन

मौत भी जिसे नहीं रोक सकी

गुलाबसिंह ने माँ का कथन अनसुना करके दौड़ लगा दी।

गुलाबसिंह अपने मित्रों को एकत्रित करते हुए श्रीनाथ की तलैया पहुंचा। यहाँ से सभी युवा छात्र जिनकी उम्र १३ वर्ष से १७ वर्ष के मध्य ही होगी एक जुलूस के रूप में आगे बढ़ने लगे। इन युवा छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा था गुलाबसिंह। सभी छात्रों के हाथों में तिरंगा झन्डा था। चेहरे पर जोश और संकल्प के प्रति समर्पण था। गुलाबसिंह के नेतृत्व में युवक छात्र नारे लगाते आगे बढ़ने लगे, 'खून भी देंगे, जान भी देंगे भारत माँ को स्वतंत्र रखेंगे।' युवकों का जुलूस श्रीनाथ की तलैया से कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा तभी नगर पुलिस द्वारा उन्हें रोका जाने लगा। किन्तु युवकों के उत्साह के आगे पुलिस की रोक-टोक फीकी पड़ गई। गुलाबसिंह सफेद टोपी लगाये टोली में सबसे आगे-आगे चल रहा था। वह नारे लगाता और उसके साथी नारों को दुहराने लगते...।

जुलूस किसी तरह घमण्डी चौक तक ही पहुँचा होगा कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया। लाठी चार्ज के बाद भी युवक गुलाब नारे लगाता गया—'अंग्रेजो ! भारत छोड़ो...भारत छोड़ो' का स्वर अभी पूरा भी नहीं हो पाया था कि नगर पुलिस की एक गोली सनसनाती हुई गुलाबसिंह के सीने के पार हो गई...। गुलाब वहीं गिर गया उसके साथी छात्रों में हड़कम्प मच गई-'गुलाब भैया को गोली लग गई...।'

किसी तरह गुलाबसिंह को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल पहुँचाया गया। देखते ही देखते सम्पूर्ण शहर में तनाव व्याप्त हो गया और विक्टोरिया अस्पताल में आने जाने वालों का ताँता लग गया जिसे देखो वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोषित था, मगर विवश भी।

कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के उपरान्त १४ अगस्त '४२ को गुलाब सिंह सदा-सदा के लिए माँ भारती की गोद में सो गया। यह संयोग ही है कि १४ अगस्त १६२६ को गुलाबसिंह का जन्म हुआ और १४ अगस्त १६४२ को शहीद हुआ।०

—१५७, फूटाताल, जबलपुर

'रो रहे' बुद्ध और महावीर

यदि विहार का नाम 'विहार' पड़ने का कारण महात्मा बुद्ध का वहाँ अतिशय विहार करना है, तो आज की दारुण स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि वहाँ एक और 'बुद्ध' की आवश्यकता है।

अभी हाल ही में २६ मई को औरंगाबाद जिले के दक्षिण-पश्चिमी अंचल में स्थित दलेलचक और बघौरा ग्रामों में हिंसात्मक तांडव का एक नया एवं जघन्य अप-कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इन ग्रामों में जातीय विद्वेष की आग का ऐसा भयावह रूप दिखाई दिया है, जिसमें हत्यारों ने कथित रूप से ५४ लोगों की नृशंस हत्याएँ की हैं। जमींदारों ने येन-केन प्रकारेण अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए सेनाएँ बना रखी हैं, जिनमें अराजक तत्व, गुण्डे तथा क्रूर हत्यारे नियुक्त हैं। परिणामत: हत्या-व्यवसाइयों का धन्धा जोरों पर है। भय और आतंक उत्पन्न करने के लिए क्रूरतम तरीके अन्वेषित किए जा रहे हैं। बदले की कार्यवाहियों को भीषणतम बनाया जा रहा है।

इस हत्याकांड से एक सत्य स्पष्ट है कि बिहार में जातिवादी बदला लेती हुई इन सेनाओं ने जिस अमानवीय संवेदनहीनता का परिचय दिया है, वह प्रांत और केन्द्र सरकारों के लिए चिन्ता का विषय है। इस हत्याकांड में अबोध बालकों को भी नहीं छोड़ा गया, स्त्रियों को भी नहीं बख्शा गया तथा पालतू पशुओं पर भी दया नहीं की गई। यद्यपि हत्यारों के पास आग्नेयास्त्र थे, परन्तु उन्होंने गोलियाँ नहीं चलायीं, बल्कि बदले को भीषण रूप देने के लिए ग्रामवासियों को घेर लिया गया तथा उन्हें धारदार अस्त्रों से काटकर तड़पती हुई अवस्था में ही जलती हुई आग में फेंक दिया गया। लोगों को उनके घरों में ही बन्द कर आग लगा दी गई, जिसने भी बचकर निकल भागना चाहा उसे काट-पीटकर जबरन आग में झोंका गया।

वैसे बिहार में पिछले दस वर्षों से सामूहिक हत्याकांड एक सामान्य बात हो गई है। इस श्रृंखला की पहली भयावह कड़ी है बेलछी का हत्याकांड। इस कांड में ११ लोगों को रस्सी से बांधकर एक मैदान में ले जाकर गोलियों से भूना गया तथा उसी हताहत दशा में एक-एक को प्रज्ज्वलित अग्नि में फेंक दिया गया था। इस कांड में जब एक हरिजन ने आग से निकल भागने का प्रयास किया तो उसका सिर तराशकर उसे पुन: आग

के हवाले किया गया।

दूसरा लोमहर्षक सामूहिक हत्याकांड १४ अगस्त १९७८ को तब घटित हुआ, जब टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कं० जमशेदपुर के लौह-अवशिष्ट कचरे के ढेर को साफ करने वाले ठेकेदारों के गुण्डों ने कोयले और लोहे के टुकड़े बीनने वाले गरीब आदिवासियों पर धावा बोला। ये आदिवासी केवल वही टुकड़े बीनते थे जिन्हें ढेर से अलग करके फेंक दिया जाता था। इस कांड में १४ आदिवासियों को पकड़कर सुवर्णलेखा नदी में ले जाकर डुबो दिया गया। इस जघन्य कांड की बलि चढ़ने वाले लोगों में एक १२ साल का बालक तथा तीन स्त्रियां भी शामिल हैं, जिसमें एक स्त्री गर्भवती थी। ऐसे जघन्य आतताई शासन की पकड़ से दूर रहे। कानून के लम्बे हाथ उन तक न पहुँच सके।

दिल दहला देने वाले ऐसे कांडों में अगली भीषण शृंखला जुड़ी २ फरवरी १९८० को हुए पारसवीघा कांड के रूप में। इसमें पारसवीघा नामक ग्राम के पिछड़ी जातियों के १४ लोगों पर आपदा टूटी। उन्हें जीवित ही भून दिया गया। घटना इस प्रकार है। एक बार एक चांदनी रात में जब सभी ग्रामवासी बेखबर थे, भाड़े के गुण्डे आग्नेयास्त्रों से लैस होकर तूफान की तरह गाँव में घुस पड़े। घरों के दरवाजों को पूरी तरह कीलें ठोंक कर जकड़ दिया गया। बाहर से बन्द करने के बाद ग्रामवासियों के घरों में आग लगा दी गयी। इसमें १४ लोग अपनी सम्पत्ति सहित स्वाहा कर दिए गए। इस घटना का शिकार होने वालों में ७ स्त्रियाँ और २ बच्चे भी थे। अन्य कांडों की तरह इस कांड को भी सरकार के ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।

अगली कड़ी थी ६ सितम्बर १९८० को गुआ नामक ग्राम में हुई २५ आदिवासियों की निर्मम हत्या। ये आदिवासी अपने अन्य गिरफ्तार साथी आदिवासियों को छोड़ दिए जाने की माँग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने हुक्म पाया तथा वफादारी का आदर्श प्रस्तुत करते हुए २५ आदिवासी प्रदर्शनकारियों को गोलियों से छलनी कर दिया।

इसके बाद झानी नामक ग्राम में स्त्रियों और बच्चों सहित ६ हरिजनों की निर्मम हत्या जमींदार के मुस्टण्डों ने की। २७ जून १९८२ को हुए इस कांड में भूमिहीन श्रमिक अपना वेतन बढ़ाए जाने की माँग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे; बस; जमींदार का कोप फट पड़ा। गाँव में आग लगा दी गई तथा आवाज उठाने वाले को टुकड़े-टुकड़े कर आग की लपटों में झोंक दिया गया।

अब इस कटु सत्य में कोई मतभेद नहीं है कि बिहार की पुलिस अपनी दरिन्दगी के लिए कुख्यात हो चुकी है। इसका एक उदाहरण है ६ जून १९८३ को घटित आदिवासियों की हत्या। पुलिस ने अपनी जीप से ५ आदिवासियों

को बांधकर १०० मीटर की दूरी तक घसीटा, फिर उन्हें कोड़ों से पीटा गया। उनमें से एक तो घटनास्थल पर ही मर गया था। ये आदिवासी श्रमिक अपनी मांगों को लेकर टिस्को अधिकारियों से मिलना चाहते थे, और पुलिस उन्हें मिलने नहीं देना चाहती थी।

इसके पश्चात ४ जून १९८४ को मुंगेर के पिपरिया गांव में १४ किशोरियों का अपहरण कर लिया गया तथा उन्हें धानुक जाति के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया।

इसी प्रकार मार्च १९८४ में यादवों तथा हरिजनों को मिलाकर ८ किसानों को उस समय गोली से उड़ा दिया गया, जब पटना जिले के लासोना गाँव में एक कुर्मी जमींदार तथा नक्सलियों के मध्य संघर्ष हुआ। इससे पूर्व एक कुर्मी जमींदार की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गयी थी। उसी का बदला लेने के लिये यह कांड घटित हुआ। मृत युवा जमींदार बिहार में जमींदारों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए गठित 'भूमिसेना' का कार्यकर्ता था। अतः 'भूमिसेना' के लोग फौरन झपटे तथा यह जघन्य कांड घटित कर दिया।

इसी कड़ी में १९ अप्रैल १९८५ को साहिबगंज जिले में वांझी ग्राम में पुलिस द्वारा १९ आदिवासियों को गोली से उड़ा दिए जाने की घटना भी भुलायी नहीं जा सकती। इसके बाद १० तथा १४ मई १९८५ को जातिवादी रंग में

आओ फिर से हे महावीर !

रंगा हुआ एक राजनीतिक बदला लिया गया; जिसमें मदनगंज गाँव के ५ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता गोली के शिकार बना दिए गए। बताया जाता है कि इससे पूर्व उच्चजातियों के ८ जमींदारों को नक्सली गतिविधियों में लिप्त लोगों ने गोली से उड़ा दिया था। यह लोमहर्षक काण्ड उसी का बदला था। इसी प्रकार ६ नवम्बर १९८५ को मुंगेर के लक्ष्मीपुर ग्राम में एक जातिगत विद्वेष तथा बदले की भावना से भड़के संघर्ष में ३० लोग मारे गए तथा ४०० से अधिक झोपड़ियाँ जलाकर खाक कर दी गयीं।

१९ अप्रैल १९८६ को हुए अरवल हत्याकांड को भला कौन विस्मृत कर सकता है? इस कांड में एक धनी अभियन्ता को अवैध रूप से भूमि 'एलाट' किये जाने के विरुद्ध ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। घटना के दिन 'मजदूर किसान संघर्ष समिति' की सभा हो रही थी। उसमें दनदनाते हुए पुलिस हस्तक्षेप के मध्य किसानों को गोलियों से भून

दिया गया।

ऐसा ही एक कांड ८ जुलाई १९८६ को कंसारी गाँव में घटित हुआ। जहाँ ६ स्त्रियों तथा २ बच्चों सहित कुल १० लोग मौत के घाट उतार दिये गये। यह भी एक जमींदार की मौत का बदला था।

२० सितम्बर १९८६ को भूमिहारों द्वारा पारसडीह गाँव में एम. सी. सी. (माओइस्ट कम्युनिस्ट सेण्टर) के प्रति सहानुभूति रखने वाले ५ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।

७ अक्तूबर १९८६ की एक काली रात को औरंगाबाद जिले के डरमिया गाँव में एक जमींदार अम्बिका सिंह के घर में आक्रमणकारी घुस गये। ये हत्यारे पारसडीह हत्याकांड का बदला लेने आये थे। उन्होंने घर में जमींदार अम्बिकासिंह को तो नहीं खोज पाया; परन्तु उनके परिवार के सात सदस्यों की उन्होंने नृशंस हत्या कर दी। फिर उन्होंने अम्बिका सिंह के भाई के घर धावा बोला तथा उनके परिवार के ५ सदस्यों की हत्या कर दी। इस कांड का शिकार होने वालों में ५ ऐसी स्त्रियाँ थीं, जिनसे मौत के घाट उतारने से पूर्व पाशविक बलात्कार किया गया था।

अब इस शृंखला में भीषणतम कांड जुड़ गया है--दलेलचक और बघौरा का हत्याकांड। यह हत्याकांड चोटकी चेचानी हत्याकांड का बदला लेने के लिए किया गया था, जिसमें राजपूत जमींदारों के हत्या-व्यवसाइयों ने सात यादवों की हत्या कर दी थी। जमींदारों को सन्देह था कि इसी वर्ष १९ अप्रैल को एक कुख्यात राजपूत जमींदार केदारसिंह की हत्या करने वाले एम. सी. सी. कार्यकर्ताओं में ये लोग शामिल थे।

औरंगाबाद में जातीय तनाव के चिन्ह १९८४ में ही अपने प्रचण्ड रूप में उभरने लगे थे। उस वर्ष पूर्व विधायक रामनरेश सिंह ने ११७ एकड़ भूमि अपने कब्जे में ले ली। उन्हें ग्रामवासी लूटन-बाबू के नाम से पुकारते रहे हैं। यह भूमि वास्तव में सालूषारा मठ के महन्त से सम्बन्धित थी। इस भूमि में अधिकतर यादव, हरिजन तथा साहू लोग आबाद थे। लूटन-बाबू ने दो धाकड़ जमींदारों (गिरिजा सिंह तथा बंगाली सिंह) की सहायता से भूमि पर आबाद इन लोगों को भूमि से बेदखल कर दिया।

बिहार में राजपूत जाति उच्च जातियों में समझी जाती है। यहाँ तीन सवर्ण जातियाँ हैं–राजपूत, ब्राह्मण तथा भूमिहार। ये लोग राज्य की कुल आबादी का केवल २० प्रतिशत है, परंतु बिहार की भूमि और सरकार में यही जातियाँ हावी हैं। यहाँ पिछले २ वर्षों से कुल ३२४ विधान सभाई सीटों में १५९ सीटों पर उच्च जातियों के विधायकों का वर्चस्व रहा है, कुल ५४ सांसदों में २५ उच्च जातियों से सम्बन्धित हैं। इस तरह शासनतन्त्र उच्च जातियों के

हाथों में है।

इसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि पिछड़ी जातियों के लोगों को इन उच्च जातियों के सरगनाओं में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। अतः जब लूटन-बाबू ने कब्जे में ली गई जमीन से उन्हें बेदखल किया, तो यह स्वाभाविक था कि वे न्याय पाने के लिए एम. सी. सी. के पास पहुँचते। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। कहा जाता है कि इस संगठन को पिछड़ी जातियों तथा यादव लोगों का सहयोग प्राप्त है।

इसके बाद सर्वप्रथम हत्या-अभियान पारसडीह में गत वर्ष ४ सितम्बर को उस समय किया गया, जब हत्यारों ने लूटन-बाबू के घर के बाहर लोगों के मामलों को सुलझाने के लिए बनायी गयी 'कचहरी' पर हमला किया। लूटन-बाबू तो उस समय घर में नहीं थे। उनका एक कर्मचारी कृष्णा कहार मारा गया। सामन्ती प्रभुता की प्रतीक 'कचहरी' क्यों न पिछड़ी जातियों की आँखों में खटकती। एम. सी. सी. के कार्यकर्ताओं ने बंगाली सिंह के पुत्र विजय की भी निर्मम हत्या कर दी।

दलेल चक और बघौरा ग्रामों में मौत का जो नग्न नृत्य हुआ, उसकी पृष्ठभूमि पारसडीह कांड से तैयार हुई। इस ग्राम पर किये गये जमींदारों के धावे में ५ उन लोगों की हत्या कर दी गयी थी, जिनके सम्बन्ध में यह सन्देह किया जाता था कि वे एम. सी. सी. से मिले हुए हैं।

बुद्धत्व जगे फिर एक बार

२० सितम्बर को किये गये इस धावे के पूर्व सर्वप्रथम ४ सितम्बर को एम. सी. सी. ने इस ग्राम के उच्च जाति के लोगों पर धावा बोला था। उसके बदले में जमींदार तबके ने इन ५ साहुओं की हत्या करवा दी थी। हत्यारे पड़ोसी गांवों के राजपूत तबके से सम्बन्धित थे। ये गाँव थे--डारमिया, अनजान और मामका।

इस प्रकार पिछले ९ महीनों के दौरान औरंगाबाद जिले में जातिवादी बदले की भावना से हुए हत्याकांडों ने एक नया अपकीर्तिमान स्थापित किया है। यदि सितम्बर '८६ और मई '८७ के मध्य हुई हत्याओं का ही लेखा-जोखा किया जाये, तो केवल एक जिले में ८० निर्मम हत्याओं के आँकड़े हैं। ५ साहुओं की हत्या का बदला लेने के लिये ७ अक्तूबर को डारमियाँ में ११ राजपूत गोली से उड़ा दिये गये। एम. सी. सी. दलों की इस कारस्तानी के शिकार होने वाले सभी व्यक्ति अम्बिकासिंह के

रिश्तेदार थे। पारसडीहकांड के मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।

डारमियाँ के राजपूतों की हत्या से सवर्णों में तहलका मच गया। राजपूत तबके ने जोर डालकर मुख्यमन्त्री बिन्देश्वरी दुबे का ध्यान इस ओर खींचा। श्री दुबे ने फौरन नक्सली गतिविधियों के उन्मूलन हेतु पुलिस व्यवस्था को और शक्तिशाली बनाने के लिये ६० लाख रुपये की एक प्रभूत धनराशि स्वीकृत कर दी।

डारमियाँ कांड के बाद राजपूत सकते में आ गये थे। वे एम. सी. सी. की बढ़ती हुई शक्ति को विवश दृष्टि से देख रहे थे। एम. सी. सी. ने राजपूतों से ही कई क्षेत्र हथिया लिये थे।

एम. सी. सी. की ओर से एक 'जन अदालत' चलाई जाती रही है; जिसमें गरीब तबके के लोगों के मामलों की सुनवाई होती है। राजपूत बिना सुरक्षा व्यवस्था अथवा बिना शस्त्र लिए घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं समझते। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं एम. सी. सी. की टुकड़ियाँ उनकी हत्या न कर दें। उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें 'वर्गीय शत्रु' घोषित कर दिया गया है।

लूटन-बाबू इस बात से भी परेशान हैं कि पारसडीहकांड से सम्बन्धित पुलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट की जाँच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस कांड में हत्यारों को लाने के लिये लूटन बाबू की जीप का प्रयोग किया गया था।

इसके परिणाम स्वरूप फैली उत्तेजना में १६ अप्रैल को जमींदार केदारसिंह को मार डाला गया, जिसके बदले के लिये पागल राजपूतों ने चोटकी चेचानी के सात यादवों की हत्या कर डाली। मुख्यमन्त्री दुबे चोटकी चेचानी नहीं गये, इससे जातिवादी पक्षपात को ही प्रोत्साहन मिलता दिखाई देता है।
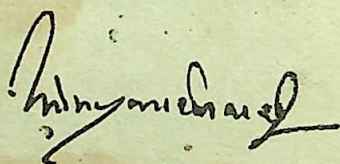
चोटकी चेचानी कांड का बदला लेने के लिये यादवों ने कमर कसी। कदाचित् उन्हें एम. सी. सी. द्वारा भड़काया जा रहा था। उन्होंने इसके लिये दलेलचक और बघौरा ग्रामों को चुना। और फिर पुलिस की नाक के नीचे दिन-दहाड़े यह नृशंस हत्याकांड कर डाला गया। इस कांड में आक्रमणकारियों की संख्या ७०० बतायी जाती है, जिन्होंने राज्य के खूनी इतिहास का सर्वाधिक भद्दा व काला पृष्ठ सृजित किया।

इस समस्त परिदृश्य में कम्युनिज्म तक जातिवादी रूढ़ियों को पुष्ट करने वाली लीक पर चलता दिखाई देता है। बिहार में उठ रही इस जातिवादी आतंक की लहर को यदि रोका न गया, तो राज्य विप्लवों से घिर जायेगा।०

('इलस्ट्रेटेड वीकली' के आधार पर)

मासिक चुटकियाँ

चित्रकूट के घाट पर, भई भक्तन की भीर,
जल बिन ढेरों मर गये, मन्दाकिनि के तीर।
मन्दाकिनि के तीर, तड़पती जनता प्यासी,
पड़ा बेखबर मस्त, प्रशासन सत्यानासी।

प्रियवर बंसीलाल ने, जी भर बाँटा लोन,
जनता के संगीत का, फिरौ न बदला टोन।
फिरौ न बदला टोन, बज गया उल्टा बाजा,
गन्ने का रस बेचो, बंसी ताजा-ताजा।

हरियाणा-कांग्रेस गई, बिना भाव, बेकाम,
कँधा देंगे चार अब, पँचवाँ बोले राम।
पंचवाँ बोले राम, उबारो अब तुम हमका,
देवी छोड़ै नाहिं, अबोहर अरु फाजिल्का।

ासन करते राष्ट्रपति, लगे रिबैरो साथ,
फिर भी रुकने से रहा, आतंकवादी हाथ।
आतंकवादी हाथ, काट कर फेंकौ भाई,
बहुत चल चुके केस, हो चुकी अब सुनवाई।

बन्धु पढ़ो अखबार तुम, चाहें कल या आज,
नित-प्रति मारा जा रहा, हिन्दू बहुल समाज।
हिन्दू बहुल समाज, रोकिये ये हत्यायें,
कहो अन्यथा, हिन्दू भी अब शस्त्र गहायें।

लोकतन्त्र इस देश का, हुआ शर्म से लाल,
कुत्ता कहें विपक्ष को, इन्दिरा जी के लाल।
इन्दिरा जी के लाल, सोचकर बोलो भाई,
राजनीति है! नहीं ये जोरू-संग लड़ाई।

खेदैं कूकुर कट्टहा, हैं हैरान जनाब,
गर्मागर्म सवाल हैं, सूझे नाहिं जवाब।
सूझे नाहिं जवाब, याद आवैं अब नानी,
जड़ै प्रश्न पर प्रश्न, न चूकै जेठमलानी।
चहुँ दिशि नारा लग रहा, जयते असत्यमेव,
प्रथम नागरिक बन गये, रमण बधाई लेव।
रमण बधाई लेव, समझ कुर्सी की महिमा,
चाटुकारिता छोड़, संभालो पद की गरिमा।
वी० पी० भारत दौड़कर, ढूंढ रहे अस्तित्व,
समझ में आता है नहीं, दोहरा यह व्यक्तित्व।
दोहरा यह व्यक्तित्व, आपकी कौन प्रतिष्ठा ?
होते कभी अरेस्ट, कभी नेता में निष्ठा।
ऐसा भी क्या कह दिया, देवी ने गरियाय,
आत्मघात करने चले, भजनलाल झल्लाय।
भजनलाल झल्लाय के, इतना बुरा न मानो;
दल बदलो और देवी को अपना ही जानो।
चमचा-पूरित राज में, करैं निरीह गुहार,
नगर ग्वालियर में किया, भीषण लट्ठ प्रहार।
भीषण लट्ठ प्रहार, सभाएँ तुम रोकोगे;
अहो मित्र ! अबकी चुनाव में ही भोगोगे।
घर का झगड़ा देखिये, कांग्रेस में जाय,
नेहरू, आरिफ, शुक्ल को, दिया गया धकियाय।
दिया गया धकियाय, देखिये आगे कुश्ती;
बैठ सदन में मुफ्ती भैया ठोंकैं सुरती।

जब दर्जनों यात्री प्यास से तड़प-तड़प कर मर गये !

बहुत संभव है कि मानसून की मस्त फुहारों में हम जून मास की भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों को भूल जायें। परन्तु गत २६ जून को भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में जो कुछ हुआ, उसे भुलाना मानवता के प्रति घोर कृतघ्नता होगी।—सं०

विभिन्न असामाजिक एवं राज—नीतिक अपराधों से सम्बद्ध विदेशी पर्यटकों के लिए वातानुकूलित परिवहन सुविधाओं एवं विलासिता-स्तर के विश्राम केन्द्रों की व्यवस्था रखने वाली सरकार का ध्यान शायद अपने देश के उन लाखों श्रद्धालु पर्यटकों की ओर नहीं है जिन्हें तीर्थयात्री कहते हैं। यदि ऐसा न होता तो २६-२७ जून को चित्रकूट में कामद गिरि की परिक्रमा करके लौट रहे थके-हारे भूखे-प्यासे सैकड़ों तीर्थयात्री यत्र-तत्र तड़प-तड़पकर मरने के लिए विवश न होते। एक स्वतंत्र, धर्म-दर्शन में अग्रणी देश की धर्मप्राण एवं संप्रभु जनता प्यास से तड़प कर मरती रही तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की धर्म निरपेक्ष सरकारों ने जिस निर्लज्ज निरपेक्षता का परिचय दिया है उससे क्या यह संकेत नहीं मिलता कि केवल अल्पसंख्यकों की चिंता से रात-दिन दुबली होती सरकार को न तो बहुसंख्यकों के तीर्थस्थलों पर फैल रही दुरवस्था की चिंता है और न उनकी जान एवं माल की।

और क्योंकि शायद राम के वन प्रवास की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस अषाढ़ी-अमावस्या के मेले की (अ) व्यवस्था भी सरकार को एक यादगार बनानी थी, इसीलिए उसी विशेष पर्व-प्रधान दिवस पर चित्रकूट के नलों में जल तथा बिजली की आपूर्ति बन्द हो गयी। यही नहीं उसी दिन चित्रकूट के आस-पास के कस्बों में भी नलों में पानी बंद हो गया। पानी के अभाव में थके-हारे तीर्थयात्री काल की भेंट होते रहे और जनतंत्रीय सरकार तमाशा देखती रही।

बहुमत वाली वीर बहादुर सरकार

बहुसंख्यक वर्ग को किस प्रकार मौत के मुँह से बचाने के लिए अवसर पर चूक जाती है इसका उदाहरण हरिद्वार में कुँभ मेले पर ५१ तीर्थयात्रियों की कुर्बानी ही नहीं बल्कि अयोध्या की कार्तिक-परिक्रमा पर हुई ४३तीर्थयात्रियों की मार्मिक मौतें भी है। यों तो मेरठ कांड का ताना-बाना बुन रही शक्तियों तथा बिगड़ रहे वर्गीय सौमनस्य का तनावपूर्ण माहौल पहले ही प्रशासन को चौकन्ना करने के लिये काफी था, परन्तु हर बार नृशंस कांड घट जाने देना जैसे बहुसंख्यकों की नियति में लिख दिया गया है।

इसी वीभत्स श्रंखला की कड़ी में चित्रकूट-यात्रियों की करुण मृत्यु का यह हादसा जुड़ा है। धर्मप्राण, गरीब हिन्दू तीर्थयात्रियों को अपने हर पर्व पर सामूहिक संहार का शिकार होना पड़ रहा है, हर बार इसका दोष प्रशासनिक इकाइयों ने एक दूसरे पर मढ़ा है तथा नेताओं ने घड़ियाली आँसू बहाये हैं परन्तु सदाबहार भ्रष्टाचार के कंधों पर हँसती-खेलती दुर्व्यवस्था इस समूह को लीलने के लिए अपने जबड़े सदा फैलाये रहती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या बहुसंख्यकों को असुरक्षित रखना जरूरी है ?

चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा करने वाले जो यात्री मृत हुए हैं, गर सरकारी सूत्रों के अनुसार उनकी संख्या ५० से २०० के बीच है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि अबकी बार का हुआ हादसा केवल उनकी ही उपेक्षा का परिणाम नहीं है उनके साथ पाप में मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है।

एक विशाल संख्या में एकत्रित हिन्दू जनता को तड़प-तड़प कर मरने के लिए बिजली, पानी तथा परिवहन तीनों भंग करना, जगह-जगह सड़ती हुई तीर्थयात्रियों की लाशों को दायित्व से बचने के लिए एक दूसरे की सीमा में सरकाते रहना यही सिद्ध करता है कि यह सरकार २० प्रतिशत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की दुहाई देकर ८० प्रतिशत जनता को अराजक स्थिति में छोड़ देना चाहती है।

२४ जून से ही बिजली गायब थी। आसन्न पर्व के अवसर पर भी जिला प्रशासन ने उसे ठीक कराने की आवश्यकता नहीं समझी। जल निगम के पास अपना जनरेटर सेट भी है, परन्तु उसे भी ठीक कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। और फिर यदि हर कुएँ पर एक रस्सीबाल्टी का ही प्रबंध हो जाता, तो भी यह हादसा रुक सकता था, परन्तु भूखे-प्यासे बेसहारा तीर्थयात्रियों के लिए एक ही रास्ता छोड़ा गया था—मौत।

२६ जून को चित्रकूट में तापमान ४८ डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। परिक्रमा शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही लोग प्यास से व्याकुल होने लगे। परि-

क्रमा मार्ग पर कहीं कोई प्याऊ आदि की व्यवस्था नहीं थी। प्यास से व्याकुल लोग बेहोश होकर गिरने लगे। इन गिरते हुए लोगों को अस्पताल पहुँचाने या प्राथमिक राहत देने के लिए कोई स्वयंसेवी संस्था सामने नहीं आयी और प्रशासन को तो जैसे कुछ पता ही न था। जिनके साथ कुछ अपने थे वे भुक्त भोगी तो लद-फंद कर अस्पताल पहुँच गये, शेष जहाँ-जहाँ गिरते गये, वहीं तड़प-तड़प कर जीभ निकाल-निकालकर मरे और मरने के बाद भी वे गेंद की तरह इधर से उधर फेंके जाते रहे।

इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या भी अटकलों के घेरे में है। इस मुद्दे पर प्रशासन और स्थानीय लोगों की राय अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश सरकार यदि इस क्षेत्र में हुई मौतों की संख्या ११ बताती है तो भोपाल के अधिकारीं इस विषय पर मौन हैं। स्थानीय पुलिस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में केवल ४ लोगों की मौत स्वीकार करती है। परंतु जनता का कहना है कि उत्तर-प्रदेश तथा मध्यप्रदेश दोनों क्षेत्रों में हुई कुल मौतों की संख्या कम से कम दो सौ है।

स्थानीय लोगों के अनुसार लाशों को चुपचाप जलाने का काम मध्यप्रदेश की नयागांव पुलिस ने किया। यहाँ भारी संख्या में लाशें जलायी गयीं। श्मशान के रजिस्टरों में इन मौतों का कोई लेखा-जोखा नहीं। लोगों का आरोप है कि लाशों को एक दूसरे के क्षेत्र में फेंक कर भी जब अपने सिर से बला टलती नजर नहीं आयी, तो उन्होंने लाशों को चुपचाप जलाना तथा नदी में बहाना शुरू कर दिया।

बांदा जिले का जल-संकट विख्यात है। १९७४ में पाठा क्षेत्र की जनता की प्यास बुझाने के लिए लगभग ४ करोड़ की योजना बनायी गयी, परन्तु यह सब रुपया योजना-क्रियान्वयन के बहाने भ्रष्टाचारी वर्ग हड़प गया तथा पाठा के लोग आज भी प्यासे हैं। दोनों राज्यों के पर्यटन मानचित्र में चित्रकूट का नाम दर्ज है, परन्तु क्या पानी के अभाव में यहाँ मरने आयेगा पर्यटक ?

प्रश्न है कि कौन बचायेगा, बहुसंख्यक वर्ग के तीर्थों एवं तीर्थयात्रियों को ?

—प्रस्तुति 'नीरव'

आचार्य शुक्ल के एक मित्र ने एक बार कहा—'पंडित जी. आज मैंने एक विचित्र व्यक्ति देखा। उसके शरीर पर सर्वत्र राम-राम ही लिखा था।' शुक्ल बोल उठे—'शाह जी, आपको भ्रम हो गया, वह विभीषण का घर होगा।'

—डॉ० 'वंशी'

'जागते रहो विशेषांक'

आज हमें देश के अन्दर तथा बाहर सर्वत्र विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में खालिस्तानी उन्माद, बंगाल के पहाड़ी अंचल में गोरखालैंड की मांग, श्रीलंका में तमिलों का नर-संहार, तिब्बत में चीनी सेनाओं का भारी जमाव, पाकिस्तान में आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह तथा विदेशी घुसपैठ आदि, भारत को अलग-थलग करने का एक भयानक षड्यन्त्र हैं।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा गुजरात आदि में सांप्रदायिकता का नग्न तांडव देश और मानवता के लिए कलंक बन गया है। हमारा वर्तमान नेतृत्व समय की कसौटी पर असफल सिद्ध हो रहा है। राजनैतिक अस्थिरता तथा भ्रष्टाचार का शिकार यह देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है।

क्या देश इन्हीं लचर नीतियों के सहारे चलेगा ?

रक्षा-सौदे में कमीशन खाने वाले देश के गद्दारों को क्या न्याय के कठघरे में खड़ा किया जायेगा ? क्या विदेशी बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करने वाले तमाम भ्रष्ट राजनैतिक नेताओं को बेनकाब किया जा सकेगा ? क्या हम इस देश को सांप्रदायिकता एवं अराजकता की आग में जलने से बचा सकेंगे ? आदि, अनेक प्रश्न भारतीय जनमानस को आंदोलित कर रहे हैं। इन समस्याओं के निराकरण हेतु हम सबको सतत जागते रहना होगा।

देश की एकता तथा अखण्डता के लिए समर्पित 'राष्ट्रधर्म' 'स्वाधीनता विशेषांक' को **'जागते रहो विशेषांक'** के रूप में प्रकाशित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रजीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा होगी।

आकर्षक मुखपृष्ठ तथा २४ अतिरिक्त पृष्ठों सहित १७२ पृष्ठों के इस विशेषांक का मूल्य रु० ५.०० होगा और यह अतीत विचारोत्तेजक तथा दिग्दर्शक होगा। मत चूकिये।

संपर्क : **व्यवस्थापक 'राष्ट्रधर्म'**
संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर
लखनऊ-२२६००४

[पृष्ठ १५ का शेष]
दास्तान पृथक लेख में दी जाएगी]

इस बीच बच्चन बन्धुओं के कारनामों पर गौर कीजिये। उन्होंने मेनन इमपेक्स [प्रा०] लि०, इपका लैबोरेटरीज [प्रा०] लि० तथा इण्डसू नामक कम्पनियां चला रखी हैं, जो गुजरात के काण्डला बन्दरगाह पर आयात निर्यात की व्यवस्था करती हैं। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप के देश अनेक प्रकार की वस्तुयें सोवियत रूस को नहीं बेचते। बच्चन की कम्पनियां ऐसी वस्तुयें यहां से खरीदकर उनका निर्यात सोवियत रूस को कर देती हैं। उदाहरणार्थ, विगत १२ दिसम्बर को इण्डसू [इण्डो-सोवियत] कम्पनी ने इलेक्ट्रानिक डायलेसिस मशीनें अमेरिका से मंगाईं और केवल तीन दिन बाद १५ दिसम्बर को उन्हें ज्यों की त्यों सोवियत रूस को निर्यात कर दिया। भारत को इन मशीनों पर अपनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी और सोवियत सरकार ने भारतीय रुपये की मुद्रा में उसका मूल्य दिया। इस प्रकार भारत की विदेशी मुद्रा के बल पर जो मुश्किल से प्राप्त होती है, सोवियत रूस अपना काम चला रहा है।

यह है वास्तविकता

स्विटजरलैण्ड में बच्चन बन्धुओं की सम्पदा के सम्बन्ध में मैंने अपने पिछले लेख में जो कुछ लिखा था, वह वास्तविकता से कम था। पूरी जानकारी तो अब प्राप्त हुयी है, जो अधिवक्ता राम जेठामलानी ने स्वयं स्विटजरलैंड जाकर प्राप्त की। बच्चन बन्धु कितने झूठे हैं; यह उनके वक्तव्य और प्राप्त साक्ष्य से सिद्ध हो जाता है। बच्चन के अनुसार अजिताभ एक स्विस कम्पनी में नौकर है, जो उसके फ्लैट का किराया देती है तथा दोनों भाइयों के छः बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है। लाख पूछे जाने पर भी बच्चन बन्धुओं ने इस कल्पित कम्पनी का नाम नहीं बताया; क्योंकि ऐसी कोई कम्पनी है ही नहीं। बच्चन बन्धु इस देश से करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में स्विस बैंकों में जमा कर चुके हैं और उसी से ये अलल्ले-तलल्ले हो रहे हैं।

दैनिक 'इण्डियन एक्सप्रेस' ने मान्त्यू के रजिस्ट्री आफिस के उस पृष्ठ की फोटो कापी का ब्लाक छापा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अजिताभ नें 'ढाई बेड रूम' का कोई फ्लैट किराये पर नहीं ले रखा है, जैसा कि अमिताभ ने कहा है, बल्कि पांच बेडरूम का फ्लैट खरीदा है और रजिस्ट्री के समय उसका मूल्य ५,७०,००० स्विस फ्रा [लगभग ४८ लाख रुपया] दिया गया स्वीकार किया है। टैक्स-प्रयोजन के लिए इस फ्लैट का पुनर्मूल्यांकन सरकारी तौर पर किया गया, जिसके अनुसार उसका वास्तविक मूल्य ८ से १० लाख स्विस फ्रा [६८ से ८५ लाख रुपये] के बीच है। इसके अलावा बच्चन बन्धुओं के जो छः बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनमें से प्रत्येक की

मासिक फीस एक लाख रुपया है न कि १० हजार रुपया जैसा पिछले लेख में कहा गया था।

फ्लैट की कीमत ४८ लाख रुपया ही मान ली जाय, तो यह धन तथा बच्चों की पढ़ाई का ७२ लाख रुपया सालाना का खर्चा और स्वयं अजिताभ बच्चन का निजी व्यय, जो छ: लाख रुपया वार्षिक से कम नहीं होगा, कहाँ से आया ? जाहिर है कि यह सारा खर्चा स्विस बैंकों में जमा काले धन से चलता है, जो बच्चन बन्धुओं ने इस देश को लूटकर संग्रहीत किया और स्विस बैंकों में जमा किया। स्विट्जरलैण्ड में कोई भी विदेशी भूमि, भवन नहीं खरीद सकता। वहाँ की नागरिकता पाने की शर्तें पूरी किये बिना अजिताभ को ये सारी सुविधायें कैसे मिल गयीं ? कहा जाता है कि इसके लिए श्री राजीव गांधी ने स्विनस सरकार पर अपना व्यक्तिगत तथा राजनयिक प्रभाव डाला था। यह भी उल्लेखनीय है कि अजिताभ ने यह फ्लैट बोफोर तोप के सौदे के करार पर यह हस्ताक्षर होने के दस दिन के भीतर ही खरीद लिया था। क्या यह रहस्यमय नहीं है ? क्या अजिताभ स्विस बैंकों में अपने पारिवारिक धन के अलावा किसी अन्य द्वारा इस सौदे में प्राप्त करोड़ों रुपयों के बेनामी एजेण्ट तो नहीं है, जो उस विशिष्ट जन के नाम या नम्बर से स्विस बैंकों में जमा किया गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां ने श्री राजीव गांधी के इस दावे को पूर्णत: स्वीकार कर लिया है कि बोफोर सौदे में कोई दलाल नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि दलाल की जरूरत ही क्या थी, जब सारा कमीशन राजीव ने सीधे प्राप्त किया। इसके जवाब में युवा कांग्रेस के गुण्डों ने आरिफ पर हमला कर दिया और उनके अंगरक्षक न बचाते, तो आरिफ मियां की हत्या हो गयी होती। वास्तविकता यह हैं कि हरियाणा में विधान सभा का आम चुनाव तथा वहाँ लोकसभा का दो सीटों का उपचुनाव बुरी तरह हारने के बाद राजीव गांधी को आसन्न संकट का आभास हो गया और राजनीतिक अनुभव में लगभग शून्य होने के कारण तथा अपनी दून स्कूली टोली और आसपास मण्डराने वाली चापलूस मण्डली की सलाह पर उन्होंने बिना सोचे समझे दायें बायें हर तरफ वार करना शुरू कर दिया। जब उनसे राम जेठमलानी द्वारा लगाये गये आरोपों की चर्चा की गयी, तो वे बोले—क्या मैं प्रत्येक कुत्ते के भौंकने पर जवाब दूं ? राम जेठमलानी ने कहा कि कुत्ता तभी भौंकता है, जब किसी चोर को देखता है मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्र का वफादार कुत्ता हूं और चोर को पहचानकर भौंका हूं।

[यह अङ्क छपते-छपते श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कांग्रेस से निष्कासित कर दिये गये हैं। राजीव गांधी के काले कारनामों का पूरा किस्सा अगले अङ्क में]

(पृष्ठ ११ का शेष)

दरियापुर नरसंहार को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं। हरियाणा की सीमा में हुई इस पहली घटना के संबंध में कुछ लोगों का आरोप है कि यह जानबूझकर देवीलाल सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि दरियापुर नरसंहार के पीछे आतंकवादियों का हाथ नहीं है, वरन यह हिसार के ही कुछ अपराधियों की करतूत है, जिन्हें कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अपराधियों ने नरसंहार उन्हीं के इशारे पर किया, ताकि हरियाणा में हिन्दू-सिख (सहजधारी व केशधारी हिन्दुओं के बीच—सं०) संघर्ष शुरू हो जाय और देवीलाल की सरकार को इसकी आड़ लेकर संकट में डाला जा सके। वैसे तो इस तरह के आरोपों का खण्डन किया गया है किन्तु यदि इसमें सचाई का जरा भी अंश है, तो इस तरह की घृणित राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा।

बहरहाल आतंकवादी हिंसा के कारण चाहे जो हों, इस पर काबू पाने में सरकारी मशीनरी की विफलता चिंतनीय है। पिछले ६ वर्षों से आतंकवादी बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं और सरकार अपनी नाक बचाने के लिए बहाने ढूंढ़ रही है। केन्द्र ने जब अपनी ही दरबारा सिंह सरकार को बर्खास्त कर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया था, तो लोगों में आशा बंधी थी कि आतंकवाद का सफाया हो जायेगा। किन्तु अंततः सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। 'आपरेशन ब्लू स्टार' के बाद स्थिति पर काबू पाया गया और देश ने प्रधानमन्त्री को खोकर इसकी बहुत बड़ी कीमत दी। फिर-लोंगोवाल समझौता हुआ और महान सिख नेंता संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने शहादत दी। शांति फिर भी नहीं लौटी। इसी समझौते के तहत पंजाब में चुनाव कराये गये और अकाली दल की सरकार बनी, किन्तु अकाली नेताओं में अंदरूनी फूट के कारण हालात जैसे के तैसे बने रहे। स्वर्ण मन्दिर में फिर आतंकवादियों का वर्चस्व हो गया तथा उन्हें बरनाला सरकार के ही कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण मिला। परिणाम यह हुआ कि आतंकवादियों पर काबू पाने के लिए जो भी प्रयास किए गये, निरर्थक साबित हुए। अंततः बरनाला सरकार को भी बलि का बकरा बनना पड़ा। उम्मीद की गयी थी कि पश्चिम बंगाल में नक्सलियों' के दमन का अनुभव अर्जित करने वाले सिद्धार्थशंकर राय आतंकवादियों के सफाये में कामयाब होंगे, किन्तु इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया।

दरअसल पंजाब में आतंकवादियों की समस्या काफी उलझ गयी है। कोई आतंकवादी प्रयास इस आतंकवाद पर काबू पा लेगा, इसमें संदेह है। आतंकवादियों को पंजाब के ही प्रभावशाली लोगों तथा विदेशी ताकतों का समर्थन एवं संरक्षण प्राप्त है। उन्हें बाहर से हथियार, धन और प्रशिक्षण मिल रहा है। उनका अपना खुफियातंत्र है और एक व्यापक सम्पर्कजाल। पंजाब की जनता कुछ आतंक और कुछ सहानुभूति के कारण पुलिस का साथ कम देती है, आतंकवादियों का ज्यादा। कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस के मुखबिर आतंकवादियों के मुखबिर बन जाते हैं और पुलिस झांसे में आ जाती है जैसा कि हरियाणा नरसंहार के मामले में हुआ। पंजाब पुलिस और प्रशासन में भी आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों की संख्या कम नहीं है।

७४ बस-यात्रियों की नृशंस हत्या के बाद अब आतंकवादियों से निपटने के लिए पंजाब और उत्तर भारत के छः राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष दस्ते बनाने का निश्चय किया गया है। इन दस्तों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त उन लोगों को शामिल किया जायेगा, जो आतंकवादियों से सभी पहलुओं से निपटेंगे। इस आतंकवादी प्रकोष्ठ का काम विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी देखेंगे। देखना है, यह नयी रणनीति आतंकवादियों के दमन और जनता की सुरक्षा में कहां तक सफल होती है।०

आदमी को ढूंढ़िये

▣ नित्यानन्द 'तुषार'

जो रहे सबके लबों पर उस हँसी को ढूँढ़िये
बँट सके सबके घरों में उस खुशी को ढूँढ़िये

प्यास लगने से बहुत पहले हमेशा दोस्तों
जो न सूखी हो कभी भी उस नदी को ढूँढ़िये

काम मुश्किल है बहुत पर कह रहा हूँ आपसे
हो सके तो भीड़ में से आदमी को ढूँढ़िये

शहर भर में हर जगह हादसों की भीड़ है
हँस सकें बच्चे जहाँ पर उस गली को ढूँढ़िये

हर दिशा में आजकल बारूद की दुर्गन्ध है
जो यहाँ खुश्बू उड़ाये उस कली को ढूँढ़िये

देखिये तो आज सारा देश ही बीमार है
हो सके उपचार जिससे उस जड़ी को ढूँढ़िये

कत्ल, धोखा, लूट, चोरी तो यहाँ पर आम हैं
जो लुटी ही हो न, ऐसी पालकी को ढूँढ़िये

प्यार का किस्सा पुराना याद आएगा तुम्हें
इन किताबों में रखी इक डायरी को ढूँढ़िये

—१५८, आर्यनगर, गाजियाबाद-२०१००१ (उ०प्र०)

भारत सरकार कब चेतेगी ?

श्री श्यामलाल शर्मा

'नन्दन वन' [मई] अंक में 'एक हिन्दू रियासत का निर्माण और निर्वाण' शीर्षक के अन्तर्गत जो विषय-प्रतिपादन हो चुका है, उसी के उत्तरार्द्ध के रूप में इस लेख को समझा जाना चाहिए--यद्यपि ऐसा उल्लेख नहीं किया गया था--सं०

१९५३ से १९८७ तक का जम्मू-कश्मीर का इतिहास रियासत के मुसलमानों के तुष्टीकरण तथा भारतीयता और देशहित के बलिदान का इतिहास है । १९५३ में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और बक्शी गुलाम मुहम्मद को रियासत का प्रधानमन्त्री बनाया गया। यह समय था जब भारत सरकार संविधान की अस्थायी धारा ३७० को हटा सकती थी परन्तु उसने राजनैतिक गतिविधि का सहारा न लेकर मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के लिये भारत के खजाने के मुँह खोल दिये । बक्सी गुलाम मुहम्मद ने अपने दस वर्ष के प्रधानमन्त्री के पद से निरंकुश शासन किया । उस काल के भ्रष्टाचार और निरकुश दमन चक्र ने केन्द्र में लोगों के कान खड़े किये । पं० नेहरू भी सिटपिटाये । भला हो कामराज योजना का जिसके फरेब में आकर बक्शी गुलाम मुहम्मद ने पंचतन्त्र के ऊँट की भाँति अपना त्याग पत्र पं० नेहरू जी को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये पेश किया । पं० नेहरू जी ने यह त्याग पत्र एक दम स्वीकार कर बक्शी साहब के पैरों तले की धरती खिसका दी । बाद में बक्शी साहब ने बहुतेरे हाथ पाँव मारे परन्तु छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सका ।

पं० नेहरू जी के निधन के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत सरकार के प्रधान मन्त्री बने । उन्होंने श्री गुलाम मुहम्मद सादिक साहब को जम्मू-कश्मीर का प्रधानमन्त्री बनाया । इनके शासनकाल में रियासत का प्रधानमन्त्री मुख्यमंत्री बना । सदरे रियासत गवर्नर बना, भारत की राष्ट्रीय पार्टियों का रियासत में पदार्पण हुआ। नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस पार्टी बनी । राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी सरकारी इमारतों पर फहराने लगा । भारत हितैषी मुख्यमन्त्री होते हुए भी केन्द्र की मुस्लिम-

तुष्टीकरण नीति ने धारा ३७० को हटाने में उत्साह नहीं दिखाया। यहां तक कि उस कांग्रेस शासन में १९४७ के रियासत में बसे हुए विस्थापित हिन्दू लोगों को नागरिकता के अधिकार भी नहीं मिल सके।

श्री लालबहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इन्दिरा गान्धी देश की प्रधान मन्त्री बनीं। रियासत में सादिक साहब की मृत्यु के बाद सैय्यद मीर कासिम मुख्यमन्त्री बने।

भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। साढ़े तीन करोड़ रुपया खर्च हुआ परन्तु परिणाम से पहले ही मुकदमा वापस ले लिया गया। सैय्यद मीर कासिम शेख मुहम्मद

डॉ० मुखर्जी : सर्ग से उत्सर्ग तक

अब्दुल्ला के अन्तरंग चेले चांटों में प्रमु[ख] थे। केन्द्र की मुस्लिम तुष्टीकरण नी[ति] का पूरा लाभ उठाते हुए कासिम सा[हब] ने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का इन्दि[रा] गांधी जी से तालमेल करा दिया। इ[से] कश्मीर समझौता का नाम दिया गया। मीर कासिम शेख अब्दुल्ला के हक [में] दस्तबर्दार हो गये। इस कश्मीर सम[झ]ौते की दो प्रमुख बातें ही जानने यो[ग्य] हैं। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस [को] पुन: जीवित किया और वादा किया [कि] नेशनल कांफ्रेंस अपने प्लेटफार्म से भार[त] के साथ मिलन (Accession) [के] प्रश्न को कभी नहीं उठायेगी। इन्दिरा [जी] ने भारतीय संविधान की अस्थायी धार[ा] ३७० को स्थायी रूप में रखने [का] वचन दिया। यह धारा ३७[०] कश्मीर को विशेष स्वतन्त्र स्था[न] प्रदान करती है। कश्मीर के नागरि[क] भारत के नागरिक हो सकते हैं पर[न्तु] भारत का नागरिक कश्मीर का नागरि[क] नहीं हो सकता है। कोई भी भारती[य] (वह भारत का राष्ट्रपति ही क्यों न हो) कश्मीर में जमीन, मकान या कोई भ[ी] अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकता। भारत सरकार उधमपुर (जम्मू डिविजन) में डाकघर के लिये राष्ट्रपति के ना[म] पर जमीन नहीं खरीद सकी। इस धार[ा] का आदर्श सामने रखकर पंजाब में राष्[ट्र] विरोधी आन्दोलन चल रहा है। लाल[] डेंगा का मिजोरम इसी धारा के आधार पर एक स्वतन्त्र ईसाई राज्य के रूप में

स्थापित हुआ है जहाँ किसी भी भारतीय को जाने के लिये परमिट लेना पड़ता है। मिजोरम को चीन तथा अन्य देशों के साथ व्यापार के विशेष अधिकार भी दिये गये हैं। यह तुष्टीकरण अब गोरखा राज्य, झारखण्ड राज्य तथा अन्य कई राज्यों की मांग को जन्म देकर भारतीय एकता को खण्ड-खण्ड करने पर तुला हुआ है।
शेख अब्दुल्ला के बाद उसका लड़का डॉ० फारूक अब्दुल्ला रियासत का मुख्यमन्त्री बना। इसने शासन संभालते ही पहला कार्य यह किया कि कश्मीर विधानसभा में पुनर्वास (Resettlement Act) पास कराया। यह पुनर्वास विधेयक क्या है इसका भारत में कई बन्धुओं को पता नहीं। १९४७ में देश के विभाजन के समय रियासत के कई मुसलमान पाकिस्तान चले गये। पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण रियासत का २/५ भाग जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है वहां भी बस गये। वे गत ४० वर्षों से वहां रह रहे हैं। वहां से उन्होंने हिन्दुओं को निकाल दिया और उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया है। फारूख अब्दुल्ला ने विधेयक पास करवा कर आजाद कश्मीर तथा पाकिस्तान में बसे रियासत के मुसलमानों को रियासत में आकर पुनः बसने का प्रबन्ध कानूनी रूप से कर दिया है। सारे भारतवर्ष में पुनर्वास विभाग समाप्त कर दिये गये हैं परन्तु रियासत जम्मू-कश्मीर में यह विभाग पूर्ववत कायम है और जो भी मुसलमान पाकिस्तान से आ जाता है

वैष्णव देवी : कुचक्रों के घेरे में

वह अपनी सुरक्षित जायदाद पर काबिज हो जाता है। नहीं तो नेशनल कांफ्रेंस द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार अपनी ही रियासत के हिन्दू लोगों पर जो पाकिस्तानी आक्रमण से विस्थापित होकर उन सुरक्षित जमीनों पर या मकानों में रह रहे हैं फिर विस्थापित होने की तलवार लटका दी गई है।

फारूख अब्दुल्ला की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण शेख अब्दुल्ला के दामाद और फारुख अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मुहम्मद शाह को Defect कराके याने नेशनल कांफ्रेंस का पक्ष त्याग करवा कर मुख्यमन्त्री बनाया। शाह के साथ दलबदलू तेरह के तेरह साथियों को मिनिस्टर बनाया गया। कांग्रेस पार्टी उस अल्पमत सरकार का साथ देती रही। गुलाम मुहम्मद शाह ने भ्रष्टाचार और राष्ट्रविरोधी तत्वों को इतना बढ़ावा दिया कि कश्मीर के इतिहास में मूर्ति भंजक सिकन्दर शाह के अत्याचारों

की पुनरावृत्ति हो गई । कश्मीर घाटी में ५६ मन्दिर तोड़ें गये । कश्मीरी हिन्दुओं के मकानों को जलाया गया । हिन्दू स्त्रियों को अपमानित किया गया तथा कश्मीर से निकलने पर बाध्य किया गया ।

गुलाम मुहम्मद शाह को अपने कट्टर सम्प्रदायवाद और भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया और पुनः डॉ. फारूक अब्दुल्ला मुख्यमन्त्री बनाया गया है। जिस फारूख अब्दुल्ला के विरुद्ध लोक सभा में फर्दजुर्म लगे; जिसे राष्ट्रविरोधी सिद्ध किया गया, उसी के साथ कांग्रेस ने समझौता करके चुनाव लड़े । और सत्ता की बन्दरबांट कर ली ।

७६ सदस्यों की विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के दो ही सदस्य पहुँच सके हैं, कश्मीर में भारत विरोधी तथा उग्रवादी पाकिस्तानी मनोवृत्ति के चार व्यक्ति पहुँच गये हैं । चार स्वतन्त्र रूप से सफल हुए हैं ।

शेख अब्दुल्ला ने १९५२ में रियासत के हिन्दू महाराजा हरिसिंह जी को रियासत से बदर करा दिया । महाराजा की राष्ट्रभक्ति को पं० जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की दोस्ती पर कुर्बान कर दिया । महाराजा के सुपुत्र डॉ० कर्ण सिंह ने निर्वाचित सदरे रियासत बनकर अपने भविष्य को रियासत के वारिस की हैसियत से समाप्त कर दिया

शाह कमीशन के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विषय में बयान देकर कांग्रेस में सदा के लिये 'अविश्वस्त' की पदवी प्राप्त कर ली । जम्मूकश्मीर सरकार के दमन चक्र ने वैष्णवी भगवती का तीर्थस्थल डॉ० कर्णसिंह जी के धर्मार्थ विभाग से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया है। यह धर्मार्थ विभाग कोई डेढ़ सौ मन्दिरों की व्यवस्था और संरक्षण करता है जो वैष्णवी भगवती के तीर्थ के प्रबन्ध से छिन जाने के कारण एक असुरक्षा के वातावरण में पड़ गये हैं । सरकारी दमनचक्र और हिन्दू जन की अवसरवादिता ने तथा हिन्दू के व्यक्तिनिष्ठ चरित्र ने हिन्दू संगठन को बहुत कमजोर स्थिति में पहुँचा दिया है ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिन्दू का मनोबल बनाये हुए है परन्तु राजनैतिक सत्ता के अभाव में हिन्दू जन विवशता की मानसिकता से आक्रान्त अनुभव करता है।

महाराजा गुलाब सिंह द्वारा निर्माण की हुई हिन्दू रियासत जम्मूकश्मीर केन्द्र की मुस्लिम तुष्टीकरण का शिकार होकर निर्वाण के अन्धकार में बिलीन होने की ओर फिसलती जा रही है ।

भारत सरकार कब चेतेगी ? देश कब चेतेगा ? ० (समाप्त)

—११६ विजयगढ़; जम्मू

२९५

यूकेलिप्टस और राजीव गांधी

नरेन्द्र तिवारी

मुझे प्रधानमन्त्री राजीव गांधी और आधुनिक भारतीय (युकेलिप्टस) वन समान रूप से प्रिय हैं।

राजीव गांधी इसलिए कि वे हमारी 'स्वर्गादपि गरियसी' देश के प्रधान हैं। और वन विभाग के अनुसार चूंकि 'वन ही जीवन है,' इस कारण वन अर्थात युकेलिप्टस प्रिय हैं।

और भी अनेक विशेषताएँ युकेलिप्टस तथा हमारे प्रधानमन्त्री में हैं, जिनके कारण वे दोनों मेरे लिए समान रूप से प्रिय हैं। घर से बाहर निकलता हूं तो हर तरफ-आधुनिक वन युकेलिप्टस देखता हूँ, घर में रहता हूं तो टी० वी० पर राजीव गांधी को देखता हूँ।

मुझे वे दिन याद हैं जब युकेलिप्टस नया-नया अपने देश में लाया गया था, तब उसकी तारीफ में कहा गया था, यह जल्दी बढ़ता है, बहुत उपयोगी है, इसकी लकड़ी से 'पल्प' बनाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। और आपको भी याद होगा, ठीक इसी प्रकार राजीव गांधी राजनीति में लाये गये।

फिर हमारी सरकार ने देश की लाखों हेक्टेयर भूमि में युकेलिप्टस के जंगल लगाकर उजड़ते भारतीय वनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। और इसी प्रकार हमने राजीव गांधी को प्रधानमन्त्री बनाकर स्व० श्रीमती गांधी के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।

युकेलिप्टस की एक विशेषता यह है कि यह जल्दी बढ़ता है। हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी भी तेजी से आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं तथा जल्दी से जल्दी २१ वीं सदी में स्वयं ही नहीं तो सारे देश को ले जाना चाहते हैं और उसके लिए विदेशी तकनीक तथा सुपर

कम्प्यूटर की व्यवस्था में लगे हैं। फिर भले ही इस देश के लाखों लोग बेरोजगार हो जायें और करोड़ों पिछड़ जायें। राजीव जी तो आगे बढ़ेंगे।

युकेलिप्ट्स की एक विशेषता यह भी है कि यह बहुत खूबसूरत होता है। अपना माथा ऊँचा कर सीधा ऊपर उठता चला जाता है और आप सब गवाह हैं यही अंदाज हमारे प्रधानमन्त्री का भी है।

पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं कि युकेलिप्टस के पत्ते सीधे होते हैं, इस कारण उनमें पानी नहीं ठहरता, इस कारण जंगली जानवर युकेलिप्ट्स के जंगल से नहीं रह पाते। अब अपने देश में ही राजीव गांधी के राज में आम गरीब आदमी का जीना भी दूभर होता जा रहा है।

युकेलिप्टस की एक विशेषता यह भी है कि इसके आस-पास दूसरी झाड़ियां अथवा पौधें नहीं पनप सकते। तो राजीव गांधी के रहते कांग्रेस में दूसरा नेतृत्व नहीं उभर सकता। प्रणवदा, गुण्डूराव तो सूख ही गये, सेठी जैसे लोग निलंबन की बीमारी से मुरझा गये और अर्जुनसिंह ग्रामसिंह होकर घूम रहे हैं।

युकेलिप्टस की मुख्य विशेषता यह है कि यह विदेशी पेड़ है, सोयाबीन की तरह। सोयाबीन भी तो विदेशी पौधा है और २५-३० साल बाद भी अपने नागरिकों के लिए कोई उपयोगी नहीं बन पाया। अभी तक हमारे देश के गरीब लोग उसका तेल तक स्वेच्छा से नहीं खा रहे हैं, किसी तरह इक्कीसवीं सदी में पहुँचने तक जिन्दा रहने के लिए ही खाते हैं।

सुनने में आ रहा है कि पर्यावरण वैज्ञानिकों की तरह ही कृषि वैज्ञानिक भी सोयाबीन की आलोचना करने लगे हैं, लेकिन यहां चर्चा सोयाबीस की नहीं राजीव गांधी की, नहीं-नहीं युकेलिप्टस की हो रही है; तो युकेलिप्टस एक विदेशी पेड़ है आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी तो देशी हैं। अपने यहाँ परंपरा यह है कि विदेशी और विदेश होकर आये दोनों समान रूप से पूज्य हैं। तभी तो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमन्त्री हैं, अगर कहीं वे विदेश में रहकर तथा साथ में विदेशी पत्नी न लाते तो पता नहीं इस देश की जनता उन्हें प्रधानमन्त्री भी बनाती या नहीं।

भले ही राजीव गांधी का जन्म इस देश में हुआ हो लेकिन उन्हें इस देश की सभ्यता संस्कृति से उतना ही लगाव है, जितना किसी भी विदेशी को हो सकता है। अब अगर उन्हें यह ही नहीं पता हो कि विभीषण कौन था और वे सुश्रुत का सही उच्चारण भी न कर पाते हों, तो उन्हें देशी कौन कहेगा और फिर राजीव गांधी ही स्वयं को देशी कहलाना क्यों पसंद करेंगे, जब कि अपने यहाँ के कुत्ते तक विदेशी, पसंद किये जाते हैं तो राजीव गांधी भी युकेलिप्टस की तरह हमारे लिए विदेशी अर्थात पूज्य हैं।

युकेलिप्टस हमारे अपने देश में क्यों लाया गया, इसके बारे भी पर्यावरण वैज्ञानिकों को पता चल गया है। उनके अनुसार अमेरिका जैसे विकसित देश में युकेलिप्टस और युकेलिप्टस की लकड़ी से बनने वाले पल्प के कारखानों में होंने वाले प्रदूषण और उसके द्वारा मजदूरों में दमें का रोग फैलने से चिंतित हुए, तो उन्होंने सौजन्य वश यह काम हमारे जैसे देशों को दे दिया और साथ में 'पल्प' खरीदने की गारंटी भी क्योंकि उनके लिए तो यही उपयोगी है। लेकिन राजनीति के वैज्ञानिक अभी नहीं जान पाये हैं कि राजीव गांधी को क्यों इस देश में लाकर प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 'पल्प' जो कि युकेलिप्टस की लकड़ी से बनता है, की विदेशों में मांग है अर्थात हमारे लिए विदेशी मुद्रा कमाने का साधन है, उसी से तो विदेशी तकनीक और सुपर कंप्युटर खरीदेंगे। क्या फर्क पड़ता है यदि कुछ लाख लोग दमे का शिकार होकर दम तोड़ दें। आखिर हमें सुपर कम्प्युटर भी तो चाहिये। जिसे अमेरिका हमें देने को तैयार हो गया है, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम सुपर-कम्प्युटर खरीद रहे हैं या अमेरिका उसे हमारे गले मढ़ रहा है (या कोई दलाली का चक्कर हैं।)

अब पर्यावरण वैज्ञानिक कह रहे हैं कि युकेलिप्टस हमारे देश की शस्य श्यामला भूमि की उर्वरक शक्ति को नष्ट कर रहा है, भुमि के अंदर का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। युकेलिप्टस भूमि के कटाव को नहीं रोक पाता, यह नमी छोड़ता है और ज्यादा आक्सीजन सोखता है। इस कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है।

राजीव गाँधी : यूकेलिप्टसी छवि

पर्यावरण वैज्ञानिकों की तर्ज पर राजनीति के पंडित तथा पत्रकार भी उसी प्रकार की बातें राजीव गांधी के बारे में कर रहे हैं। वे कहते हैं कि राजीव गांधी सारे देश को बरबाद कर रहे हैं।

राष्ट्रीय एकता एवं सद्‌भाव का स्तर काफी नीचे चला गया है, भ्रष्टा-

चार को भी नहीं रोक पा रहे हैं। सांप्रदायिकता बढ़ रही है। तथा ज्यादा असंतोष भड़क रहा है। जिसके कारण सारे देश का सामाजिक पर्यावरण बिगड़ रहा है।

अब जब से मैंने पर्यावरण वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पढ़ी है और मेरे दिमाग में अपने देश के नेतृत्व की युकेलिप्टिसी छवि बनी है, मैं बहुत परेशान हूँ न घर में चैन है न बाहर और मैं अकेला ही क्यों परेशान और चिंतित रहूँ, इस कारण ही ये सारी जानकारी मैंने आप सबको भेजने की धृष्टता की है आप सब लोग परम संवेदनशील हैं, अतः मेरे साथ परेशान और चिंतित हों यही कामनाएँ हैं।०

–ज. ७०६ कोटरा, सुलतानाबाद
(भोपाल)

आराधना

□ रामलखन सिंह परिहार

युगवाणी चिर अमृतमय हो !
स्वयं अस्मिता की स्मृति में,
जटिल भाव-विकृति का क्षय हो !

बैठ सभ्यता-तरु की छाया,
खिले विश्व प्राणों की काया,
निर्विकार के नव परिमल से–
सुरभित, सस्मित, श्रांत निलय हो !

मिटे आज यह करुणा-क्रन्दन,
जन-गण करे शान्ति आलिंगन,
भावों के शुचि स्नेह स्वरों में–
अरुणिम राग अभय निर्भय हो !

बनें सदय संयत सत पथ पर,
बैठ साधना के द्रुत रथ पर,
पग–पग दुर्गम बाधाओं में–
कर्तव्यों की सतत् विजय हो !
युग वाणी चिर मङ्गलमय हो !!

–चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर–२०८००२

प्रेरक प्रसंग

धैर्य रखो

महात्मा गौतम बुद्ध वृद्धावस्था की ओर उन्मुख थे। एक दिन वे अपने निकटतम शिष्य आनन्द को साथ लेकर यात्रा पर निकले हुए थे। चलते-चलते वे काफी थक गये थे अतः एक वटवृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, 'आनन्द बेटे, मुझे प्यास लग रही है पानी की व्यवस्था करो।' आनन्द इधर-उधर पानी की तलाश करता रहा। थोड़ी देर में वापस आकर उसने कहा, 'गुरुदेव, अभी कुछ क्षण पूर्व ही तालाब से गाड़ियाँ गुजरी हैं, अतः मिट्टी मिल जाने से उसका पानी गन्दा हो गया है। यदि आप आदेश देवें, तो हम थोड़ी दूर पर झरना है उससे ले आवें।'

महात्मा बुद्ध बोले, 'जाओ झरने से ही ले आवो।'

आनन्द ने देखा कि अभी तो झरने का पानी स्वच्छ था और पीने योग्य था, उसने वैसा ही पानी लाकर गुरुदेव के हाथों पर रख दिया।

महात्मा पानी का लोटा हाथ में लिए हुए कहने लगे, 'बेटे आनन्द ! मैल इस पानी में स्थायी न था, समय की गति और जल का बहाव ही उसे अन्यत्र बहाकर ले गया। काम करो और धीरज के साथ प्रतीक्षा करो, शीघ्रता नहीं करना। प्रतिकूलता की मिट्टी समय के

महात्मा बुद्ध : धैर्य के आदर्श

बहाव में स्वयं बह जाती है और शेष रह जाता है सफलता का स्वच्छ निर्मल जल।'

तात्पर्य यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि समय का बहाव चलता रहता है और उसी के साथ प्रतिकूलता बहने लगती है और फिर शेष रह जाती है सफलता।

सेवा

आचार्य शिवशंकर जी शास्त्री भगवान् श्रीकृष्ण की पूजा सेवा में तल्लीन थे। वे मन्दिर में कंघी से बाल सँवारे, ललाट पर तिलक, नासिका में बुलाकें, कानों में कुण्डल, आँखों में अन्जन, प्यार से भरी चितवन, मन्द मुसकान से देवमूर्ति की ओर निहारने में लगे थे। आनन्द में भाव विभोर थे।

दरवाजे पर बाहर की ओर खन्न-खन्न की आवाज आने लगी। शास्त्री जी उठे। बाहर की ओर आये तो क्या देखते हैं कि एक सेठ गिन-गिनकर गिन्नियों के ढेर लगा रहा था। वह दस सहस्र स्वर्ण मुद्रा भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु लाया था।

शास्त्री जी ने कहा—'सेठजी, भगवान् को तुम्हारी यह भेंट स्वीकार्य न होगी यह धन सम्पदा यहाँ से ले जाओ।'

सेठजी ने कहा—'शास्त्री जी, मुझसे क्या गलती हो गयी?' शास्त्री जी ने उत्तर दिया 'यह जो गिन्नियों के गिनने में खनखनाहट हो रही है, वह दूसरे लोगों के कानों तक पहुँच जाने से उच्छिष्ठ हो गयी है। अब यह भगवान् की सेवा के काबिल नहीं रही है।

प्रेम, सेवा लोगों में विज्ञापन होने से गन्दा हो जाता है। क्योंकि वैसा होने से यश-कीर्ति, प्रतिष्ठा-आदर इन सर्वथा बहिरंग वस्तुओं की ओर मन आकर्षित हो जाता है। सेवा जितनी गुप्त रहती है, उतनी ही वह महान् होती है।

—विजय प्रकाश त्रिपाठी

८३/ ३२३, देवनगर, कानपुर

धर्म-सापेक्ष होने का आह्वान

□ अनिरुद्ध सिन्हा

आज समस्त विश्व में धार्मिक भ्रांतियों का जो जाल फैलता जा रहा है, उसके निराकरण में बुद्धि-जीवी वर्ग असफल होकर स्वयं भी किंकर्तव्यविमूढ़ता की ओर अग्रसर प्रतीत होता है।

हमारा देश धर्म-कर्म प्रधान रहा है। कभी धर्म पर इतना अधिक जोर दिया जाता है कि कर्म पक्ष शिथिल होने लगता है। परंतु, धर्महीन कर्म पक्ष भी मानव कल्याण में कोई सीधा सहयोग नहीं करता। वास्तव में मनुष्य का स्वाभाविक कर्म ही धर्म है। धर्म और कर्म में कोई तात्विक अन्तर नहीं है; परंतु संकुचित स्वार्थसाधकों ने धर्म और कर्म के मध्य अन्तर उत्पन्न कर एक तरफ कठमुल्लापन को, तो दूसरी ओर बेईमानी, भ्रष्टाचार और शोषण के नए-नए राजनैतिक, साहित्यिक व वैज्ञानिक तरीकों को भी आविष्कृत किया है। धार्मिक विषमताएं पनपती जा रही हैं। संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों ने जनमानस को पथभ्रमित कर रखा है। अत: सम्पूर्ण अनर्थों का कारण संकुचित स्वार्थी मन तथा समस्त कल्याण का कारण विकसित परमार्थी मन है। मन ही समस्त दुख-सुख का कारण है। यही हमारे धर्मशास्त्रों का सार है।

मैंने हिन्दू धर्म के शाश्वत एवं व्यापक मानवीय मूल्यों में अटल आस्था की प्रेरणा से जगद्गुरु शंकराचार्य (पुरी मठ) को एक पत्र लिखकर पूछा कि क्या भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? अगर यह सम्भव है तो विलम्ब क्यों?

एक सप्ताह बाद उनका उत्तर प्राप्त हुआ, जो कि निम्नलिखित है—

श्री हरि:

पुरी

श्री सिन्हा जी,

शुभाशी:

रावण, कंस, दुर्योधन, मानसिंह तथा जयचन्द के राज्य भी हिन्दू राज्य थे। इसलिए केवल हिन्दू राष्ट्र घोषित करने से काम नहीं चल सकता। धर्म-सापेक्ष पक्षपात-विहीन राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिये। उसके लिए आंदोलन भी करना चाहिए। हम ६० वर्ष से उसी में लगे हुए हैं। हम पीछे नहीं हैं, आप ही पीछे हैं। इति शुभम्।

श्रीचरणों की आज्ञा से

अलख

मैंने यहाँ इस बात को इसीलिए

चर्चा करना चाही, क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसी ही भ्रांतियाँ पनपने लगी थीं, तथा बराबर असन्तुलित रहने लगा था।

परंतु शंकराचार्य जी के उत्तर से मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली। मेरी भटकी हुई दृष्टि को उन्होंने दिशा प्रदान कर दी। लोग जब अहंकार से मुक्त होंगे, तभी तो किसी समस्या का निराकरण किया जा सकेगा।

विश्व में अनेक मत-पन्थ हैं, उनका अलग-अलग दृष्टिकोण है। अनेक सम्प्रदायों के अपने आकर्षण हैं, परंतु अलग-अलग ईश्वर मानकर ये सम्प्रदाय परस्पर भिन्नता रखते हैं। यह भिन्नता संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोगों द्वारा उत्पन्न की गई है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का सार यही है कि ईश्वर एक है। परंतु साम्प्रदायिक संकीर्ण दृष्टि वाले लोग पाखण्डवाद की आड़ मे सम्प्रदायों में परस्पर विद्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। परिणामस्वरूप जीव ब्रह्म से दूर होता जा रहा है। हम प्रकाश के बजाय अन्धकार की ओर, ब्रह्म के बजाय बिखराव की ओर जा रहे हैं। भारत की सम्प्रदाय-निरपेक्ष राष्ट्रीयता में व्याघात उत्पन्न करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

अध्यात्मवाद की ओर चलकर मनुष्य स्वतन्त्रता और मोक्ष प्राप्त करता है। भौतिकवाद में फँसकर मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता ह, तथा संकुचित स्वार्थों के लिये नाना प्रकार के कुकर्म प्रारंभ कर देता है। केवल धर्म ही मनुष्य में आस्था उत्पन्न करने में समर्थ है। यदि मनुष्य वैदिक ज्ञान से रहित है, तथा ब्रह्म को नहीं जानता तो वास्तविकता का ज्ञान कठिन ह। सब योग्यताएँ प्रेम के बिना, समता के बिना व्यर्थ हैं। केवल प्रेम ही ईर्ष्या को मिटा सकता है। धर्म का यही सन्देश है—प्रेम, मैत्री एवं समता। इसके विपरीत चलने से शांति, सुख तथा स्वास्थ्य असम्भव है।०

—गुलजार पोखर,
मुँगेर–८११२०१ (बिहार)

अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मिलने के लिए चल पड़े। अचानक सीढ़ी के पास आते ही उन्हें एक बात याद आ गयी और सोचा कि उसे डायरी में नोट कर लूँ। जेब से डायरी तथा पेंसिल निकाल कर लिखने लगे। अपनी समझ से वे खड़े होकर लिख रहे थे, पर दरअसल में वे चलते-चलते लिख रहे थे। नतीजा यह हुआ कि जीने से लुढ़कते हुए नीचे आ गए।

—डॉ० गोपालप्रसाद 'वंशी'

श्री लंका की समस्या :

वचनेश त्रिपाठी

कोई २८ वर्ष हुए, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की लिखी एक पुस्तक पढ़ी थी—नाम था, 'सिंहल घुमक्कड़ जयवर्धन'। यह जयवर्धन कौन थे ? इसका परिचय राहुल जी ने उक्त पुस्तक में दिया था। वह यह था कि सिंहल में एक सामान्य जन रहता था; जिसका एक पुत्र था 'नन्दा'। इसे यात्रा करने का चाव पैदा हुआ और तब बिना साधन-सहायता के ही यह लंका से यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान यह तिब्बत, नेपाल, बर्मा, मानसरोवर और भारत में खूब भ्रमण करता रहा। नन्दा अब तक बौद्ध भिक्षु बन चुका था। इन यात्राओं में राहुल जी ने यह सिद्ध किया है कि नन्दा का जीवन अतीव साहसी रहा--भिक्षु बन जाने पर उसका नाम पड़ा--जयवर्धन। यात्रा-विवरण तो इस पुस्तक में जयवर्धन का है लेकिन बजाय राहुल जी के, लगा कि पुस्तक के पृष्ठ जयवर्धन ने ही लिखे हैं। मैंने यहाँ शायद जरूरत न होने पर भी इतनी बात इसलिये लिखी कि आज से २८ साल पहले तक लंका में तमिल-सिंहली लोगों के बीच इस तरह दंगे नहीं होते थे। और एक सिंहली बड़े इत्मीनान से लंका से अकेले चलकर भारत-भ्रमण कर सकता था। उक्त सिंहली यात्री जयवर्धन ने लंका में रहते हुए भारत की यात्रा कर आना महत्वपूर्ण समझा, जैसे कि भारत से उसका आत्मिक लगाव हो और यह जो उसका 'जयवर्धन' नाम है, यह भी विशुद्ध भारतीय हिन्दी अथवा संस्कृत नाम ही है यद्यपि सिंहली इस शब्द या नाम को अपनी सिंहली भाषा का ही मानते हैं।

ध्यान देने की बात यह है कि यह 'जयवर्धने' न होकर 'जयवर्धन' ही लिखा गया प्रसिद्ध घुमक्कड़ लेखक राहुल जी की कलम से। कारण यह है कि इस नाम में अंग्रेजियत नहीं घुस पाई—'जयवर्धने' लिखा जाना अंग्रेजियत की देन है। यही दुर्दशा 'भण्डार नायके' या 'वण्डार नायके' जैसे सिंहली शब्दों की भी हुई है, वस्तुतः यह न 'भण्डार' है न 'वण्डार'; है 'बन्दर-नायक'।

'वानर' से 'बन्दर' लिखा गया, परन्तु अंग्रेजी की कृपा से 'बण्डार' और 'भण्डार' बन गया। जैसे कि ठेठ दक्षिणी नाम 'सीतारमैय्या' लिखा जाता है, पर वह सही नाम है, 'सीतारामय्य'। बंगाली में 'चाटुर्ज्या' लिखने का रिवाज चल निकला—यह भी अंग्रेजी की देन है--अन्यथा शुद्ध और सही नाम है

सुरसा का मुख

'चटर्जी' ।

सिंहली पाली से प्रादुर्भूत है, श्रीलंका में पालि-ग्रन्थों का बहुमूल्य भण्डार है। सिंहली का पाली से रिश्ता रहने से ही लंका में आज दूरदर्शन (टी० वी०) को 'रूपवाहिनी' लिखते-बोलते हैं। टी. वी. का 'रूप-वाहिनी' सिंहली नाम मुझे बहुत सटीक और सही लगता है—'दूर-दर्शन' रूपांतर उतना अच्छा नहीं।

कहना यह है कि भले 'रूपवाहिनी' (टी० वी०) को लंका वाले अपनी सिंहली भाषा का शब्द मानकर गर्व करें; परन्तु क्या यह शब्द हिन्दी, हिन्दुस्थान और हिन्दी भाषियों, बंगला-मराठी गुजराती-कन्नड़-तेलगू-भाषियों के लिए बेमानी या विदेशी हैं ? यह शब्द क्या पुकार-पुकार कर बताता नहीं, लगता कि कभी लंका और भारत धर्म-संस्कृति-भाषा-सभ्यता-और परम्परा के नाते एकात्म ही थे, अद्वैतरूपेण परस्पर एकता, स्नेह-प्रेम और धर्म की भावना से जुड़े हुए थे। हम हिन्दी में 'ठण्डा' बोलते-लिखते हैं, सिंहली में लंका के लोग उसी को 'तुषार' लिखते-बोलते हैं और यह तुषार भारत के लिये कितना अपना शब्द है ! ऐसे ही लंका में सिंहली-भाषी जनता 'रक्त' को 'रुधिर' एक को इकाई दो को 'दुनाई' तीन को 'तिनाई', दही को 'जोगहट' बोलते हैं। आप कहेंगे—'टेबिल साफ कर दो,' तो इसी बात को लंका में बोलेंगे—

'टेबिल परिष्कृत करनवा'

अब भारत के लिये यह 'परिष्कृत' अधिक प्राञ्जल है और 'करनवा' शब्द तो पुरबियों का अपना है ही।

लंका में पुरुष नाम होते हैं, जैसे—'अनन्त राजपक्ष' आदि और स्त्रियों के नाम होते हैं—'पद्मा प्रजापक्ष' आदि। ये नाम संस्कृत के कितने निकट हैं !

यह भाषाई रिश्ता मैंने यहाँ इसलिये दिखाया कि पाठक बन्धु देखें कि लंका न सिर्फ तमिलों के लिये वरन स्वयं भारत के लिये हर प्रकार से कितना अपना है, अपनी आत्मा के निकट है।

हाँ, बदलते समय के साथ अब लंका में भी जब किसी को नमस्कार करेंगे तो कहेंगे—'आई बो आन'। यह सिंहली का एकदम अंग्रेजीकरण है। बदलते युगों के साथ लंका भी बदल रहा है, इस सीमा तक कि वह आज अपने को बजाय भारत के पाकिस्तान, इजरायल और चीन के ज्यादा नजदीक समझता है। भारत ने विमानों से लंका में खाद्य-सामग्री गिराई, तो लंका के सुरक्षा मन्त्री ललित पाकिस्तान दौड़े गये। यह दौड़ न लंका के हक में अच्छी है, न भारत के। कहते हैं

मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो कहीं लंका सरकार पाकिस्तान को अपनी मस्जिद न मान ले—ऐसा हुआ तो वे खुद तो डूबेंगे सनम, यार को भी ले डूबेंगे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।

मेरे एक मित्र वर्षों घर की तरह लंका में जाकर रहे—रमे, कोई समस्या न आई। सन् १९२७ में, लंका में एक अखबार छपता था, जिसका नाम था—'लङ्का'। राहुल जी के तमाम लेख इस अखबार में छपे। उस जमाने में राहुल सांकृत्यायन का नाम था——'बाबा राम उदारदास'। इसी समय वे बौद्ध भिक्षु हुए——नाम पड़ा—राहुल सांकृत्यायन। कलकत्ता में एक दिन राहुल जी को लंका का एक भिक्षु मिला—उसने इनसे कहा——'लंका आओ। 'प्रोफेसर आफ संस्कृत' के नाते तुम वहाँ रह सकोगे; क्योंकि संस्कृत-ज्ञान तुम्हारा अच्छा है।'

राहुल लंका पहुँचे। वहाँ 'प्रोफेसर आफ संस्कृत' का काम उन्हें मिल गया। साधुओं का लम्बा कोपीन उतार कर राहुल जी ने अब प्रोफेसर रूप में लंका में धोती-कुर्त्ता पहनना अच्छा समझा। पालि-साहित्य वहाँ प्रचुरता से पढ़ा। उसमें पारंगत हो गये। ९–१० महीने तक कई हजार पृष्ठ पाली-साहित्य के पढ़ डाले। पाली साहित्य के पण्डित हो गये। सिद्ध है कि लंका के जो अध्येता थे, कितने सहज भाव से इस किस्म का परस्पर आदान-प्रदान करते रहते थे; कहीं कोई द्वैत या द्वेष आड़े न आता था।

इतिहास में और भी पहले जाएँ तो एक 'विजय' नाम के राजकुमार का नाम मिलता है, जो भारत से लंका में जाकर वहाँ का राजा बना। इससे भी पूर्व लंका से कुबेर और रावण के नाम जुड़े हुए हैं। रावण को तो तमिलनाडु के लोग अपना मानते ही हैं, भले लंका उसकी बसाई नहीं है, क्योंकि उसके भी पहले लंका पर कुबेर का स्वामित्व था। वहीं कुबेर अपने पुष्पक विमान सहित रहता था——एक दिन जब वह अपनी माता कैकसी से मिलने आया और मिलकर चलने लगा तो कैकसी उसे पुष्पक विमान पर बैठते देखकर एक अजीब भावना से भर उठी। रावण ने पूछ लिया—'मातर ! तुम क्या सोच रही हो ?' कैकसी ने कहा—'यही सोच रही थी कि तेरा यह भाई कुबेर कितना तेजस्वी है, काश ! तू भी ऐसा ही होता !' यह बात रावण के गहरी चोट कर गयी। उस दिन से विश्रवा मुनि का वह बेटा और पुलस्त्य ऋषि का नाती पौलस्त्य बदल गया। वह जो अभी तक वेद पढ़ता रहा था, उनके भाष्य में रम रहा था—भौतिकता की ओर वह प्रथम बार उन्मुख हुआ। बोला—

'मातर ! देखना, मैं इससे (कुबेर से) भी अधिक प्रभावी और तेजस्वी बनकर दिखा दूँगा।' तब तक कुबेर का पुष्पक यान काफी ऊँचा चढ़ चुका था; वैश्रवण रावण ने उसी दिशा में निहा-

रते हुए माँ को आश्वस्त किया था ।

और रावण एक दिन सच ही लङ्का में घुस पड़ा–उसने कुबेर को लङ्का से निकाल बाहर किया––स्वयं वहाँ का अधिपति बन बैठा । पुष्पक विमान भी कुबेर से रावण ने छीन लिया––वेदज्ञ और मुनि पुत्र रावण का यह नया रूप था–सत्ता का चस्का लग गया उसको, तो एक दिन उसने अपने सगे बहनोई विद्युज्जिवह्व को भी मार डाला और उसका राज्य अपने कब्जे में ले लिया–विधवा हो गई अपनी बहिन शूर्पणखा को भारत के दक्षिणी प्रदेश के जनस्थान (दण्डकारण्य) का क्षत्रप बनाकर भेजा, उसको १४ हजार सेना भी दी ।

राम रावण में यहीं पर बुनियादी अन्तर परिलक्षित होता है और इसी सन्दर्भ में याद आता है श्रीलङ्का में हो रहा जातीय संहार–स्वयं वहां के शासन द्वारा । प्रश्न है कि तमिल और सिंहली परस्पर क्या भाई-भाई नहीं ? दोनों का ही मूल देश भारत रहा है । स्वयं श्रीलङ्का के राष्ट्रीय सुरक्षा मन्त्री ललित अतुलत मुदाली कहते हैं–

> 'बड़े भैया (भारत) ने अनुचित कार्य किया है । हम भारत-विरोधी नहीं हैं । भारत से सिंहलियों के गहरे सम्बन्ध रहे हैं, लेकिन भारत-वासी यह बात समझते नहीं ।'

तो, यह है सिंहली की वह भावना, जिसको मैंने प्राचीन इतिहास से जोड़ना चाहा है कि सचमुच भारत और लङ्का

जल रही है लंका : आग कौन बुझायेगा ?

में कोई पुराना परम्परागत रिश्ता है या नहीं । परन्तु उसी 'बड़े भैया' को नीचा दिखाने के लिये सुरक्षा मन्त्री ललित हाल ही में न सिर्फ पाकिस्तान गए, वरन आज पाकिस्तानी फौजी सलाहकार जाफना स्कन्धावार में श्रीलङ्का के सैनिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं–वहाँ विदेशों से आये ३७ सैनिक परामर्शदाता डेरा डालकर पड़े हैं, इनमें पाकिस्तानी तो हैं ही, ब्रिटिश तथा इजरायली परा-मर्शदाता भी टिके हैं । आज श्रीलङ्का 'बड़े भैया' के खिलाफ पाकिस्तान से 'हवाई सुरक्षा' के नाम से गठजोड़ कर रहा है या कि कर चुका है, साथ ही

चीन, इजरायल और दक्षिण अफ्रीका से भी भारत के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करने तथा साजिश का ताना-बाना बुन रहा है, उन्हें सगा-सहोदर बना रहा है। नतीजे क्या होंगे, जाहिर है।

कैसा 'बड़ा भाई'? आज श्रीलङ्काई प्रधानमन्त्री आर० प्रेम० दास कहते हैं; 'यह जो भारत ने राहत सामग्री गिराई है, इसे मैं कुत्तों का मलत्याग मानता हूँ।'

क्या ही वीभत्स उपमा सूझी प्रेमदास को? नाम प्रेमदास और प्रकृति पाई है विष्ठा-दास की। विष्ठा ऐसी चीज नहीं कि हर आदमी का ध्यान इतनी जल्दी खींचे या हर जगह वह इसी घृणित वस्तु को खोजता फिरे! हाँ, संसार में एक जीव ऐसा है जो अगर कभी भोर बेला में भी किसी बाग-बगीचे में गया तो वहाँ वह फल-फूल-सुगन्ध-लता-वल्लरी की मंजुता न देखेगा, देखता फिरेगा वह सिर्फ एक चीज कि कहीं किसी कोने में किसी ने मलत्याग किया है या नहीं? वह उस सुन्दर स्थान में भी सिर्फ विष्ठा को ही खोजने में व्यस्त रहेगा, वह जाना-माना जीव है सुअर—तो सुअरों की संसार में कमी नहीं गालिब; एक ढूंढ़ो अनेक मिलते हैं।

प्रेमदास ने अपने नाम-धर्म के विपरीत अपनी इसी प्रकृति का परिचय दिया है—यद्यपि हम नहीं कह सकते कि भारत के शासन में भी ऐसे जीव नहीं हैं। जरूर हैं, जिन्हें रोज-ब-रोज ऐसे 'कुत्तों' की बड़ी खोज है, जो शासन गंदगी तलाशने के आदी हैं। शा सत्ता और शूकर-प्रकृति में कोई नि दत्त तालमेल है। अब कौन पूछे प्रधा मन्त्री प्रेमदास महाराज से कि तुमने श्रीलङ्का में ८ करोड़ ३३ लाख त की आर्थिक नाकेबन्दी कर रखी है, क्या भारत इतनी बड़ी संख्या में ल को भूखे मरते देखता रह स है? और जिस राहत-सामग्री को ले श्रीलङ्काई सरकार इतना तूल दे रही वह सामग्री तो ऊँट के मुँह में जीरा नहीं थी। विमानों से जाफना में सामग्री पहली खेप में गिराई गई पै शूटों के जरिये—वह कुल २५ टन थ प्रश्न है कि आठ करोड़ तैंतीस ल भूखे आदमी यह २५ टन खाद्य कि दिन खा सकते हैं? ये बातें कौन दे है? वह सामग्री भी गिराई जा स विमानों से, जिसके कारण श्रीलङ्का विश्व में भारत को बदनाम करने मौका मिल गया और सहज प्राप्त गए वे अबसर कि जिससे वह आज पा स्तान-चीन-इजरायल-ब्रिटेन के सै सलाहकारों को अपनी छावनी में सका। ऐसी घुसपैठ से क्या कोई अपनी रक्षा कर सका है?

एक प्रसंग याद आता है। पं० द दयाल उपाध्याय जिन दिनों अमेरि जा रहे थे, तो उनकी विदाई का कार्यक्रम हुआ, वहाँ मैं भी था। ब लखनऊ की है। मैने पूछा—'दीनदय

जी ! जो लोग यह अपेक्षा करते हैं कि अमरीका से भी भारत के रक्षात्मक उपायों में सहायता ली जानी चाहिए; क्या वह जरूरी है ?' दीनदयाल जी ने दो टूक उत्तर दिया था, कहा था—'भारत को ऐसी रक्षा नहीं चाहिए, उससे तो कहीं अच्छा होगा कि भारत की सुरक्षा न हो ।'

अमेरिका जाते वक्त कहे गये उनके ये शब्द आज भी उतने ही ताजे हैं कि हम अपने देश की रक्षा की बात दूसरों के भरोसे न सोचें। परन्तु जो पाकिस्तान ने किया, वही करतब श्रीलङ्का की सरकार कर रही है—दुष्परिणाम जो होने हैं, होंगे और भारत पर भी उनका प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है ।

तमिलनाडु में साढ़े पाँच करोड़ तमिल रहते हैं—उन्हें स्वाभाविक ही श्रीलङ्का के ८ करोड़ ३३ लाख तमिलियन जनता की फिक्र है और वह फिक्र भारत को भी है—होनी चाहिए । परन्तु यहाँ का नीरो तब चेतता है, जब उसका स्वार्थ खटाई में पड़ता नजर आता है—अन्यथा उसकी वन्शी अबाधित रूप से बजती रहती है ।

सर्वविदित है कि तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक जैसी विलगाववादी पार्टी से कांग्रेस गठजोड़ करके बैठी है—इसी गठजोड़ से वहाँ कांग्रेस का अस्तित्व बरकरार है और इधर आ गया राष्ट्रपति-चुनाव । उधर हरियाणा ने भी चुनौती दी—ऐसी स्थिति में कोई जादुई चिराग जलना ही था । हम, जाफना में जो हुआ उसे अलादीनी चिराग का जलना कह सकते हैं वर्ना बिना इस नौबत के पहले भी ऐसी राहत वहाँ पहुँचाई जा सकती थी और भारत की नौका-प्रकरण में साख भी न गिरती । नौका-प्रकरण से श्रीलङ्का के हौसले बढ़े—विमानों के जाने से भारत-विरोध उग्र हो गया । अब तो जो भी भारतीय वहाँ रह रहे हैं—उनकी जान साँसत में है । सिंहली लोग हर गैर-सिंहली को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं—वह लाठी है घृणा, द्वेष और प्रतिशोध की । उसी परिमाण में श्रीलङ्का सरकार ने जातीय संहार की दिशा में सैनिक कार्रवाई भी तेज कर दी है । वेलबत्तीतुराई और बड़ा मराची सेना के दो एकदम नवीन आक्रमणात्मक अड्डे खुल चुके हैं । सिंहली जनरल आफीसर कमांडिंग जनरल रणतुंगा तमिलों पर भारी बमों-राकेटों से हमला कर रहे हैं। ये बम-राकेट-मिमी के गोले श्रीलङ्का ने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और इण्डोनेशिया से लिये हैं ।

तमिल लड़ाकू-संगठन वहाँ अपने पाँवों खड़े हैं, वे बड़ामराची में खुद की अपनी ऐसी तीन फैक्टरियाँ खोले बैठे हैं, जो तोपों के गोले बनाती हैं । तमिल दलों के पास तोपें हैं । नापाम बम भी हैं, जिनसे बस्ती में आग लग जाती है । इसी क्षेत्र में उनका अपना एक बड़ा अस्पताल भी चलता है जहाँ संघर्ष या आक्रमण में घायल हुए तमिलों की

चिकित्सा का प्रबन्ध है। यह अस्पताल पोली मण्डी में है–यह जगह बड़ा मराची के अन्तर्गत ही आती है। बड़ामरात्री का क्षेत्रफल भी कम नहीं; यह ७ मील लम्बाई और ५ मील की चौड़ाई में फैला है। 'तमिल-टाइगर्स' ने यहाँ पहले से पाँव जमा रखे थे।

जाफना एक कस्बा है, जिसे जाफना प्रायद्वीप भी कहते हैं। खासे शहर की रौनक है वहाँ। 'ग्रैंड बाजार' वहाँ की प्रसिद्ध बाजार है। 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' के उत्तर क्षेत्रीय कमांडर सदाशिव कृष्णकुमार (किट्टू) और उनके सहकर्मी मेजर कनक रत्नम् (रहीम) जाफना में श्रीलङ्काई फौज की तुलना में भारी पड़ गए। उन्होंने महत्व-पूर्ण स्थलों से सेना को उखाड़ फेंका। पलालि के हवाई फौजी अड्डे मल्लइतिबु स्कन्धावार (छावनी) पर टाइगर्स ने कब्जा कर लिया था—मन्नार जिले के कई क्षेत्र, बावुनिया तथा मल्लइतिबु जिले भी टाइगर्स के अधिकार में थे। वहाँ उन्हीं का राज्य चलता है। सेना का वहाँ नाम-निशान नहीं।

यह स्थिति वहाँ गत ४ वर्षों में पैदा हुई–कोई आज की बात नहीं। एक लंबी लड़ाई का सिलसिला चला, चल रहा है। जाफना कस्बे मे ६ प्रवेशद्वार हैं; वे सब भी टाइगर्स के कब्जे में हैं। वहाँ उनके पहरुवे मार्च करते हैं। जहाँ सेना है–वहाँ से कोई ५० कोस दूर तक का इलाका टाइगर्स के अधिकार जा चुका। सेना सीमित है जाफना के दुर्ग में। जाफना से बाहर जाने के लिए लोगों को टाइगर्स पहरेदारों की इजाजत लेनी पड़ती है। दुर्ग में सिर्फ दो बटालियन सेना की हैं जो कुछ भी नहीं हैं। टाइगर्स उनकी परवाह नहीं करते। यह स्थिति उत्तरी श्रीलङ्का की है। न वहाँ सर-कारी दफ्तर हैं, न पुलिस, और न अदा-लत-कचहरी।

तब टाइगर्स ने वहाँ पूरे ११६ जन-न्यायालय खोले, वही मुकदमे निर्णीत करते हैं और टाइगर्स ही वहाँ इन्कम-टैक्स व सेलटैक्स वसूलते हैं (सरकारी बिक्री-कर, आयकर-विभाग वहाँ से साफ हो चुके हैं)। इसका क्या अर्थ हुआ? यही न कि उत्तरी श्रीलङ्का में शासन चलता है तमिल टाइगर्स का, जिसके प्रधान हैं वेलुपिल्लेप्रभाकरन। वे गत दिनों तमिलनाडु (मद्रास) में ही थे—फिर जाफना जाकर जम गये। उक्त स्थिति को सामने रखकर श्रीलङ्काई सरकार ने जाफना की आर्थिक नाके-बन्दी की–जिससे विवश होकर भारत को वहाँ ८५ टन राहत–सामग्री भेजनी पड़ी। इससे वहाँ की सरकार चिढ़ गई क्योंकि सामग्री से कुछ तो नाकेबन्दी पर असर पड़ा ही। सरकार सोचती थी भूखों मरने पर टाइगर्स श्रीलङ्का सरकार के आगे झुकेंगे, वार्ता करने पर मजबूर होंगे–वह स्थिति बनी नहीं। राष्ट्रपति जयवर्धने रटते ही रह गये कि–'टाइगर्स पहले अस्त्र हमें सौंप दें।' वह शर्त्त हवा

उड़ गई लगती है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कमांडर रणतुंगा की कमान में जाफना पर बमबारी तेज हो गई है तथा श्रीलङ्का की शर्तों के अनुसार भारत से राहत सामग्री की दूसरी खेप भी रवाना की जा चुकी है।

इधर विश्व-बैंक ने श्रीलङ्का की अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित जो रिपोर्ट छापी है, उसमें कहा है कि श्रीलङ्का को दोबारा अपने रुपये का अवमूल्यन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में श्रीलङ्का की स्थिति बिगड़ी है। बेरोजगारी बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय और भुगतान-संतुलन-स्थिति बदतर हुई है–यदि यही हाल रहा; तो श्रीलङ्का के एस० डी० आर० (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) में भी न्यूनता अवश्यम्भावी है। उसके विदेश व्यापार में ३० प्रतिशत ह्रास आया है। इसके लिए नीतियाँ बदलनी होंगी। यह रिपोर्ट तथा जाफना का उक्त विवरण श्रीलङ्का की अन्दरूनी स्थिति का आकलन प्रस्तुत करते हैं।

रही राहत–सामग्री पहुँचाने से उत्पन्न नई स्थिति की बात, तो शह तो श्रीलङ्का के ही हाथ रही। जो समझौता अब भारत-श्रीलङ्का के बीच हुआ है– उसमें सभी शर्तें श्रीलङ्का की ही मान्य रहीं। आगे भारत जो राहत–सामग्री श्रीलङ्का भेजेगा––वह पहले जाफना के कीकेसालुराई पत्तन (बन्दरगाह) पर पहुँचेगी–फिर वहाँ रेडक्रास के जरिये पीड़ितो में वितरित की जा सकेगी। यह राहत-सामग्री श्रीलङ्काई सरकार ही अपने कर्मचारियों से विभिन्न क्षेत्रों में भेजेगी और श्रीलङ्काई नौसेना बेड़े की निगरानी में ही सागरीय-सीमा में भारतीय राहत-बेड़ा आयेगा-जायेगा। यही शर्तें श्रीलङ्का ने पहले भी रखी थीं, पर तब भारत ने मानी नहीं। और जब बात का बतंगड़ हो गया तो वही शर्तें हमारे गले उतर गयीं–आखिर क्यों? इसका जवाब कौन दे? ०

–द्वारा/त्रिपाठी क्लीनिक
सन्डीला, हरदोई

एक हज्जाम उस्तरा लिए बड़ी तेजी से हजामत बनाने में लगा हुआ था। ग्राहक (दर्द भरी आवाज में) : अरे भई, तुम मेरी दाढ़ी के साथ साथ गाल भी क्यों छील रहे हो?

हज्जाम : आप फिक्र मत कीजिए। मैं आप से सिर्फ दाढ़ी छीलने का ही पैसा लूंगा।

–डॉ० वंशी

दंगे विशेष स्थानों पर ही क्यों ?

◙ कल्याण सिंह

मेरठ की घटना को एकांगी घटना या मात्र साम्प्रदायिक दंगा समझना भारी भूल होगी। यह दंगा देश को तोड़ने की सुनियोजित व लम्बी साजिश की श्रंखला की ही एक कड़ी है। यह पता लगाना जरूरी है कि इन दंगों में किन लोगों का हाथ है, कौन दोषी हैं और दंगा किसने क्यों किया अथवा कराया ? इन सारी बातों की छानबीन करनी होगी, विश्लेषण करना होगा।

इस प्रकार के दंगे कुछ विशेष स्थानों पर ही क्यों हो रहे हैं ? ये दंगे मेरठ मुरादाबाद सम्भल व अलीगढ़ में ही क्यों अधिक होते हैं ? और मथुरा, एटा व मैनपुरी आदि में क्यों नहीं होते वही जिले संवेदनशील क्यों बने हैं जहाँ एक वर्ग विशेष के लोग ३० प्रतिशत या इससे अधिक हैं ? दंगे के स्थल यही जिले क्यों हैं ? इन घटनाओं की सच्चाई को स्वीकारना होगा।

दंगों के पाँच कारण हैं। १ वोट की गन्दी राजनीति २ फिरकापरस्ती की जहरीली जहनियत, ३ प्रशासन की अक्षमता, ४ विदेशी हाथ विदेशी पैसा और, ५ शासन की फिरकापरस्त ताकतों के प्रति तुष्टीकरण की नीति। इन पाँचों कारणों को दृष्टिगत रखकर ही इस समस्या का हल निकल सकेगा।

क्या कभी भी शासन ने किसी भी दंगाई के खिलाफ कार्यवाही की ? १६७१ में अलीगढ़ में दंगा हुआ था। जाँच की गयी थी। क्यों नहीं उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया ? दंगों के लिये जिनकी जिम्मेदारी ठहराई गई थी उनको सजा क्यों नहीं दी गयी ? १६७७-७८ में अलीगढ़ में फिर दंगा हुआ। जाँच बैठाई गयी थी जनता पार्टी के शासन के दौरान। कांग्रेस की हुकूमत आई। जुडिशियल इन्क्वाइरी को ही खत्म कर दिया गया। क्यों रोक दी गई इन्क्वाइरी ? १६८० में मुरादाबाद दंगे हुए। सक्सेना आयोग बैठाया गया। रिपोर्ट आ गयी। उसमें साफ-साफ आरोप लगाये गये कि दंगों में साम्प्रदायिकता का जहर बोने का काम मुस्लिम लीग के नेताओं का है। सरकार ने क्या किया ? उसके बाद मुस्लिम लीग के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? (कांग्रेस ने केरल में मुस्लिम लीग के साथ व्यापक गठजोड़ करके उसे क्यों जीवित किया ?) दो साल के अन्दर रिपोर्ट को क्यों दबा दिया गया ? शासन ने किसके दबाव में आकर दंगा भड़काने वालों के विरुद्ध

कार्यवाही नहीं की ? जब से वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगभग डेढ़ दर्जन दंगे हो गये। इनकी सरकार को दंगों की सरकार कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगी ?

जिन्हें सदन में नहीं जेल में होना चाहिए !

साम्प्रदायिकता की मानसिकता वाले लोगों का कानपुर में जहरीला भाषण होता है।' भारत-माता को डाइन कहा जाता है। क्या इस भाषा से देश में साम्प्रदायिकता की आग नहीं भड़केगी। मैं निन्दा करता हूं इस भाषा की और इस भाषा को प्रयोग करने वालों की। ऐसा गर्हित भाषण करने वाले इस सदन में बैठे हैं। इन्हें तो होना चाहिए जेलों में।

ये खुला जहर फैला रहे हैं साम्प्रदायिकता का। गत ३० मार्च १९८७ को दिल्ली में रैली हुई। उसके बाद मेरठ में क्या हुआ ? ३० मार्च १९८७ को शहाबुद्दीन और अब्दुल्ला बुखारी ने कहा था अगर डेढ़ करोड़ सिखों को यह सरकार नही दवा सकती तो हमारी संख्या तो १०-१५ करोड़ के आस-पास है। हम सड़कों पर निकल आयेंगे तो ये देखते रह जायेंगे और इनकी सेना तथा पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मेरठ में तो इनके जहरीले भाषणों की केवल परिणति हुई है। शासन ने इनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ? ऐसे जहरीले भाषण होते रहे, साम्प्रदायिकता के बीज बोये जाते रहे। फिर भी शासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहा ? कौन सा दबाव था ? गत १४ अप्रैल को मेरठ में जो दंगे हुए, वे दंगे १९ मई को होने वाले दंगों का मात्र रिहर्सल थे। १४ अप्रैल के दंगों के दंगाइयों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्यों नहीं रोका गया उन दंगों को ? आरोप तो इस बात का भी है कि गत १६ मई की इंका रैली में जो लोग दिल्ली गये थे वहां मेरठ से कम गये, लेकिन वहाँ से लौट कर जो बसें आई वे दंगाईयों को लेकर लौटीं। इन बसों को क्यों नहीं चेक किया गया ? यह क्यों नहीं पूछा गया कि वहाँ पर हथियार कैसे आए- और कैसे तेजाब के ड्रम इकट्ठा हुये। जसके बाद १९ मई को दंगा होता है। २२ मई को दिल्ली में दंगा होता है। इसी क्रम २१ जून को अलीगढ़ में दंगा भड़कता है कोतवाली पर पथराव किया जाता है। वे कौन से तत्व हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ? अलीगढ में दो लोग मरे थे जो बेगुनाह थे।

हथियारों का जखीरा किसलिए ?

२५ जून को अलीगढ़ में सराय सुल्तानी के भीतर अब्दुलहकीम के यहाँ बम विस्फोट हो गया। ये बम कहाँ के लिए बनाए जा रहे हैं ? क्या देश की एकता और अखण्डता के लिए ? क्या

या देश की आजादी की रक्षा के लिए? २४ जून को मेरठ में भी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री अब्दुल अजीज आदि के यहाँ पकड़ी जाती है। इन अवैध हथियारों का देश में क्या होगा? क्या ये हथियार सीमा की सुरक्षा के काम आयेंगे? क्या यह सही नहीं है कि ऐसा वायुमण्डल पैदा करके देश की अखण्डता को खतरा पैदा किया जा रहा है? मैं शासन से जानना चाहता हूं कि ये तत्व कैसे और क्यों हथियार बना रहे हैं? कैसे बम बनाए जा रहे हैं? क्यों सी० आई० डी० फेल हो रही है? क्यों अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? क्यों अवैध हथियार बनाये जा रहे हैं? इन सब चीजों पर गौर करना होगा।

ये लोग बाहर भी जहरीला वातावरण पैदा करने में लगे हैं और कुछ लोग सदन के अन्दर भी जहरीला वातावरण पैदा कर रहे हैं। कोई भी मौका आता है, तभी बाबरी मस्जिद की बात काले झण्डे दिखाकर इस सदन में उठाई जाती है। क्यों उठाई जाती है? क्या बाकी लोगों की भावनाएं नहीं हैं? या इस तरह सदन में काले झण्डे दिखाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है?

रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मसला न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका है। रामजन्म भूमि का ताला न्यायालय द्वारा खुलवाया गया है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि उसका ताला किसी भीड़ ने नहीं खोला है। मैं यह भी साफ कह देना चाहता हूँ कि कोई अब्दुल्ला बुखारी और कोई शहाबुद्दीन किसी भी भीड़ को ले जाकर वहाँ ताला बन्द भी नहीं करवा सकते। किसी को तकलीफ होती हो; तो न्यायालय में जा सकता है। अतः सदन में बाबरी मस्जिद का काला झंडा दिखाने वालों की निन्दा करता हूँ, उनकी जहरीली जहनियत की निन्दा करता हूँ।

पूरा सत्य कहाँ?

अब मैं मेरठ के दुःखद काण्ड पर आता हूँ। मै सत्तापक्ष तथा विपक्ष के उन सभी नेताओं की भर्त्सना करता हूँ, जिन्होंने मात्र वोटर लिस्ट पर नजर रखते हुए सारे काण्ड की एकतरफा चर्चा की है और अपने संकीर्ण भाषणों से दंगाइयों के ही हौसले बढ़ाये हैं। यहाँ सबने मलियाना काण्ड पर तो चर्चा की है (उस काण्ड से मुझे भी तकलीफ हुई है। एक भी जान जाती है तो मुझे तकलीफ होती है।), लेकिन अफसोस की बात है कि इधर के लोगों को भी और उधर के लोगों को भी सबको मलियाना काण्ड तो याद आया, पी०ए०सी० का तथाकथित अत्याचार सबको याद आया, पी०ए०सी० ने गोली चलाई, सबको याद आया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि पी०ए०सी० पर भी किसी ने गोली चलाई।

१३–१४ अप्रैल को जो लोग मारे गये, उनकी लाशें किसी को याद नहीं

आयीं। लोधी गली पर मुसलमानों का एकतरफा हमला किसी को याद नहीं आया। गत १६ मई को अजय शर्मा की हत्या हुई, उसकी लाश की याद किसी को नहीं आई। २८ मई को कुलभूषण की हत्या हुई उसकी याद किसी को नहीं आयी। फिर १६–२० मई के दगों की याद किसी को नहीं आई, जब दंगाई जिधर चाहे आग लगाते रहे और कत्ल करते रहे। यह किसी को याद नहीं आया कि १६–२० मई को मेरठ शहर पूरी तरह दंगाइयों के हाथों लुटता रहा, जलता रहा। उनको यह भी याद नहीं आया कि डॉ० प्रभात जो आपरेशन करने जा रहा था और उसका नौकर उसके साथ था, की फिएट कार पर तेल छिड़क कर उन्हें जिन्दा जला दिया गया। मैंने उस जली हुई कार को स्वयं देखा है।

पिछले महीने मई की २८ तारीख को केन्द्रीय गृहमंत्री की अनुमति लेकर मैंने एक-एक चीज को वहां पर देखा है। बेगमपुल से लेकर हापुड़ रोड तक पेट्रोल पम्प जलाये गये, वह इन नेताओं को याद नहीं आया। दंगाइयों ने जिन लोगों की हत्या की क्या वे माई के लाल नहीं थे। श्रीमती शकुन्तला कौशिक का भाँन्जा, मेजर का भाई जो अपनी छत पर खड़ा था, उसे छत पर गोली मार दी और उसकी जीवन-लीला समाप्त कर दी। क्या वह किसी माँ का लाड़ला नहीं था? कितनी माताओं की गोदियाँ सूनी

कर दी गयीं और कितनी ही ललनाओं के माथे का सिन्दूर उजाड़ दिया गया। लोगों को इसकी याद नहीं आई।

इन्हें एक ही बात याद आती है, मलियाना-मलियाना। दोनों बातें कहो। मलियाना में कुछ हुआ है, उसे भी कहो, किन्तु शेष जगह जो हुआ है और उससे भी ज्यादा हुआ है, उसे भी कहो। मेरठ में पिलोखड़ी रोड पर ११ कारखाने धू-धू करके जला दिये गये। १५ लोगों को आग में जला दिया गया, उनकी लाशें इन्हें याद नहीं आतीं। नैपाल सिंह के फार्म पर दंगाइयों द्वारा लोगों की १८ हया

याद नहीं आती। मलियाना से पहले जो कुछ हुआ, उसको भी तो कहो। पुलिस की राइफलें छीनी गईं, पी०ए०सी० पर हमले किए गये, लेकिन आज पी० ए०सी० पर आरोप लगाये जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पी०ए०सी० ने अत्याचार किया। लेकिन, मैं कहता हूँ कि अगर मेरठ के अन्दर समय रहते पी०ए०सी० न पहुँची होती, तो मेरठ का नक्शा और विकृत हो गया होता, दंगाइयों ने मेरठ श्मशान बना दिया होता। इस्लामाबाद के पास बैंक कालोनी है जहाँ ६६ मकान और ४५० लोग रहते हैं। यदि वहाँ ५ मिनट देर से पी०ए०सी० पहुंचती; तो ये ६६ मकान धरती पर न होते और इनके रहने वाले लोग खत्म हो गये होते। इसकी याद किसी को नहीं आती।

प्रारम्भ कहाँ से हुआ, इसे भी याद करना चाहिए। यदि प्रतिक्रिया को देखो, तो क्रिया को पहले देखना चाहिए। क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती और यह प्रतिक्रिसा किसी तराजू पर तौलकर नहीं होती। कभी ज्यादा होती है, तो कभी कम होती है। क्रिया दंगाइयों ने सुनियोजित ढंग से की। मस्जिदों से जहरीले भाषण दिये गये। नौगजा की मस्जिद, इमिलियान की मस्जिद, इस्लामाबाद की मस्जिद, जैदीफार्म की मस्जिद, विकासपुरी की मस्जिद तथा श्यामनगर की मस्जिद से उत्तेजक भाषण दिये गये। जो भाषण दिये गये, उसे भी मैं आपको सुनाता हूँ इन प्रसारणों का टेप किया हुआ यह कैसिट मेरे पास है। जिसे सुनना हो, सुनवा सकता हूँ। इन मस्जिदों से १९ मई की प्रातः ३ बजे से एक साथ यह प्रसारण किया गया

> 'मुसलमानो इस्लाम खतरे में है, हथियार लेकर निकल पड़ो, रमजान का महीना चल रहा है, मजहब की हिफाजत में शहीद होओगे तो जन्नत मिलेगी और जीत गये तो गाजी कहलाओगे, दोनों हाथों में लड्डू हैं, काफिरों को मार दो और मंदिरों को तहस-नहस कर दो।' 'यह पी०ए०सी० पंजाब से पिट कर आई है, यह हमारा क्या बिगाड़ सकती है।'

क्या इन जहरीले ओर उत्तेजक नारों से-भाषण से देश के अन्दर सामंजस्य हो सकता है? इन पर गौर करना होगा। मेरठ का दंगा कोई सिर्फ साम्प्रदायिक दंगा नही बल्कि साफ तौर पर एक बगावत थी, एक देशद्रोह था। हिन्दुस्थान को गृह-युद्ध की आग में झोंकने का एक सोचा-समझा पूर्वाभ्यास था। ये वही लोग हैं जिन्होंने १९४७ में देश के टुकड़े कराये थे, आज पुनः देश के विभाजन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। सरकार कहती है कि विदेशी ताकतों का हाथ है। मैं इसे नहीं नकारता। मैं मानता हूँ कि है विदेशी ताकतों का हाथ। लेकिन सरकार क्या कर रही है?

विदेशी ताकते यहाँ पर काम किये जा रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है ऐसा लग रहा है कि विदेशियों का हाथ देश में और देश के सत्ताधारियों का हाथ विदेशी बैंकों में लगा हुआ है। क्या यही सरकार का काम है? यह पता लगाना चाहिये कि हथियारों का जखीरा कहाँ से आया, १३ ड्रम एसिड कहाँ से इकट्ठा हुआ, क्या यह एक ही दिन में हो गया? पाकिस्तान की राइफलें, चीन की राइफलें कहाँ से आ गयी? पैसा कहाँ से आया? पाकिस्तानी तत्वों को कौन शरण दे रहा है?

यह विनाश !

डी०जी०पी० (पुलिस महानिदेशक) कोतवाली में मीटिंग करते हैं और किन्हीं तत्वों की यह जुर्रत हो जाय कि डी० जी०पी० पर गोली मारी जाय। जहाँ के डी० जी० पी० सुरक्षित नहीं हैं, वहां आम जनता की सुरक्षा की क्या गारण्टी है? इसीलिये मैं कहता हूँ कि यह मात्र साम्प्रदायिक दंगा ही नहीं है अपितु यह दंगा देश को तोड़ने की बहुत लम्बी साजिश का पूर्वाभ्यास है। इन दंगों को जब इसी रूप से लिया जायेगा, तभी इनका समाधान होगा। इस दंगे में ३०० लोग मारे गये और ४०० वाहन फूँके गये, ५०० घर, मकान, दुकान और कारखाने नष्ट कर दिये गये, ११ कारखाने जिनमें ६०० करोड़ रु० का टर्न ओवर था (पिलोखड़ी रोड पर,) नष्ट कर दिये गये। हजारों लोगों को बेरोजगार बना दिया गया, उद्योग चौपट कर दिये गये, और आर्थिक ढाँचा ध्वस्त कर दिया गया।

सभी मानते हैं विदेशी हाथ है

केन्द्र के गृहमन्त्री कहते हैं कि दंगा पूर्वनियोजित था, कांग्रेस (इ) के विधायक अजीत सिंह सेठी कहते हैं कि दंगा पूर्वनियोजित था, बाबू मोहम्मद उमर अलवी, (महामन्त्री कांग्रेस (इ) मेरठ) कहते हैं कि दंगा सोची समझी स्कीम के अन्तर्गत हुआ है इसमें बाहरी तत्वों की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता, श्रीमती शारदा त्यागी अध्यक्ष मेरठ मण्डल महिला काँग्रेस (इ) कहती हैं कि इन दंगों के लिए शहरी विकासमंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जिम्मेदार हैं—मोहसिना किदवई प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप करती हैं, साम्प्रदायिक तत्वों की पैरवी करती हैं। इन्होंने कहा कि मोहसिना किदवई को उस वर्ग से कोई सहानुभूति नहीं; जिनकी सर्वाधिक क्षति हुई है। श्री कैलाश प्रकाश (नेता कांग्रेस (इ)) कहते हैं कि दंगे पूर्व नियोजित हैं तथा इसमें बाहरी तत्वों का हाथ है; श्री जय नारायण शर्मा, विधायक मेरठ नगर कांग्रेस (इ)) ने भी कहा कि यह दंगा नहीं है, सिविल वार है। भूतपूर्व विधायक श्री मोहन लाल कपूर ने माना है कि दंगों के पीछे प्रशिक्षित विदेशी तत्वों का हाथ है। यही बात कांग्रेस के नेता श्री मामचन्द्र (सम्पादक 'दैनिक मयराष्ट्र') ने भी स्वीकार की

हैं।

एक इम्प्रेशन हो गया कि सरकार कमजोर है। चूँकि आपकी सरकार कमजोर हैं, इसलिये इस कमजोरी का दुरुपयोग करके फिरकापरस्त लोग देश की अखण्डता को कमजोर कर देना चाहते हैं। देशद्रोही लालडेंगा के साथ समझौता, लोंगोवाल के साथ पंजाब का एकतरफा समझौता, केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता और शाहबानो प्रकरण में कानून मे परिवर्तन करके कठमुल्लावाद के साथ समझौता, इसी बात को सिद्ध करते हैं कि यह सरकार कमजोर है और फिरकापरस्त तथा अलगाववादी तत्वों की यह धारणा बन गई कि यह सरकार कमजोर है-डरपोक है। अतः डराओ, धमकाओ, हिन्सा फैलाओ और अपनी हर बात मनवाओ।

पूरे दंगे की जाँच क्यों नहीं ?

मलियाना काण्ड की जांच हो रही है, अवश्य हो। लेकिन अकेले मलियाना काण्ड की ही न्यायायिक जाँच क्यों, पूरे दंगे की जांच क्यों नहीं ? दंगा केवल १९ मई से नहीं १४ अप्रैल से शुरू हुआ था, लोधीवाली गली पर हमला हुआ था, वहाँ से दंगों की न्यायिक जाँच क्यों नहीं ? दंगाइयों के चेहरे बेनकाब होने चाहिये। आज जो पाकिस्तानी तत्व मेरठ उत्तर-प्रदेश में हैं, क्यों ये दंगों के लिये जिम्मेवार नहीं हैं ? भारत में एक करोड़ घुसपैठिये हैं, इनमें कुछ उत्तर-प्रदेश में भी होगे. इसकी जाँच होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ श्रीमती मोहसिना किदवई के आचरण की भी जाँच की मांग करता हूं। १४ अप्रैल के दंगों के दौरान यामीन खान के साथ उनकी बैठक मेरठ सर्किट हाउस में हुई, उस यामीन खान, जिनको डी० एम० ने रासुका में बन्द किया है, की मोहसिना किदवई की एकांत में बैठकर बातचीत का फोटो मेरे पास है, इसकी जाँच होनी चाहिये। इसकी भी जांच होनी चाहिये कि मा० मुख्यमन्त्री जी, जो वहां मौजूद थे; इन दंगों को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय करना चाहते थे ? दंगाइयों को देखते ही गोली मारने की घोषणा रोकी गयी, क्या इसमें मोहसिना किदवई का दबाव पड़ा था ? एक साहब ने कहा कि रमजान में तलाशी नहीं लेनी चाहिये थी। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दंगाइयों के हाथ में हथियार हैं और वे हिंसा कर रहे हों, तो कार्यवाही करने में कोई त्योहार आड़े नहीं आना चाहिये।

क्या मौतों के ऊपर एक ओर मातम मनाया जाता रहे और दूसरी ओर जश्न मनाया जाता रहेगा ? क्या लोग यही मांग करते हैं ? जफर अली को पकड़ा गया, जिसके पास जखीरा निकला हथियारों का। उसको रासुका में बन्द किया गया। लेकिन किसका दबाव आ गया कि जफर अली को रासुका से मुक्त कर दिया गया ? यदि इस्लामाबाद, जली कोठी, हाशिमपुरा, शाहीपीर गेट व

इसलियान में छापा मारा जाय, तो हथियारों के जखीरे के जखीरे आज भी निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ? यदि इन जखीरों की व्यापक तलाशी नहीं ली गई, तो मेरठ में किसी और बड दंगे की सम्भावना बनी रहेगी।

अतः, मलियाना के दंगे के साथ ही साथ पूरे दंगे की न्यायिक जाँच करायी जाय और उसी के साथ इस सदन की भी एक कमेटी बनायी जाय जो उन दंगों की जांच करे। शासन और प्रशासन चूँकि एक पार्टी है इसलिये सदन द्वारा बनायी गयी कमेठी निष्पक्ष जाँच कर सकेगी। सरकारी जाँच समिति सही और निष्पक्ष जाँच नहीं कर सकेगी। सत्तापक्ष में बहुमत है, उनके सदस्य उस कमेटी में कुछ ज्यादा संख्या में रहेंगे, किन्तु विपक्ष के भी कुछ सदस्य उसमें होने चाहिये जिससे कि दंगाइयों के चेहरे बेनकाब हो सकें। दूसरे पूरे दंगे की न्यायिक जाँच होनी चाहिये क्योंकि इसके बिना दंगाइयों के चेहरे बेनकाब नहीं होने पायेंगे।

इस बात की भी जाँच होनी चाहिये कि किन नेताओं-किन लोगों ने मलियाना में १११ लोगों के मारे जाने की अतिरंजित बातें कहकर उत्तेजना पैदा

की, जब कि आज उनमें से ८५ लोग जीवित अपने घर वापस आ गये हैं ? वशीर अहमद ने अपने एक सम्बन्धी चाँद खाँ को मरा बताकर २० हजार रुपये का अनुदान ले लिया, जब कि चाँद खाँ आज भी जीवित है। उस वशीर खां के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मौके पर जानकारी मिली है कि मलियाना में बशीर ने पी०ए०सी० पर मस्जिद से गोली चलाई। सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

जब दंगाई हत्यायें करते रहेंगे, जिन्दा लोगों को आग में झोकते रहेंगे, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट करते रहेंगे, पुलिस, पी०ए०सी० पर गोली चलाते रहेंगे, तो क्या पी०ए०सी० हाथ पर हाथ बांधे खड़ी देखती रहेगी ? मैं उन लोगों की भी निन्दा करता हूं जो साम्प्रदायिक आधार पर पी०ए०सी० का गठन किये जाने की बातें कर रहे हैं ? क्या ये लोग अब दंगों को गलियों-गलियारों और सड़कों से पी०ए०सी० की बैरकों में पहुँचाना चाहते हैं ? तब देश कीं एकता का क्या बनेगा ?

दूसरी मांग है कि बेगमपुल से ले करके हापुड़ रोड तक जितनी भी क्षति हुई, पेट्रोल पम्प नष्ट हुए हैं, गोल कुँआ पर सूत का मार्केट नष्ट हुआ हैं, पिलोखड़ी रोड के ११ कारखाने नष्ट किये गये हैं जिनमें ६०० करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर होता था उनकी शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति की जाय। सूत की दुकान वालों का जो नुकसान हुआ है उन दुकानवालों का पूरा पैसा दिया जाना चाहिये। नेपाल सिंह के फार्म की क्षति-पूर्ति की जाय। मृतक के परिवारों को पुर्नानवास के लिये कम से कम एक लाख रु० दिया जाना चाहिये। दंगाइयों ने जिनकी भी सम्पत्ति नष्ट की है, उनको शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाय। व्यवसाय को पुन: चालू करने के लिये आर्थिक सहायता भी दी जाय।

देश बचेगा, तभी दल रहेगा

सभी दलों से निवेदन है कि वोट की राजनीति से ऊपर उठिये और देश से प्यार कीजिये। देश बचेगा तो पार्टी का अस्तित्व बचेगा और यदि देश ही नहीं बच पायेगा, देश ही टूट जायेगा तो पार्टियों की कोई कीमत नहीं रहेगी, दंगाई कोई भी क्यों न हो उसके प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। दंगा करने वाले की कोई कौम नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। दंगा करने वालों के साथ जो कोई भी लिंक रखता है वह भी उतना ही दोषी है जितना दंगा करने वाला। जहां कहीं भी ऐसी लोग हों जो कि दंगाइयों को पनाह देते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से निपटना होगा। दंगाई मनोवृत्ति को सख्ती से कुचलना होगा। दंगाइयों को यह अहसास कराना होगा कि दंगा करना बहुत मंहगा पड़ता है और हर दंगाई को उसकी सजा भोगनी पड़ती है।

फिरकापरस्तों को निकालो

सत्तापक्ष और विपक्ष से यह अपेक्षा है कि जिन-जिन पार्टियों में फिरका-परस्त मानसिकता के लोग हैं, जो जहरीले भाषण देकर देश की एकता नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें बेनकाब किया जाय और उनको उन-उन दलों से निकाल बाहर किया जाय। लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ लोग ऐसे ही तत्वों को अपना नेता मानते हैं। मैं पुनः कहता हूँ कि तब तक कार्य नहीं चलेगा जब तक कि ऐसे तत्वों पर रोक नहीं लगेगी। वोट की राजनीति से दंगे नहीं रुकेंगे। दंगों से देश की प्रगति रुकती है लेकिन कुछ लोगों की राजनीति ही दंगों पर चल रही है। सारे प्रकरण की जाँच न्यायिक करायी जानी चाहिये और ऐसे कारगर उपाय करने चाहिये कि ये दंगे भविष्य में न हो सकें।

—नेता भाजपा विधान मंडल, उ०प्र०

(२६ जून को विधान सभा में दिये गये भाषण पर आधारित)

ऐसी हो तदवीर

▣ राजेन्द्र अवस्थी 'रंक'

हिमगिरि शुभ्र मुकुट है सिर पर सागर स्यामल चीर
देवपुरी अनुहार हमारी धरती की कश्मीर।
अन्याय दमन से लड़ने हित
वन-बन भटके रघुराई,
त्रिदेव यहाँ बालक बन
झूले महिमा सतियों की गाई,
हारी मौत यहां नारी से बदली सावित्री ने तकदीर।
कर्म युद्ध सन्देश सुनाती
गीता मद हरने को,
धमार्थ यहां प्रेरित करती
संग बान्धव के लड़ने को,
रुचे प्रेम रस पगे साग ठुकरायी हरि ने खीर।
राजपुताने का शौर्य सुनाती
अब तक हल्दी घाटी,
सिंह सपूत चुने दीवारों में

तजी नहीं परिपाटी,
बलिदानी लोहू से रंगकर माटी बनी अबीर ।

गिरधर के रंग रंगी यहाँ
पर प्रेम दिवानी मीरा,

गागर में सागर भरे विहारी
मांगें खैर कबीरा,
परिहित सरिस धर्म नहिं कहि मेटे तुलसी मनकी पीर ।

हिन्दी की बिन्दी तो
माँ के माथे बीच सुहाती,

तमिल तेलुगू बनी तोडिया
कंगना बंगला अरु गुजराती,
उड़िया, उर्दू, राजस्थानी गले बंधी जंजीर ।

सबको पार उतारे भव से

सरयू सरस्वती त्रिवेनी,

घूमे जो चार धाम हंस
चढ़ता स्वर्ग नसैनी,
अन्तकाल में मोह छुड़ावें निर्मल गंगा नीर ।

पिउ-पिउ कर पपीहा बोले
लोरी कोयल गाती,

मस्त मयूरा नाचे वन में
गौरैया मन बहलाती,

हरि चर्चा में ध्यान लगाए बैठा मतवाला कीर ।
गर बसन्त में फूलें कलियां
तो पतझर के भी आदी,

शरद पूर्णिमा रात रुपहली
जनु अमृत बरसाती,
रिमझिम पड़ैं फुहार चलेपुरवइया मन उठै विरह की पीर ।

खण्ड-खण्ड न हो फिर यह भूमि

मन के मैल मिटायें,

देशद्रोही जय चन्द्र

दुबारा पनप यहां न पाये,
विश्व क्षितिज पर भारत चमकै ऐसी करो तदवीर ।

—भरथना, इटावा (उ०प्र०)

उमाशंकर शुक्ल 'उमेश'

सच कहने में है पाबन्दी।
पीड़ित-स्वर पर तालाबन्दी,
कलियों को है चिन्ता भारी।
माली आज हुआ व्यभिचारी ।।

पतझर से पीड़ित बसन्त है।
बोलो मत ! यह लोकतंत्र है ।।

मुख पर कृत्रिम मुखौटा डाले।
तन के उजले मन के काले,
ये ही अपने साथी-रक्षक।
आस्तीनों में पलते तक्षक ।।

स्वार्थ-साधना मूल-मन्त्र है।
बोलो मत ! यह लोकतंत्र है ।।

ठण्डा गरम सभी पीते हैं,
गैरों के श्रम पर जीते हैं।
त्याग-तपस्या इनका नारा,
बलिदानी है भाषण सारा ।।

वशीकरण का यही तंत्र है।
बोलो मत ! यह लोकतंत्र है ।।

महँगाई आकाश चूमती।
मस्ती में मदहोश झूमती,
भ्रष्टाचार मल्हारें गाता।
अनाचार नंगा इठलाता ।।

अपराधी-दोषी स्वतंत्र है।
बोलो मत ! यह लोकतंत्र है ।।

युग-दशकन्धर पनघट-पनघट ।
चमन-चमन कौओं का जमघट,
न्याय-नीति की बात व्यर्थ है ।
आजादी का यही अर्थ है ।।

तानाशाही वोटतंत्र है।
बोलो मत ! यह लोकतंत्र है ।।

–चित्रकूट धाम, (कर्वी)
बांदा (उ० प्र०)

●

कहानी

बोध

■ प्रेमजी 'प्रेम'

कुँवरी जब घर लौटी तो जोर-जोर से गालियां उच्चारित कर रही थी। कभी चतुर्भुज को, कभी गाँव को, कभी भगवान को, तो कभी अपने आप को। बारी-बारी से सबको गालियों में लपेट रही थी। गलियारे में बैठे लोग उसके रौद्र रूप को देखकर अचम्भित नहीं हुए, क्योंकि वे सब कुंवरी के क्रोध से परिचित थे। कुंवरी को अप्रसन्न करने का साहस किसी में नहीं था, क्योंकि उसके कोपभाजन का परिणाम जानते थे। बचपन से ही वह गुस्सैल थी। उसके क्रोध में उसके वैधव्य ने दुगुनी बढ़ोत्तरी कर दी थी। यूँ, कुंवरी के समाज में पुनर्विवाह की प्रथा सामान्य थी। नाता-गोता भी होता था। लेकिन, कुंवरी ने ऐसे तमाम प्रस्तावों को ठुकराते हुए हमेशा यही कहा था–'ईश्वर ने मनुष्य बनाया है। आदमी की तरह जीना चाहिये। बच्चों का लालन-पालन करना ईश्वर का आदेश है। नये पति को रिझाने का काम पाप है।' पाप और पुण्य की उसकी अपनी परिभाषाएं थीं। वह समय-समय पर उन्हें विस्तार से समझाती थी। ईश्वर में अटूट आस्था को वह अपनी शक्ति मानती थी। कुछ नये विचारों के युवक उससे ईश्वर के बारे में तर्क करते थे और उसके कोपभाजन बन जाते थे।

गालियां देती हुई कुंवरी आई; थोड़ी देर के लिये अपने झोपड़े में गई और उसी तरह क्रोध की प्रतिमूर्ति बन कर वापस लौट गई। कुछ लोगों ने उसके साथ जाने के बारे में दूसरों से कहा–'जाओ यार! देखो! महारानी आज किसकी खबर लेने जा रही है?' स्वयं उसके पीछे जाने के स्थान पर एक दूसरे से जाने के लिये कहते रहे। कुंवरी गली का कोना पार करके अदृश्य हो गई। गलियारे में बैठे लोग ठट्ठा करने लगे।

जब लौटी तो सूरज की गरमी बढ़ गई थी। कुँवरी की गरमी कुछ कम

हुई थी । गलियारों से लोग छप्परों के नीचे चले गये ।

'क्या हुआ, कुंवरी ? आज सुबह-सुबह किसके लत्ते ले रही थी', बा ने पूछा ।

'लत्ते ले रही थी, उस पापी पंडित के । चतुर्भुज के । पूरनमासी का दिन है और कहता है कि हमें दर्शन करने का हक नहीं है । हम मन्दिर में नहीं जा सकते । मन्दिर जैसे उसके ही बाप-दादाओं की जागीर हो । अब वो मजा आयेगा कि कुँवरी को जनम भर याद करेगा ।' उसने छप्पर के सामने रुककर उत्तर दिया ।

'लेकिन तुझे आज मन्दिर जाने की क्या सूझी ? तू तो जानती है कि मंदिर में हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता ।' बा ने सहज होकर पूछा ।

'जाने क्यों नहीं दिया जाता ? कौन सी किताब में लिखा है कि भगवान का यह आदेश है । हम जाएंगे और जरूर जाएंगे । उनकी मजाल नहीं कि हमें रोक लें', कुँवरी ने दृढ़ता से कहा ।

'और समाज का कायदा कानून

देखो वकील साऽऽब ! अगर फोकट में मुकदमा लड़ने में तकलीफ होती हो, तो फीस बता दो ।

कुछ नहीं ?' बा बोलीं।' हमें जिस समाज में रहना है उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। याद नहीं ? जब चतुर्भुज ने लाठी से पिल्ले को मार दिया था, तो उनके समाज ने उसे महीने भर तक मन्दिर में नहीं जाने दिया था। घर के बाहर बैठाकर ही उसे रोटी दी जाती थी। आखिर क्यों ?'

'हमने किसी का पिल्ला नहीं मारा है, बा, कि हमको कोई मन्दिर में जाने से रोके। समाज में सब एक हैं, हम

'फिर क्या किया ?' बा ने पूछा।

'करना क्या था। थाने में रपट लिखा दी। और आज दोपहर में ही जाकर किसी वकील से मिलूंगी। अदालत में घसीट कर रख दूँगी। भले ही बर्बाद ही क्यों न हो जाऊँ।'

'अब दुबारा गुस्सा क्यों बढ़ा रहा है ? थाने में रपट लिखा दी सो ठीक। अदालत में घसीटेगी; सो भी ठीक। लेकिन अपने आप पर तो काबू कर', बा ने समझाया।

'मेरी इच्छा थी कि जमाना तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा भुगतते हुए देखता,' कुँवरी ने कहा। 'लेकिन यहाँ देखती हूँ कि किसी को किसी के बारे में सोचने की ही फुर्सत नहीं है। तुम जब जेल की सलाखों के भीतर जाओगे तो तुम्हारे परिवार के अलावा किसी को भान ही नहीं होगा कि यह किसी अपराध की सजा है। फिर कौन देखेगा, कौन सुधरेगा। सब सुधर तो रहे हैं।'

जाकर रहेंगे', उसने कहा।

'मगर पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं किया ? आज अचानक...।'

'आज हमें भगवान ने सपने में आकर कहा कि तेरा बेटा अव्वल नंबरों से पास होगा। मन्दिर में प्रसाद जरूर चढ़ाना। वह बड़ा आदमी बनेगा। इसी से गई। लेकिन वो चतुर्भुज...', कहते-कहते उसने दो-एकबार दाँत पीसे।

'काबू क्या करें बा; हम जितने दबते चले जाते हैं, ये लोग उतने ही दबाते चले जाते हैं। इसी मन्दिर की सीढ़ियों पर सिर रखकर हमने लल्ला के पैदा होने की इच्छा की थी। वह हुआ तो ईश्वर का वरदान ही तो हुआ। उसके पढ़ने की इच्छा भगवान ने पूरी की, तो हमको भगवान में कितनी आस्था

(शेष पृष्ठ ८८ पर)

सैल्युलर जेल

जगदम्बी प्रसाद यादव

ब्रिटिश शासनकाल में देश के स्वतंत्रता-सेनानियों को अंग्रेजों के जिस अमानवीय एवं क्रूर व्यवहार का शिकार होना पड़ा है, उन रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक दृश्यों का आज भी साक्षी है—सैल्युलर कारागार।

क्रान्तिकारियों का काला पानी अण्डमान। इस प्रसिद्ध कारागार में सैल्युलर जेल की यातनाएं रोमांचक थीं। इसमें साढ़े तेरह फीट लम्बे सात फीट चौड़े ६६८ सेल थे। यहां अनेक क्रान्तिकारियों की मृत्यु भयंकर यातनाओं के दौरान हुई। यह यातना-गृह ६०० कैदियों द्वारा ५ लाख १७ हजार ३ सौ बावन रुपयों की लागत से तयार किया गया था, जिसकी एक-एक ईंट बर्बरतापूर्ण अत्याचार की कहानी कह रही है। पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान-निकोबार) में उतरने वाले यात्रियों को सर्वप्रथम यही जेल ध्यान आकर्षित करती है और जब इसे देखकर देशभक्त क्रान्तिकारियों के अनुपम त्याग और बलिदान का स्मरण होता है तो उनका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है।

इस कारागार की बनावट ऐसी है कि एक सेल का कैदी दूसरे सेल के कैदी से बात करना तो दूर, उसे देख भी नहीं सकता था। लोहे की मजबूत छड़ों से घेरा हुआ ४ फीट लम्बा बरामदा दोहरे दरवाजे का काम करता है। एक ऊँचे टावर से कैदियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। २१ वार्डर रात-दिन सतर्क रहते थे कि कहीं कोई कैदी भाग न निकले शौचादि के लिए केवल तीन समय निश्चित थे—प्रातः, दोपहर और सायंकाल। वार्डर की सख्त हिदायत थी कि रात्रि में कोई कैदी शौच की बात न करे। रात्रि में शौच के लिए वार्डर के समक्ष साष्टांग दण्डवत भी बेकार थी; जिसके बदले में दीर्घशंका से संतप्त कैदी को धाराप्रवाह गालियों का भुगतान प्राप्त होता था।

अचानक अस्वस्थतावश डॉक्टर की आवश्यकता होने पर डॉक्टर को सूचित नहीं किया जाता था, बल्कि इसके विपरीत जेलर बेरी ऐसे कैदी को थप्पड़ लगवाता था तथा उसे तुरन्त पिसाई मिल में जोत दिया जाता था। सावर-

कर जी ने लिखा है कि जेलर वेरी कैदियों के समक्ष अक्सर यह डींग हांका करता था, 'सुनो कैदियों, विश्व का एक ईश्वर है, जो स्वर्ग में रहता है, पर पोर्टब्लेयर में दो रहते हैं—एक स्वर्ग वाला और दूसरा जमीन वाला-वह स्वयं। स्वर्ग का ईश्वर तो मरने पर ही कुछ दे सकता है; पर पोर्टब्लेयर का ईश्वर अभी और यहां ही पुरस्कार दे सकता है। तुम शिकायत कहीं करो, पर बात मेरी ही चलेगी; यह समझ लो।'

अहंकार के मद में चूर जेलर वेरी ने एक बार सावरकर जी से पूछा था कि क्या वे दो जन्म की सजा एक जन्म में ही काटकर जेल से बाहर जाने की आशा रखते हैं ? इस पर सावरकर जी ने उसी लहजे में प्रतिप्रश्न किया था कि क्या उसकी सरकार इतने समय तक उन्हें जेल में रख भी सकेगी ?

प्रसिद्ध क्रान्तिकारी महर्षि अरविन्द के भाई श्री वारीन्द्र कुमार घोष भी इसी जेल में रहे थे। उन्होंने लिखा है कि—'खाना असंतोषजनक मात्रा में तो दिया ही जाता था पर वह भी ऐसा जिसे कान्जी कहा जाता था; कान्जी, जो पानी में उबाला जाता था तथा पानी पर तैरता था। यह एक डिब्बा सभी को दिया जाता था—स्वाद-हीन, नमकहीन। प्रत्येक कैदी को चुटकी भर नमक दाल और सब्जी के लिए दिया जाता था—फिर भी कैदी इसी को खाकर जीने के लिए बाध्य थे।

इतने धैर्यवान स्वतंत्रता सेनानी इस सैल्युलर जेल में आये, भीषण कष्ट

जेलर वेरी कैदियों के समक्ष अक्सर यह डींग हाँका करता था, 'सुनो कैदियों, विश्व का एक ईश्वर है, जो स्वर्ग में रहता है, पर पोर्टब्लेयर में दो रहते हैं—एक स्वर्गवाला और दूसरा जमीन वाला—वह स्वयं। स्वर्ग का ईश्वर तो मरने पर ही कुछ दे सकता है; पर पोर्टब्लेयर का ईश्वर अभी और यहाँ ही पुरस्कार दे सकता है। तुम शिकायत कहीं करो, पर बात मेरी ही चलेगी, यह समझ लो।'

स्वतंत्रता के वाहक क्रान्तिकारियों का भयानक यातनागृह–सैल्युलर जेल ।

उठाये, अनेक ने यहीं प्राण त्याग दिये, अनेक को यहीं फाँसी दे दी गयी । इस देश की स्वतंत्रता एवं अखण्डता के प्रेमियों को ऐसे वीर क्रान्तिकारियों के नामों के मनकों से एक माला तैयार कर पूजा के समय उसे ही फेरना चाहिए । राम या अन्य देवताओं के नामों को हम इसीलिए तो जपते हैं कि उन्होंने मानव का कल्याण किया था । इस दृष्टि से इन क्रान्तिकारियों ने भी देश के ७० करोड़ लोगों को अंग्रेजों की दासता और प्रताड़ना से मुक्ति दिलवाकर अपने को पूज्य-देवों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। ऐसे ही पूज्यजनों में प्रमुख हैं– सर्वश्री वीर सावरकर, भाई परमानन्द, वारीन्द्र कुमार घोष, वामन जोशी, शम्भूनाथ आजाद, जयदेव कपूर, बटुकेश्वर दत्त, शचीन्द्रनाथ सान्याल, लोकनाथ, गणेश चन्द्र घोष, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, उपेन्द्र नाथ बनर्जी, हेमचन्द्र दास, उल्लासदत्त, इन्द्रभूषण राय, विभूतिभूषण सरकार आदि । इस जेल में वीर सावरकर के भाई भी थे । दोनो भाई इसी जेल में रखे गये हैं, यह एक वर्ष बाद पता चला ।

अंडमान-निकोबार के गजट सन् १९०८ के अनुसार कैदी को इस जेल में प्रथम ६ महीने कठिन अनुशासन में रखा जाता था । उसके बाद १८ माह तक

[शेष पृष्ठ ८७ पर]

मुस्लिम समाज को

■ परिपूर्णानन्द वर्मा

भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के अध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि मुसलमानों के सामने रोजी-रोटी का सवाल है न कि बाबरी मस्जिद का। हरेक समझदार मुस्लिम यह महसूस कर रहा है कि अराष्ट्रीय तथा सम्प्रदायवादी मुस्लिम तबके को अब चेतावनी देना चाहिए कि वह स्वयं अपना कितना अहित कर रहे हैं। विद्वान लेखक मुशारुल हक ने 'इस्लाम और धर्म-निरपेक्ष राज्य' नामक पुस्तक में लिखा है कि 'धर्म निरपेक्ष राज्य धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। यह जरूर है कि जैसा प्रो० कैण्टवेल स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'इस्लाम इन माडर्न हिस्ट्री' (आधुनिक इतिहास में इस्लाम) नामक अपनी पुस्तक में लिखा है—'कुछ मुसलमान अब भी सोचते हैं कि भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो सकता है—वे दूसरों के साथ बराबरी के दर्जे में रहने में कठिनाई महसूस करते हैं।' वे लिखते हैं :—

'१९४७ में भारतीय मुसलमानों ने अपनी समस्याओं से पलायन का सोचा था। भारतीय मुसलमान भारतीय और मुसलमान दोनों ही हैं। इस दोहरे व्यक्तित्व को अस्वीकार करने का प्रयत्न असफल रहा है।...कुछ लोग दोनों धारणाओं को लेकर चले और वे आगे बढ़े। उन्होंने उन्नति की।... इस्लाम को बन्द दरवाजा समझाने की भूल हो रही है। इस बन्द दरवाजा की नीति ने उन्हें न केवल सत्य (वास्तविकता) से बल्कि बाहरी लोगों से दूर कर दिया है।...ऐसी भावना से समुदाय ही छिन्न-भिन्न हो सकता है। अन्ततोगत्वा उसे मजबूरन साहस और विनम्रता के साथ नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। उन्हें नम्रतापूर्वक दूसरे धर्म वालों से भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा।'

२३, नवम्बर, १९८० को बम्बई के 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में मुहम्मद रफीक खां ने लिखा था:—

'भारतीय मुसलमानों को अपने दिमाग में यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि भारत की कोई भी प्रजातंत्रीय सरकार उनकी किसी समस्या को हल नहीं कर सकती जब तक कि हिन्दुओं

मुस्लिम नेताओं की चेतावनी

का सक्रिय सहयोग प्राप्त न हो। यदि राज्य उनके लिए कानून बना भी दे, तो बिना हिन्दुओं के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। यदि मुस्लिम समाज के लिए कोई अलग कानून बन भी जाता है और हिन्दू समाज उसे नहीं चाहता तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी ।···राज्य तो मुस्लिम हित में वही कर सकता है, जो हिन्दू हितों के प्रतिकूल न हो। इसलिए समझदार मुस्लिम वर्ग को सच्चा प्रयत्न करना चाहिए कि वे हिन्दू समुदाय के अधिक निकट आयें। आपस में हार्दिक स्नेह तथा भ्रातृत्व की भावना अपनानी पड़ेगी ···।'

'(साम्प्रदायिक दंगों के लिए) हिन्दुओं को दोषी ठहराने के पहले मुसलमानों को स्वयं अपने दिल में सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे आचरण तथा व्यवहार में वही गुण विद्यमान है जिसकी तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो। क्या तुममें वह संकुचित विचार, दकियानूसीपन तथा अन्धविश्वास और वह उचित अनुचित की भावना नहीं है, जिसे तुम दूसरों में नापसंद करते हो ।···एक बार जब वे अपनी इन दुर्बलताओं से छुटकारा पा जाएंगे तो उन्हें दूसरों को दोष देने के लिए कुछ नहीं मिलेगा।'

वाराणसी के 'गांधीयन इंस्टीट्यूट' के इस विद्वान् प्रोफेसर के विचार हिन्दू सम्प्रदायवादियों के लिए भी हैं। स्वतंत्र भारत में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सिख, पारसी, कोई भी सम्प्रदायवादी सहन नहीं किया जा सकता। फिर हिन्दू तो साम्प्रदायिक हो ही नहीं सकता। उसका धर्म इतना व्यापक, उदार, सर्वधर्म समन्वय का है कि उसमें साम्प्रदायिकता को स्थान ही नहीं है। ईश्वर को माने या न माने, वेद को माने या न माने, मूर्ति पूजक हो या विरोधी हो, जैन, बौद्ध-सब इसी धर्म में हैं; तो ऐसा धर्मावलम्बी संकुचित विचार का हो नहीं सकता। यदि उसके विचार संकुचित हैं तो वह हिन्दू ही नहीं है।

सभ्यता और संस्कृति

यह देश हिन्दुओं का था, उनका रहेगा पर इसका भोग सभी हिन्दू-मुस्लिम तथा अन्य धर्मावलम्बी करेंगे-बराबर अधिकार के साथ ! हिन्दुओं के सौहार्द तथा भाईचारे का इससे बढ़कर क्या प्रमाण है कि पाकिस्तान की रचना के समय भारत में मुस्लिमों की आबादी साढ़े चार करोड़ थी, अब साढ़े ग्यारह

करोड़ है और इसके विपरीत पाकिस्तान तथा बंगलादेश में हिन्दुओं की आबादी समाप्त सी होती जा रही है। सन् १९६१ में पाकिस्तान में ४,१६,६६,१०० मुस्लिम तथा २,०३,७००, हिन्दू थे। सन् १९८१ में हिन्दुओं की संख्या डेढ़ लाख से कम हो गई। मुस्लिम आबादी ६ करोड़ तक पहुँच रही है। सन् १९७५ में बंगलादेश की ७ करोड़ ८० लाख की आबादी में १ करोड़ से अधिक हिन्दू अब कुछ लाख रह गए हैं।

पाकिस्तान में १९५३ में अहमदिया सम्प्रदाय के मुसलमानों की मस्जिदें जला दी गईं, उनकी सम्पत्ति लूट ली गई तथा विदेशमंत्री जफरुउल्ला खां को इसलिए पद से हटा दिया गया कि वे अहमदिया मुस्लिम थे। हजारों अहमदिया मुसलमान भाग कर आए और उन्हें यहां शरण और संरक्षण मिला। सन् १९७१ में पाकिस्तान से बचने के लिए हजारों मुस्लिम बंगलादेश से आए और यहां बस गए। बंगलादेश में ढाका में पवित्रतम काली वाड़ी का मन्दिर, अनेक हिंदू मन्दिर जला दिए गए तथा बौद्धों के बिहार तथा सिखों के गुरुद्वारे नष्ट कर दिए गए।

ऐसा कौन मुस्लिम देश है जहां कोई हिन्दू मन्दिर बनवा सके, बौद्ध बिहार स्थापित कर सके या सिख गुरुद्वारा बना सकें। आज भारत में प्रत्येक दस हिन्दू पीछे एक मुस्लिम भाई है। क्या हिन्दू उनकी उपेक्षा कर सकता है? भारत में कभी ऐसा हो नहीं सकता जैसे कुवैत वगैरह में है–वहां सिखों को घुसने की मनाही है। किसी मुस्लिम देश में गैर-मुस्लिम त्योहारों पर सरकारी अवकाश नहीं होता–जैसा भारत में हर मजहब वाले के त्यौहार पर होता है। जब मुस्लिम वर्ष हिजरी के १४०० साल पूरे हुए, तो भारत सरकार ने मुसलमानों के साथ मिलकर तीन दिन उत्सव मनाया और कुरान शरीफ की आयतों के पाठ की प्रतियोगिता 'किराअत' का आयोजन किया, जिसमें २० से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्या सरकारी तौर पर रामायण का पाठ किसी मुस्लिम देश में हो सकता है, वेद पाठ की बात तो दूर

. अमर रहे यह भाईचारा !

रही । मुस्लिम देशों में शंख की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, पर भारत में मस्जिदों में अजान हर समय देने की इजाजत है। भारत मे आल इण्डिया रेडियो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ता है किसी मुस्लिम देश में रामायण की एक चौपाई भी रेडियो से प्रसारित नहीं हो सकती। यह भारतीय संस्कृति की ही देन है—उस सर्वधर्म समन्वय का सिद्धान्त है; जिसका प्रतिपादन २७ सितम्बर, १८९३ में शिकागो में सर्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द ने किया था।

कबीर, गुरु नानक (मृत्यु १५३८), बादशाह अकबर (१५५६-१६०५) का देश है। अकबर तिलक लगाते थे, गोवर्धन पूजा में शरीक होते थे, दीपावली धूम-धाम से मनाते थे, महाशिवरात्रि के उत्सव में शामिल होते थे। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने वाराणसी में रह कर संस्कृत पढ़ी। अरबी में उपनिषदों का अनुवाद कर उसे संसार में फैला दिया। हाथ में हीरे की अंगूठी पर 'प्रभु' खुदवा कर पहनते थे। वाराणसी में जिस मुहल्ले में रहते थे; आज भी उसका नाम दारानगर है। गुरु गोविन्द सिंह ने कहा था कि 'मन्दिर, तथा मस्जिद एक समान हैं। दोनों ही ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। दोनों की रक्षा समानरूप से होनी चाहिए।'

आँखें खोलो

यह भारतीय संस्कृति है कि आज

यह वहशीपन अब नहीं चलेगा।

भी राजस्थान के गोगढ़ा मन्दिर का पुजारी मुसलमान है, जो इस्लाम धर्मावलम्बी होकर भी मूर्ति का श्रद्धा से पूजन करता है, चढ़ावा लेता है, दक्षिणा प्राप्त करता है। आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति बाला जी के मन्दिर का नगाड़िया 'नादेश्वरम्' प्रातः सुनाने वाला एक मुस्लिम है। लोगों को विश्वास है कि बिना उसका नादेश्वरम् सुने, भगवान बेंकटेश्वर की नींद नहीं खुलती। उड़ीसा के मुस्लिम सन्त सालबेग भगवान जगन्नाथ के प्रकाण्ड भक्त थे। उनके रचे हुए 'जनन' (भजन) उड़ीसा में आज भी

(शेष पृष्ठ ९१ पर)

पाकिस्तान के अवाक्स विमान और भारत

▣ परशुराम गोस्वामी

अमरीका से पाकिस्तान को मिलने वाले, अवाक्स (राडारयुक्त पूर्व सूचक) विमानों की देश में बड़ी चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनसे हमारी सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है। आइए देखें वस्तुस्थिति क्या है।

इन विमानों की बड़ी विशेषता उन्नत राडार और संचार एवं नियंत्रण व्यवस्था है। राडार एक ऐसा यंत्र है जो दूसरे देश से आने वाले आक्रामक विमानों की पहले से सूचना देता है। राडार कुछ तरंगें या किरणें फेंकता है। अगर कोई शत्रु विमान इधर आ रहा हो तो उसकी कुछ किरणें उससे टकराती हैं और आगे नहीं जा पातीं। शेष आगे चली जाती हैं। टकराकर लौटने वाली किरणें राडार के पर्दे पर उस विमान का संकेत देती हैं। सम्बद्ध कम्प्यूटर बताता है कि विमान कितनी दूर किस दिशा में तथा किस गति से आ रहा है। ऊंचाई कितनी है। जानकारी मिलते ही देश के तीव्रगामी लड़ाकू विमान उड़ते हैं और उसको मार गिराते हैं। यदि आने वाला विमान बहुत नीचे न उड़ रहा हो तो राडार उसको दो तीन सौ मील दूर से भी देख सकता है।

देश की हवाई सुरक्षा के लिए राडार अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु, पृथ्वी पर राडार-केन्द्र कहाँ-कहाँ स्थित हैं, यह जान लेना पड़ोसी देश के लिए कठिन नहीं होता। फिर युद्ध की स्थिति में राडार केन्द्रों पर ही बमवर्षा की जाती है। राडार को 'जाम' यानी निष्क्रिय करने की इलैक्ट्रानिक विधि भी विकसित की गई है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर स्थित राडार केन्द्र को बहुत सुरक्षित नहीं समझा जाता।

अतः उन्नत राडारयुक्त विमानों का निर्माण किया गया है। जो निरन्तर उड़ते और स्थान बदलते रहते हैं। इस कारण वे कहाँ है यह जान पाना उतना सरल नहीं। 'अवाक्स' ऐसे ही अमरीकी विमान हैं। इनमें शक्तिशाली राडार होता है जो दो-ढाई सौ कि० मी० दूर से ही शत्रु के विमान को देख लेता है। फिर अपनी विशेष संचार

एवं नियंत्रण विधि से यह विमान अपने देश के दर्जनों विमानों को एक साथ निर्देश दे सकता है । अमरीका ने ऐसे दो-तीन तरह के विमान बनाए हैं जिन्हें निमरोड, हॉकआई आदि नाम दिए हैं। अब तक अमेरिका के बाहर केवल सऊदी अरब को ये विमान दिए गये हैं। अब ये पाकिस्तान को भी दिए जा रहे हैं। अवाक्स का प्रयोग रक्षा और आक्रमण दोनों में हो सकता है। रूस ने भी ऐसे विमान 'मौस' नाम से बनाए हैं और भारत को देने की पेशकश की है।

निःसन्देह 'अवाक्स' को पाकर पाकिस्तानी वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा कि हमारी वायुसेना उनका सामना नहीं कर पाएगी। इन विमानों में कुछ कम-जोरियाँ हैं जिनका भरपूर लाभ हमारी

कुशल वायुसेना उठाएगी।

साधारण राडार को 'जाम' करने के समान अब अवाक्स जैसे विमानों के शक्तिशाली राडार को भी 'जाम' करना सम्भव हो गया है।

इन विमानों की दूसरी कमजोरी यह है कि इनको गुप्त रखना असम्भव होता है। पड़ोसी देश के कुशल विमान चालक अपने देश में बैठे-बैठे यह पता लगा सकते हैं कि 'अवाक्स' इस समय किस स्थान पर है। इसका सही पता पाकर इसको मार गिराना कठिन नहीं।

'अवाक्स' की सबसे घातक कमजोरी यह है कि इन्हें डेढ़ दो सौ कि० मी० की दूरी से भी नष्ट किया जा सकता है। वह जिस शक्तिशाली किरण को फेंकता है, वही उसके विनाश का कारण बनती है। अब ऐसे नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण हो चुका है जो अवाक्स द्वारा फेंकी गई किरण पर विपरीत दिशा से चलते हैं। उसी किरण से मार्ग निर्देशन पाकर ये प्रक्षेपास्त्र किरण के स्रोत विमान से टकराते हैं और उसको मार गिराते हैं। ऐसे प्रक्षेपास्त्र रूस के पास हैं और भारत को सरलता से मिल सकते हैं। कुछ अमरीकी रक्षा विशेषज्ञों का विश्वास है कि ये प्रक्षेपास्त्र भारत को मिल चुके हैं।

अवाक्स विमानों के राडार और कम्प्यूटर को छकाया भी जा सकता है। कुशल विमानचालकों का अनुभव है कि जब विमान अपने लक्ष्य की ओर सीधा एक सरल रेखा पर उड़ता है तब अवाक्स का राडार सरलता से और ठीक-ठीक उसका पता एवं सही स्थिति जान लेता है। परन्तु जब कई विमान लक्ष्य की ओर एक सरल रेखा पर नहीं उड़ते, अपितु सर्पाकार मार्ग पर चलते हैं, वृत्त या अर्धवृत्त बनाते चलते हैं और एक दूसरे के मार्ग को काटते चलते हैं, तब अवाक्स का राडार और कम्प्यूटर चकरा जाता है। उसका इलैक्ट्रानिक मस्तिष्क जवाब दे जाता है। वह इन विमानों की सही स्थिति नहीं बता पाता। इस प्रकार, अवाक्स के राडार और कम्प्यूटर को मूर्ख भी बनाया जा सकता है।

वैसे हमारा देश अपना अवाक्स जैसा विमान भी बना रहा है। इसीलिए रूस से उसका 'मौस' नामक राडार युक्त पूर्व सूचक (अवाक्स जैसा) विमान खरीदने में भारत ने रुचि नहीं ली।

इस समय हमारे पास अवाक्स जैसे विमान नहीं है। तो भी यदि कल युद्ध हो जाय तो हमारे कुशल विमान चालक पाकिस्तानी वायुसेना को अच्छा सबक सिखायेंगे। अवाक्स विमान पाकिस्तान को भारी पराजय से नहीं बचा पायेंगे, यह निश्चित है।०

—डिकूज का हाता, मसीहागंज, सीपरी बाजार, झाँसी (२८४००३)

जिसने तमिलनाडु में तहलका मचा दिया

केशवप्रसाद चतुर्वेदी

एक समय था जब देश के विभिन्न भागों से आये हुए कार्यकर्ताओं और तमिल कार्यकर्ताओं को लोगों के अत्यन्त आक्रोश और उत्कण्ठापूर्ण प्रश्नों की बौछार का सामना करना पड़ता था। तमिलनाडु में दिन-दहाड़े श्रीराम की मूर्ति को चप्पलों से पीटा जाता है। क्या तमिलनाडु में कोई हिन्दू नहीं है जो इस नृशंसता का सामना कर सके? तमिलनाडु की सड़कों पर 'ईश्वर नहीं हैं' के पोस्टर भरे दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ के सारे हिन्दू कहाँ चले गए? इनका विरोध करने के लिए कोई भी पवित्र हिन्दू आत्मा नहीं बची क्या?

किन्तु अब, तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं को अपने प्रतिपक्ष को तमिलनाडु में हो रहे चमत्कारिक परिवर्तन के विषय में बतलाने में प्रसन्नता होती है। वे बतलाते हैं कि वेलोर के ऐतिहासिक किले के मन्दिर में १९८१ में शिवलिंग का पुनः प्रतिष्ठापन करवाया गया। इस मन्दिर में पिछले ४०० वर्षों से देवमूर्ति नहीं थी। हिन्दू मुन्नणि के उन कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के शौर्य प्रदर्शन के लिए साधुवाद। वे हिन्दू कार्यकर्ताओं के चुनाव-कौशल और चुनाव-अभियान में उनके उत्साहपूर्ण क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अनेक विवरण देंगे; यथा—किस प्रकार १९८४ के राज्य विधानसभा चुनाव में अण्णाद्रमुक और द्रमुक के शक्तिशाली गठबन्धन के विरुद्ध हिन्दू मुन्नणि (मोर्चा) के उम्मीदवार को जिताया। सभी लोग हिन्दू मुन्नणि की भूमिका को स्वीकार करते हैं। हिन्दू मुन्नणि ने उस षडयन्त्र का भण्डाफोड़ करके उसे असफल बनाया, जिसमें ईसाई मिशनरियों ने १९८६ में पोप पाल के मद्रास आगमन पर मद्रास के निकट भृंगी ऋषि की अत्यन्त प्राचीन और पवित्र तपोभूमि का नाम बदलकर 'सेण्ट थामस माउण्ट' रख देने का दुष्प्रयास किया था।

सफलताएँ

तमिलनाडु के कार्यकर्ता आपको बतलाते ही जाएंगे कि किस प्रकार हिन्दू मुन्नणि के कार्यकर्ताओं ने मद्रास-स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास के सम्मुख वाग्मितापूर्ण विरोध प्रदर्शन करके हिन्दू

मीनाक्षी मंदिर : भक्तों की भीड़ अब बढ़ रही है .

मानस के क्रोध को प्रकट किया। यह विरोध प्रदर्शन ईसाई मिशनरी यूनिट द्वारा अमरीका में एक हिन्दू विरोधी फिल्म को टी० वी० पर दिखलाये जाने के कारण आयोजित किया गया था।

हिन्दू मुन्नणि के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने दूरदर्शन द्वारा हिन्दू देवी–देवताओं का अपमान करने के विरुद्ध अपनी शक्तिशाली सक्रियता का परिचय दिया। हिन्दू तीज-त्योहारों के अवसर पर द्रविड़ कलगम द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं को बदनाम और अपवित्र करने के कुकृत्यों के विरोध में हिन्दू मुन्नणि ने प्रभावकारी भूमिका निभायी। फलस्वरूप तमिलनाडु के अनेक शहरों और गाँवों में द्रविड़ कलगम के कुकृत्यों को बन्द करवा दिया गया है।

सरकारी प्रकाशनों सहित उन सभी प्रकाशनों की बिक्री पर रोक लगवा दी गयी, जिनकी प्रवृत्ति हिन्दू ऋषि-मुनियों का निरादर करने की थी।

अनेक जिलों में दर्जनों स्थानों पर मस्जिद के सामने बाजा वजाकर जुलूस न निकालने की वर्षों पुरानी आदत को उखाड़ फेंका गया और हिन्दुओं के जुलूस निकालने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया–कारैकल और पुद-नादम इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

उत्तर अर्काट जिले का चेंगम और धर्मपुरी जिले जैसे मुसलमानों के परम्परागत गढ़ पलकाडु को ध्वस्त करके मुस्लिम उम्मीदवारों को हरा कर हिन्दुओं को पंचायत-अध्यक्षों के पद पर चुना।

तमिलनाडु में सार्वजनिक रूप से सामूहिक धर्मपरिवर्तन अब असम्भव है। उदाहरणस्वरूप उत्तर अर्काट मुस्लिभ प्रभाव वाले क्षेत्र बनियमवाड़ी में मुसलमानों द्वारा सामूहिक धर्मपरिवर्तन योजना की जानकारी प्राप्त होते ही सामूहिक भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया गया और उनके इस कुकृत्य को असफल कर दिया गया।

उपर्युक्त प्रत्येक घटना में हिन्दू मुन्नणि (मोर्चा) किसी न किसी प्रकार से सम्बद्ध है।

मुन्नणि [मोर्चा] स्थाई है

हिन्दू मुन्नणि की स्थापना १९८० में हुई थी। यह सर्व हिन्दुओं का मोर्चा है, जो हिन्दू हितों के लिए संघर्षरत है। अपने प्रथम ६ वर्षों के स्वर्णिम अस्तित्व में 'हिन्दू मुन्नणि' हिन्दू मानस के प्रकटीकरण का एक प्रभावकारी माध्यम बन गया है हिन्दू मुन्नणि पर विदेशी सहायता से उकसाए गए मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट, 'मैकालेवादी' और तमिल-

ताडु के ढोंगी बुद्धिवादियों के घातक आक्रमण हर समय होते रहते हैं। इन आक्रमणों से घिरा रहकर भी हिन्दू मुन्नणि अन्तर-जातीय तनाव छुआछूत, दहेज, नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों और नवयुवकों में व्याप्त अनेक कुरीतियों के विरुद्ध जूझता रहता है।

हिन्दू जनता संकट के अवसर पर हिन्दू मुन्नणि को अपना सबल पक्ष-

ई०वी० रामस्वामी नायकर : जादू उतर रहा है

धर समझती है। यहाँ तक कि सत्ता और हिन्दू विरोधी तत्व हिन्दू मुन्नणि को शक्तिशाली जीवित 'विद्युत तार' (डाइनामाइट) समझते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा संसद अथवा पंचायत स्तर का कोई भी चुनाव आ जाए, फिर देखिए; बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और मन्त्रीगण हिन्दू वोट की अग्रिम 'बुकिंग' के लिये हिन्दूमुन्नणि के कार्यकर्ताओं को घेरे रहते हैं। हाल में ही तिरूनेलवेली में हुए एक उप चुनाव के समय, एक मंत्री श्री आर० एम० वीरप्पन; जिनके विरुद्ध द्रमुक का एक शक्तिशाली उम्मीदवार खड़ा था, स्वयं चलकर हिन्दू मुन्नणि के अध्यक्ष के घर पर पधारे और अध्यक्ष जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की।

पूरे वर्ष प्रत्येक जिले में किसी न किसी ज्वलन्त समस्या को उठाकर सार्वजनिक सभा में हिन्दू मुन्नणि अपनी माँगों को बलपूर्वक प्रस्तुत करता रहता है।

हमारी माँगें

१–भारत को हिन्दुओं का देश घोषित किया जाए।

२–'धर्मपरिवर्तन' पर पाबन्दी लगे क्योंकि यह विदेशी धर्म के लिए रँगरूटों की भर्ती करता है।

३–'धर्मपरिवर्तन' जैसे राष्ट्रद्रोही कार्य के लिए सहायतार्थ आने वाले विदेशी धन पर रोक लगे।

४–भारतीय संविधान में धारा ३० को निकालकर अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों को समाप्त किया जाये अथवा वही विशेष अधिकार हिन्दुओं को भी दिए जायें।

५–परिवार नियोजन सभी नागरिकों के लिए कानून बनाकर अनिवार्य किया जाए अथवा केवल हिन्दुओं के लिए होने वाली नसबन्दी को बंद किया जाये।

६–सामान्य नागरिक संहिता बनाई जाये और मुसलमानों को 'इस्लामिक क्रिमिनल लॉ' के अन्तर्गत रखा जाये।

७–रविवार की छुट्टी का नियम रद्द कीजिये; क्योंकि यह विदेशी ईसाई शासक और उनके आधिपत्य का चिह्न है।

८–धर्म-निरपेक्ष सरकार को हिन्दू मन्दिरों पर प्रबन्ध करने का अधिकार नहीं है। मस्जिद और चर्च उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। मन्दिरों का प्रबंध भी स्वतन्त्र बोर्ड को सौंपा जाये। सरकार मन्दिरों से निकलकर बाहर हटे।

९––हिन्दू धर्म, संस्कृति और अध्यात्म शिक्षा को 'किन्डर गार्टन' से स्नातक स्तर तक अनिवार्य बनाया जाये।

१०–आकाशवाणी और दूरदर्शन से हिन्दू मूल्यों का प्रचार हो।

११–उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाये जो हिन्दू जुलूसों को निकालने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

जुलूस बाजे के साथ हो अथवा न हो। सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस निकालना हिन्दुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इसे लेकर रहेंगे।

१२–अयोध्या, मथुरा और काशी के प्राचीन मन्दिर और उनके परिसर हिन्दुओं को सौंपे जाएं; क्योंकि इन स्थानों पर हिन्दुओं का ही हक है।

१३–भारत की पवित्र नदियों का प्रदूषण रोका जाए।

१४–गौहत्या बन्द हो और गौसंवर्धन अभियान चलाया जाये।

१५–रामेश्वरम और कन्याकुमारी को पवित्र स्थान घोषित किया जाये। इन स्थानों को मुस्लिम और ईसाई आक्रमणों से मुक्त किया जाये।

१६––मूर्त्ति चोरों को फाँसी दी जाये।

१७–हिन्दू रीतिरिवाज और जीवन मूल्यों का निरादर करने वाली फिल्मों को सेन्सर किया जाए।

१८–हमारे बच्चों को वास्तविक हिन्दू इतिहास की जानकारी दी जाये।

१९–धारा ३७० को भारतीय संविधान से निकाला जाये। इसके अन्तर्गत कश्मीर को मिले हुए विशेष दर्जे के कारण सारे देश में विघटनवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है।

२०–समस्त घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ा जाए और देश की प्रभुसत्ता की रक्षा की जाये।

सफलता

हिन्दू मुन्नणि के सभा मंच से निरन्तर उपर्युक्त मांगों का प्रचार होता रहता है। तमिलनाडु का समूचा शासनतन्त्र हिल उठा है। उसकी समझ में यह आ गया है कि 'हिन्दू हित और उनका

कल्याण' एक वास्तविकता है; जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हिन्दू मुन्नणि के वक्ता स्थानीय भाषा और बोलचाल की भाषा के माध्यम से अपनी उपर्युक्त माँगों की जानकारी पहुँचाते रहते हैं। इस कार्य पद्धति से हिन्दू मुन्नणि की सभाओं में श्रोताओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। इसके साथ ही हिन्दू मुन्नणि के कार्यकर्ता भी बढ़ते जा रहे हैं। हिन्दू मुन्नणि में आने वाले हिन्दू नवयुवकों ने जातिपाँति और राजनीतिक दलों से सम्बद्धता के घेरे को तोड़ डाला है और वे सभी एकजुट होकर कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में इसी प्रकार का अनुभव किया गया है।

१९८६–८७ में हिन्दू मुन्नणि ने ७० स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किये जिसमें ५०० स्थानों से आये हुए १८०० कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्त्ताओं को हिन्दू जीवन के आधारभूत तत्व मिलकर रहने की कला और संपूर्ण समाज को आंदोलित करते हुए उसे संगठित रखने का प्रशिक्षण दिया गया।

हिन्दुओं का आह्वान

१–आप अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में पढ़ने के लिये मत भेजिये; सभी स्थानों पर अच्छे हिन्दू स्कूल खोलिये। हिन्दू बच्चों पर ईसाई मत-आरोपण (Brain-wash) को रोकिये। (चर्चों द्वारा अनेक सरकारी स्कूलों के हिन्दू बच्चों में बाइबिल का वितरण किया गया। हिन्दू मुन्नणि द्वारा कार्यवाही की धमकी दिये जाने पर उनका वितरण रोका गया। कम से कम दो स्थानों पर ईसाई स्कूलों के हिन्दू अभिभावकों ने संगठित होकर हिन्दू स्कूल खोले और उन पथभ्रष्ट ईसाई स्कूलों को बन्द किया गया।)

२–आप अपने को हिन्दू कहने में गर्व का अनुभव करें; उसके लिए आप मस्तक पर विभूति, रोली अथवा चन्दन अवश्य लगाएं। (द्रविड़ कषगम और ईसाई प्रचार की धौंसपट्टी में आये हुए तमिलनाडु के हिन्दुओं ने अपने मस्तक पर बिना किसी हिन्दू चिह्न के दफ्तरों और स्कूलों में जाना प्रारम्भ कर दिया था; किन्तु अब स्थिति बदल गयी है। हिन्दुओं को तंग करने वाले नास्तिक अब चुप हैं। हिन्दुओं ने निरन्तर अपने मस्तक पर विभूति लगाकर अपने धर्म का प्रदर्शन करना आरम्भ कर दिया है। केवल इतना ही नहीं है। नास्तिक भी अपने घेरे को तोड़कर बाहर आ रहे हैं। वे अब कार्यालयों में साप्ताहिक पूजा के अवसर पर प्रसाद ग्रहण करने दौड़ते हैं।)

३–आप हिन्दुओं द्वारा उत्पादित सामान खरीदें और वह भी हिन्दू दूकान से। (इसका एक विशेष उद्देश्य है। मुसलमानों ने एकाधिकार करके मुस्लिम व्यापारिक अड्डे बना रखे हैं। आर्थिक बहिष्कार से मुसलमानों के इस व्यापारिक एकाधिकार को कम किया जा सकेगा। हमारी इस घोषणा से ही

मुसलमानों ने ग्राहकों के साथ चालबाजी करनी आरम्भ कर दी है। वे अपने माल को हिन्दू नामों से जोड़ने लगे हैं। एक मुसलमान बीड़ी व्यापारी ने बीड़ी के बण्डल पर 'ॐ' छापना आरम्भ कर दिया। हिन्दू इस चाल से सतर्क हैं। उनका खेल जारी है।)

४–आप अपनी संस्था और प्रतिष्ठानों में हिन्दुओं को रखिये। (इसका भी उद्देश्य यही है कि नौकरी या धन मिलने के उस प्रलोभन को निष्प्रभावी बनायेगा; जिसके कारण हरिजनों का इस्लाम धर्मपरिवर्तन होता है।)

५–हिन्दुओं को वोट दीजिए और हिन्दू विरोधियों को पराजित कीजिये। (यह तो राष्ट्रव्यापी पक्ष है; क्योंकि केन्द्रीय और राज्य सरकारें सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाती हैं। इन सरकारों की एक आँख मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है।)

६–'बहुराज्य राष्ट्र', 'आर्य द्रविड़ जाति' अथवा ऐसे ही मनगढ़न्त सिद्धांतों को अस्वीकार कीजिये। आप इस त्रिपक्षीय विश्वास को प्रस्तुत कीजिये; उसकी रक्षा कीजिये और उसका प्रचार कीजिये कि हिन्दुस्तान (१) एक देश है; (२) एक राष्ट्र है; (३) उसकी एक सस्कृति है।

७–सर्वत्र हिन्दू वोट बैंक गठित कीजिये। (इस बैंक का अस्तित्व केवल चुनाव तक ही नहीं है। यह जन प्रशिक्षण की सतत प्रक्रिया है।)

८–छुआछूत और जाति वमनस्य को समाप्त कीजिये। (मुसलमान हिंदुओं में फैली छुआछूत से लाभ उठाकर हमारे हरिजन भाइयों को हिन्दू समाज के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। ईसाई मिशनरी भी किसी न किसी बहाने से हिन्दू समाज को और अधिक अलग–अलग टुकड़ों में बाँटने में लगे हैं।

९–प्रत्येक वर्ष हर स्थान पर १४ अगस्त को 'बलिदान स्मृति दिवस' के रूप में मनाइये। 'सीधी कार्यवाई' और विभाजन करके मुसलमानों ने लाखों-लाखों हिन्दू पुरुष, स्त्री, बच्चों का संहार किया; अंग-भंग किया और उनको उत्पीड़ित किया। हिन्दू मुन्नणि हिन्दुओं के इस बलिदान के स्मृतिस्वरूप मन्दिरों में दीपक जलाकर उन हुतात्माओं की सदगति के लिये प्रार्थना करता है। जन सभाओं में विभाजन के अत्याचार के बारे में बताकर हिन्दू समाज को सचेत करता है। लोग हमसे दो प्रश्न पूछते हैं-(१) जब मुसलमानों ने हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर दिये; तो क्यों नहीं हम आबादी परिवर्तन करके पाकिस्तान में उत्पीड़ित लाखों हिन्दुओं के प्राणों की रक्षा करें? (२) संसार के अन्य देश जिनका विभाजन किया गया है, अपने देश की भूमि को मानचित्रों में अखंडरूप में प्रदर्शित करते हैं। क्या कारण है कि स्वतन्त्र भारत के नेता अखंड भारत को अपने मानचित्रों में न दिखलाकर जनता को भुलावा देते रहते हैं।

हिन्दू मुन्नणि की इकाइयाँ स्थानीय ज्वलन्त प्रश्नों को उठाती हैं। दीवारों पर लिखकर, हस्तलिखित पर्चे, पुस्तिका, विरोध जुलूस, जन हस्ताक्षर अभियान, सामूहिक अनशन, जन सभा आदि द्वारा समस्या को उठाकर उनका समाधान करवाया जाता है। यदि उस स्थान पर हिन्दू मुन्नणि की कोई भी इकाई नहीं है; तो स्थानीय जन ही स्वयं हिन्दू मुन्नणि की इकाई में परिवर्तित होकर तत्काल समस्या को हाथों में लेकर उसका समाधान निकालते हैं। हिन्दू मुन्नणि एक बार भी किसी क्षेत्र में प्रवेश पा जाता है; तो हिन्दू विरोधी तत्व की धमकियों के स्वर विलीन होने लगते हैं और कानून और शासनतन्त्र भी उस ओर ध्यान देने लगता है।

प्रत्येक जनसभा में लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे हिन्दू मुन्नणि के कार्यकर्ता बनें और इसको कुछ धन की सहायता करें। यह सुखद आश्चर्य है कि अच्छे-अच्छे नवयुवक आगे बढ़कर आ रहे हैं। और अति निर्धन लोग भी धन की सहायता देते हैं।०

—डिप्टी रघुबरदयाल लेन,
नरही, लखनऊ

सैल्युलर जेल··· (पृष्ठ ७३ का शेष)

सह-कैदी के साथ रखा जाता था। इसके बाद ३ वर्ष तक बैरक में रखा जाता था। इस अवधि में उसे देखभाल के अन्तर्गत बाहर काम करने के लिए भेजा जाता था। इस काम का उसे पारिश्रमिक भी प्राप्त होता था। ५ वर्ष तक कार्य करने के पश्चात् उसे कुछ जिम्मेवारी भी सौंपी जाती थी साथ ही उपयोग के लिए कुछ पैसे भी दिये जाते थे। दस वर्ष के पश्चात वह यहीं रहकर स्वतंत्र रूप से कमा-खा सकता था तथा जानवर आदि रख सकता था। इस अवधि में वह वहीं शादी कर सकता था एवं कमाई घर को भेज सकता था, पर उसे वहाँ से जाने या नागरिकता पाने का अधिकार नहीं था। २०-२५ वर्ष इसी तरह ठीक रहने पर उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था कि वह चाहे जहाँ जाय। उसे कहीं बसने के लिए ३–४ वर्ष तक कुछ सहायता भी दी जाती थी।

पोर्ट ब्लेयर की एक बड़ी जनसंख्या इन कैदियों द्वारा ही बन गयी है, जो अपने को वहाँ का स्थायी वासी समझने लगे हैं।

प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के दौरान हुए कैदी-सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों ने २०० लोगों को इस जेल में भेजा था। इसके पश्चात यह कारागार क्रान्तिकारियों का प्रमुख यातना स्थल बना दिया गया था। आज वह प्रत्येक देशभक्त के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केन्द्र बन चुका है।०

—संसद-सदस्य
१४, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली

(पृष्ठ ७० का शेष)

हो गई। हमने मनौती कोई बड़ी नहीं माँगी। दो बच्चों को लायक बनाने की इच्छा की। हमारी इच्छा को पूरी करता रहेगा; तो तुम्हीं बताओ हम जाकर भगवान के चरणों में अपना सिर न नवायेंगे ?'

धीरे-धीरे कुँवरी के बोलने में ठण्डक आई। लेकिन दोपहर को जाकर वह अदालत में वकीलों से सम्पर्क करती रही। पीड़ितों की वकालत करने वाले शर्मा जी ने उसकी ओर से अदालत में दावा पेश करने का जिम्मा लिया। कुँवरी खुश हो गई।

० ० ० ०

'कब तक चलता रहेगा, यह मुकदमा ?' कुँवरी ने पूछा।

'क्या कह सकते हैं। आजकल की अदालतें हैं। तुम क्या मुझसे कम जानती हो ?' शर्मा जी ने समझाया।

'लेकिन वकील साहब इतने दिनों बाद भी मुझमें बदला लेने की वही ललक है, जो उस दिन थी। काले बालों में से कितने सफेद हो चुके हैं। चतुर्भुज की कमर कैसी झुकती जा रही है। लेकिन मुझे अब भी उस दिन की बात सोचकर उतना ही गुस्सा आ जाता है; जितना उसे उस दिन देखकर आया था।'

'चतुर्भुज नहीं मिला क्या तुमसे ? वह मुझसे तो कह चुका कि सुलह कर लें', शर्मा जी बोले।

'मुझसे मिलने का साहस कहाँ है उसमें। मैंने दस साल पहले जिस बुरी तरह उसे फटकारा था, उसे याद कर वह हिम्मत ही नहीं कर सकता कि मुझसे मिले। और दूसरी बात यह है कि वह पण्डित है। वह मेरे छप्पर में नही आ सकता,' कुँवरी ने कहा।

'मैं भी आता हूँ,' शर्मा जी बोले। 'और फिर तुम्हारा घर साफ-सुथरा है, उसमें ईश्वर के विविध रूपों के चित्र लगे हैं, उससे तो वह मन्दिर ही लगता है। फिर तो आना चाहिये उसे'।

'ऐसे लोगों को एक ही जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं। वह जगह है, मन्दिर। पण्डित तो है, लेकिन ज्ञान नहीं चतुर्भुज में।'

'इतनी ज्ञान की बात करती है और सब जगह भगवान मानती है, तो मंदिर में न घुसने का मुकदमा वापस क्यों नहीं ले लेती। मुकदमेबाजी में फायदा नहीं है; यह भी तो जानती है तू', शर्मा जी ने उतना ही सामान्य होकर कहा।

कुँवरी बिफर पड़ी। नथुनों में साँस तेजी से आने-जाने लगी। आँखों की पुतलियों में ऊपर की ओर जाकर ठहरने का भाव आ गया। वह डरावनी हो गई।

'देखो वकील साऽऽब ! आपको अगर फोकट में मुकदमा लड़ने में तकलीफ होती है, तो फीस बता दो। मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन दुबारा कभी भी मुझसे मुकदमा वापस लेने या राजीनामा करने के लिये मत कहना।'

'नहीं–नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था', कहकर शर्मा जी ने कुंवरी को किसी तरह शांत किया।

दिन, महीने और साल निकलते गये। कुंवरी की कमर उसी तरह झुकने लगी, जिस तरह चतुर्भुज की। मन्दिर चतुर्भुज के बेटों के हाथ में चला गया। सफेद दाढ़ी मूछों में चतुर्भुज और ज्यादा बूढ़ा दिखाई देने लगा। इस बीच कभी उसका साहस नहीं हो सका कि वह कुंवरी से मिलने पर उसकी ओर देखे, न मिलने पर उसके घर जाकर कहे कि मुकदमा लौटा ले। अपने भीतर अपने आपसे डरा हुआ महसूस करता रहा। यह आशंका बलवती होती चली गई कि इस अपराध में उसे कैद हो सकती है। कैद का भविष्य और अपनी बुढ़ियाती जिन्दगी चतुर्भुज की आँखों में बार-बार घूमती, लेकिन कुँवरी से मिलने का साहस नहीं होता। शर्मा जी से कई बार मिलकर मामला निपटाने के बारे में कहा भी; पर इस मामले में कुंवरी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का साहस शर्मा जी में नहीं था।

o o o

लोक अदालत में निपटाये जाने के लिये रखे गये मुकदमों में से एक कुंवरी का भी था। चतुर्भुज नौ बजे सुबह से आकर बैठ गया था। अपने तम्बू की स्थिति, उसमें मुकदमे का क्रम, सब कुछ मालूम करके वह कुंवरी की प्रतीक्षा करने लगा। जानता था कि कुंवरी से आँख मिलाने का साहस उसमें नहीं है; लेकिन पलकें उस सड़क की ओर बिछीं थीं, जिधर से कुंवरी के आने की उम्मीद थी। दोपहर बाद क्रोध की वह प्रतिमूर्ति आयी। शर्माजी प्रतीक्षा में थे।

'आज फैसला हो जाना चाहिये', कहकर उसने शर्मा जी से जानकारी ली और दूर घास पर बैठे तिनके से दांत कुरेदते चतुर्भुज की ओर गौर से देखने लगी।

आँखें बार-बार मलती और देखती, जैसे उसे अपनी निगाह पर विश्वास न हो रहा हो। कभी सिर पर हथेली धरती तो कभी ठोड़ी को मुटठी का सहारा देती। उसने इससे पहले चतुर्भुज का वह स्वरूप नहीं देखा था। लम्बे समय तक सोचते रहने के बाद भी किसी नतीजे पर न पहुंचने वाली कुँवरी अचानक चतुर्भुज की ओर चलने लगी। शर्मा जी ने पीछे से आवाज देकर उसे बताया कि उसकी फाइल आ गयी है। उसने शायद सुना ही नहीं। बढ़ती रही।

कुँवरी को पास आया देख चतुर्भुज खड़ा हो गया। तिनका तब भी हाथ में था। आँखें तब भी नीचे गड़ी हुई थीं। कुंवरी ने उसके सन जैसे बाल और बर्फ जैसी बरौनियां देखीं। फिर कहने लगी–'क्या करोगे मुझसे मुकदमा लड़कर ?'

'मैं···मैं···मैं कब लड़ रहा हूं···तुम्हीं ने तो···', वह बोला।

'लड़ाई मैंने तो नहीं की। जिसे तुम मुकदमा कहते हो वह लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो वह थी, जब तुमने मुझे वहां नहीं जाने दिया था।'

'लेकिन अब तो सब जाते हैं। अब तो तुम्हारा और मेरा बेटा एक ही कारखाने में एक ही मेज पर बैठकर खाते-पीते हैं। फिर तुम्हें क्यों क्रोध है?'

'मेरी इच्छा थी कि जमाना तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा भुगतते हुए देखता,' कुँवरी ने कहा। लेकिन यहां तो देखती हूँ कि किसी को किसी के बारे में सोचने की ही फुर्सत नहीं है। तुम जब जेल की सलाखों के भीतर जाओगे तो तुम्हारे परिवार के अलावा किसी को भान ही नहीं होगा कि यह किसी अपराध की सजा है। फिर कौन देखेगा; कौन सुधरेगा। सब सुधर तो रहे हैं।'

'तो क्या तुम समझौता करने को तैयार हो?' चतुर्भुज ने हर्षित होकर उत्सुकता से पूछा।

'नहीं, मैं समझौता करने को हर्गिज तैयार नहीं हूँ।'

'तो फिर यह सारा बोध किसलिए?'

कुँवरी बिना कुछ सुने उस तम्बू की ओर चली गई जिसमें उसका मुकदमा था। थके पाँवों से चतुर्भुज वहां आया।

'क्या आप लोग समझौता करने को तैयार हैं,' न्यायाधीश ने पूछा।

'जी', चतुर्भुज ने जल्दी में उत्तर दिया।

'जी नहीं,' कहते हुए कुँवरी आगे बढ़ी और न्यायाधीश से कहने लगी—'मैं मुकदमा वापस लेना चाहती हूँ।'

चतुर्भुज के लिए ये वाक्य शायद सबसे बड़ी सजा बने होंगे। ०

—शंकर भवन, कर्बला, लाड़पुरा,
कोटा (राज) ३२४००६

सूर-तुलसी को आप भी प्रणाम कीजिए

गालिब व मीर को सलाम करते हैं हम,
सूर-तुलसी को आप भी प्रणाम कीजिये।

गीतों की तरह ही है प्यार हमें गजलों से
आप भी तो मीरा के भजन सुन लीझिये।

राम और कृष्ण को न मानों भगवान भले,
थे वे पुरखे तुम्हारे ये तो मान लीजिये।

इससे है इनकार यदि तो शाही इमाम
रास्ता खुला है सहरा में जाके पीजिये।

■ ओमप्रकाश मिश्र 'कंचन'

मुस्लिम समाज को · · ·

(पृष्ठ ७७ का शेष)

भक्तिपूर्वक गाए जाते हैं। बंगलादेश के महाकवि नजरुल इस्लाम की हिन्दू देवताओं की स्तुतियां प्रसिद्ध हैं। भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है कि हिन्दू प्रधान देश में दो राष्ट्रपति, एक उप-राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, चार शिक्षामंत्री तथा अनेक उच्च पदों पर मुस्लिम रहे हैं। हिन्दू प्रधान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुसलमान हो चुके हैं। हमारी संसद में ५० से अधिक सदस्य मुस्लिम हैं। इसीलिए इतिहासकार विलफ्रेड केंटबेल स्मिथ लिखते हैं :-

'सम्भवत, किसी भी मुस्लिम देश में मुसलमानों को साफ ढंग से अपनी धार्मिक समस्याओं पर बोलने तथा निर्भीकता पूर्वक विचार करने की उतनी स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त है, जितनी भारतीय मुसलमानों को···बहुत से मुसलमान स्वीकार करते हैं कि देश के बंटवारे के समय से कहीं अच्छी स्थिति में वे हैं। वे यह भी महसूस करते हैं कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्या वालों की तुलना में उनकी स्थिति कहीं अच्छी है।'

हम एक हैं

२३ मार्च, १९४० को लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की घोषणा की थी। जब पाकिस्तान बनने की सम्भावना हो गयी तो २७ अप्रैल, १९४७ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुस्लिमों के सम्मेलन में सिंध के प्रधानमंत्री खान बहादुर बक्श ने जोरदार शब्दों में कहा था :-

'पाकिस्तान तथा दो राष्ट्र का सिद्धांत नितान्त अनुचित है। भारत के ९ करोड़ मुसलमानों में से अत्यधिक वे लोग हैं, जो इसी भूमि में पैदा लोगों की सन्तान हैं। यदि उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका अलग राष्ट्र हो गया।'

पाकिस्तान में जाकर बस जाने वाले उत्तर या दक्षिण के लोगों की बड़ी दुर्गति है। पठान पंजाबी, मुस्लिम उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मुजाहिद मारे जा रहे हैं। लूटे जा रहे हैं। भारतीय मुस्लिम महिला बेगम मेहरू जाफर अपने रिश्तेदारों से मिलने करांची गई थीं और बहुत दुःखी होकर लौटीं। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान में केवल ०·५ प्रतिशत आबादी हिन्दुओं की है। उन्हें सार्वजनिक रूप से होली, दीपावली तक मनाने की अनुमति नहीं है। फैज जैसे योग्य शायर, एक्टर जिया मुरूनुद्दीन, फिल्म निर्माता मुईनुद्दीन देश छोड़कर भाग गए। जोश मलीहाबादी की शायरी की मनाही है और वे कैदी की तरह जिन्दगी बिता रहे थे। करीब ७० लाख हिन्दू बंगलादेश से भागकर भारत आकर बस गए हैं। बंगलादेश में अल्पसंख्या वालों की क्या दुर्गति है इस विषय पर 'नई दिल्ली' पत्रिका, ३ सितम्बर, १९७९ को जकरिया शिराजी ने अच्छा प्रकाश डाला है। चिटगांव के पहाड़ी इलाकों में

रहने वाले लगभग ५ लाख चकमा आदिम जाति के बौद्धों पर आज क्या अत्याचार हो रहा है, इसकी वार्ता हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। जिस पाकिस्तान के लिए ११ अगस्त, १९४७ को जिन्ना ने कहा था कि वह 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य रहेगा, वही अब 'इस्लामी' राज्य है ?

राष्ट्रीय, देशभक्त तथा सच्चे मुसलमान, इस्लाम के कट्टर भक्त आज पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि विदेशी धन तथा भारतद्रोही शक्तियाँ नासमझ मुस्लिमों को पकड़कर उनका बड़ा अनहित कर रही हैं। कलकत्ता के, पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा घोषित 'विधि शोध संकाय' (ला रिसर्च इंस्टीट्यूट) के निदेशक, प्रसिद्ध लेखक तथा कानून पण्डित श्री एस० के० घोष ने अभी अपनी पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की है—'भारतीय मुसलमान, जागो और सोचो'—उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा बन्धुत्व पर पूरी तरह प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं —

'यह अवसर है रुक कर सोचने का-क्या भारत के हिन्दू और मुसलमान एक साथ रह कर देश के विकास और समृद्धि में एक के रूप राष्ट्र में काम नहीं कर सकते ?'

इस पुस्तक से बहुत से तथ्य इस लेख में दिए गए हैं। हम भी यही कहते हैं:-

'हम एक हैं। हम हिन्दुस्तानी हैं। मजहब अपनी निजी वस्तु है।'०

पतवार है तुलसी

■ डा० रवीन्द्र उपाध्याय

क्रांति-बेला की गजब ललकार है तुलसी
शारदा की वीन की झंकार है तुलसी।
शील में है सुरसरित् की लहर जसी
शक्ति में गर्जित जलधि का ज्वार है तुलसी।
'राम' के सम्मुख विनत वह भक्ति की धारा
दुष्ट 'दशानन' बुद्धि को यम द्वार है तुलसी।
भक्ति-गंगा का भगीरथ, ज्ञान का गौतम
काव्य-कानन का तो हरसिंगार है तुलसी।
पीड़ितों का पक्षधर, प्रतिपक्ष पीड़क का
धर्म-नैया की सबल पतवार है तुलसी।
हो महल या झोपड़ी—सर्वत्र है पूजित
व्यक्ति में ही विश्व का विस्तार है तुलसी।
धड़कनों सा आज भी वह व्याप्त जनमानसों में
मानिनी 'रत्ना' का खोया प्यार है तुलसी।

—व्याख्याता (हिन्दी विभाग)
श्री रा० प्र० सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, मुजफ्फरपुर (बिहार)

धर्म का मूल तत्व

डॉ० प्रशान्त वेदालङ्कार

(गतांक से)

धर्म एक शाश्वत नियम है जो ईश्वर-विश्वास के द्वारा मनुष्य को सदाचारी और नैतिक बनाता है, उसमें क्षमा, दया और वीरता के भाव उत्पन्न करता है। यह विवेक को जाग्रत करता है। प्रत्येक मनुष्य को एक ही ईश्वर का पुत्र बताकर एक मनुष्य के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। धर्म की ही प्रेरणा से व्यक्ति में दुर्बल मनुष्य की सेवा करने की वृत्ति उत्पन्न होती है। इसके नियम सार्वभौम व सार्वकालिक होते हैं जो कि सभी कालों व सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति का धर्म बिल्कुल सीधा-सादा होता है, जिसमें धार्मिक विश्वासों. धार्मिक सिद्धान्तों या आधिदैविक तत्वों की बेड़ियां नहीं होतीं। यह उस आत्मा की वास्तविकता का प्रतिपादन करता है, जो काल और देश के ऊपर व्याप्त है। अतः इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैनधर्म, सिख धर्म-इस प्रकार का शब्द प्रयोग गलत है। धर्म का इस प्रकार का विभाग करना मूर्खता है। हां, धर्म के स्थान पर सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग अर्थात् इस्लाम सम्प्रदाय, ईसाई सम्प्रदाय, पारसी सम्प्रदाय, बौद्ध, जैन व सिख सम्प्रदाय—ये प्रयोग ठीक है।

विचित्र विडम्बना यह है कि इन सम्प्रदायों अथवा मतों के प्रवर्तक सर्वथा निष्पाप व निश्छल थे। उनका जीवन त्याग व तपस्या का जीवन दिखाई देता है। उनके जीवन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनमें मानव-मात्र के लिए प्रेम और आदर का भाव था। उस समय के समाज में उन्हें जो बुराइयां दिखाई दीं, उन्हें दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया। सैद्धान्तिक आधार पर उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक तथ्यों में भले ही कुछ दोष प्रतिपादित किये जा सकें, पर उनके भाव व उनकी सदाशयता पर शंका प्रकट नहीं की जा सकती। सच्चा मत चाहे हिन्दू महात्मा का हो, जरथुस्त्र, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद या नानक का हो, हमसे यह मांग करता है कि हम घृणा और हिंसा का मुकाबला शान्ति और सम्मान के साथ करें। इस प्रकार विश्व के सभी मत अपनी उच्चावस्था में हम से यह अपेक्षा करते हैं कि हम एक दूसरे

को विनम्रता और मैत्री की भावना से समझें।

किन्तु उनके अनुयायी उनके दिखाए मार्ग को ही सर्वोत्कृष्ट मानकर अन्य सभी मतावलम्बियों के प्रति अपने मन में घृणा का भाव उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसा करके वे वस्तुतः अपने गुरु अथवा मार्ग दर्शक के प्रति अन्याय कर रहे होते हैं।

अपने ही संघ के गुण दिखाई देना तथा दूसरे संघ के दोष दिखाई देना–यह मोहवश भी होता है। अपनी वस्तु के प्रति अनावश्यक ममत्व की भावना इसका कारण होता है। कहावत है कि अपने दही को खट्टा कौन बताता है? अपने पुत्र को कोई कुपुत्र नहीं कहता। ये सभी हृदय की अनुदार वृत्ति के कारण होता है। व्यक्ति अपने संघ के दोषों को भी गुण मानता है, जबकि उसे दूसरे संघ के गुण भी दोष दिखाई देते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय यह उपदेश देता दीखता है कि चोरी करना बुरा है, किन्तु विधर्मियों के घर चोरी करना अच्छा है। इसी प्रकार निन्दा बुरी बला है, पर अन्य मतावलम्बियों की कर सकते हो। इन साम्प्रदायिकों की करतूतें देखकर राधाकृष्णन् का कथन अत्यन्त सार्थक प्रतीत होता है–अच्छे आदमी 'हमीं ठीक हैं के नाम पर जो पाप करते हैं, वे पाप तथाकथित पापी मनुष्यों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। आस्था के कई रक्षक-सत्य पर ही आक्रमण कर देते हैं। अपने धर्म के नाम पर हमने दूसरी आस्थाओं वाले लोगों के लिए भाई-चारे को नकार दिया है; जबकि ये भी सत्य के भूखे और प्यासे हैं।

धर्म-निरपेक्षता

आधुनिक युग में साम्प्रदायिकता की समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए धर्म-निरपेक्षता का सहारा लिया गया है। यहाँ एक बार फिर स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग गलत है। धर्म शब्द सांसारिक और आध्यात्मिक प्रत्येक प्रकार की उन्नति करने वाले तत्वों के लिए प्रयुक्त होता है। सत्य, ईमानदारी आदि सभी सद्गुणों का इसमें समावेश है। धर्म के सच्चे स्वरूप के प्रति सम्पूर्ण रूप से निरपेक्ष भाव रखने का साहस तो कट्टर नास्तिक या कम्युनिस्ट व्यक्ति भी नहीं रख सकता। वस्तुतः धर्म शब्द यहाँ सम्प्रदाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। धर्म-निरपेक्षता के निम्नलिखित अभिप्राय हो सकते हैं–

१–धर्म व सम्प्रदाय का सर्वथा निषेध करके उसे मिटा डालना–धर्म निरपेक्षता के इस अर्थ के अनुसार सभी सम्प्रदायों को समाप्त कर देने की कल्पना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक क्रिया-कलाप को करने का अधिकारी न हो। व्यक्तिगत रूप से भी किसी अलौकिक शक्ति के भी प्रति आस्था व्यक्त न कर सके। यह अतिवादी दृष्टिकोण कुछ बिगड़े कम्युनिस्टों द्वारा प्रस्तुत किया

जाता है। पर यह भनुष्य की प्रवृति पर प्रतिबन्ध लगाना है, जोकि सर्वथा मूर्खता-पूर्ण है। रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी अपने यहाँ आस्थाओं और सम्प्रदायों पर रोक नहीं लगा सके तो अन्य देश ऐसा क्या कर सकेंगे।

२–धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय यह लिया गया है कि धर्म की उपेक्षा करना अर्थात् उसकी ओर से राज्य का मुँह मोड़ लेना। वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय का सदस्य हो सकता है। सभी सम्प्रदाय अपने-अपने महापुरुषों, पर्वों, धर्म-ग्रंथों के प्रति आस्था रखने में पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रत्येक अपने ईश्वर की भक्ति अपने-अपने ढंग से कर सकता हैं। यह उसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। सच तो यह है कि प्रत्येक आध्यात्मिक साधना व्यक्तिगत ही होती है। सम्प्र-दाय उसको एक दिशा देता है। यदि कोई व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय किसी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय के धार्मिक कृत्य में बाधा उत्पन्न करे तो सरकार उसे दण्डित करे। राज्य को स्वयं भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति किस सम्प्रदाय से प्रेरणा ग्रहण

कर रहा है। परिणामतः राज्य में अनेक सम्प्रदाय और उसके अनुयायी होते हैं। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था से अभिप्राय है–(क) धर्म (सम्प्रदाय) की राज्य-व्यवस्था, अर्थनीति व समाज नीति से कोई संबंध न रखा जाय (ख) राज्य द्वारा किसी भी धर्म (सम्प्रदाय) को उत्तेजित न किया जाय। (ग) किसी भी सम्प्रदाय से राज्य पक्षपात न करे। (घ) शासन के नियमों के समक्ष सभी सम्प्रदायों के व्यक्ति समान माने जायें। (ङ) प्रत्येक सम्प्रदाय को अपनी उन्नति का पूर्ण अवसर हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक जीवन व्यतीत करे। हमारे संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता व उसकी उपासना-पद्धति को व्यक्ति का मूलभूत अधिकार माना है।

धर्म-निरपेक्षता की उपर्युक्त प्रकार से व्याख्या करके यह माना जाता है कि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे सम्प्रदायों के परस्पर वैमनस्य से बचा जा सकता है। परन्तु धर्म-निरपेक्षता के इस स्वरूप से स्पष्ट है कि यह एक अभावात्मक (नेगेटिव) उपाय है। या तो हम यह मानें कि सम्प्रदायों में परस्पर सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। सम्प्रदायों में केवल एक ही परमात्मा को प्राप्त करने के पृथक-पृथक उपाय हैं। कोई किसी भी मार्ग से जावे, राज्य को कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यदि सैद्धान्तिक आधार पर इनमें कुछ मतभेद हैं, तब इनके प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखना, समस्या से आँखें मूंद लेना है।

इसी सन्दर्भ में यह भी देखना चाहिए कि ये सम्प्रदाय केवल ईश्वर-प्राप्ति के ही उपाय वर्णित नहीं करते, प्रत्युत इनके अपने सामाजिक व राजनीतिक सिद्धान्त भी हैं और इन सिद्धान्तों की ये अवसरानुकूल व्याख्या भी करते हैं। प्रश्न है कि क्या एक ही युग में एक ही देश (राज्य-व्यवस्था) में अलग-अलग सामाजिक मान्यताओं को स्थान दिया जा सकता है। इन्हीं सामाजिक मान्यताओं के वैषम्य के कारण भारत में 'हिन्दू कोड बिल' स्वीकार करना पड़ा, अतः राज्य प्रत्येक सम्प्रदाय को यदि सदा उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तो भी यह सिद्धान्त बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आज सरकार परिवार नियोजन को कानून का रूप देकर दो बच्चों से अधिक संतानों को गैर कानूनी घोषित करने जा रही है। क्या चार पत्नी रखने के अधिकारी मुसलमान भाइयों पर भी यह कानून लागू होगा ? यदि नहीं तो क्या यह समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं होगा ?

यह दावा कोई नहीं कर सकता कि राज्य का स्वरूप धर्म-निरपेक्ष मान लेने से हम धर्म-निरपेक्ष हो गये हैं और अपने जीवन, विशेषतः सार्वजनिक जीवन में हमने धर्म निरपेक्षता को धारण कर लिया है। आज भी भारतीय समाज रूढ़ियों से ग्रस्त है, जाति-व्यवस्था से वह जकड़ा हुआ है। हरिजनों के साथ संवै-

धानिक समानता का व्यवहार नहीं किया जाता ।

सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दू-समस्या आज भी उसी भयंकर रूप में मुँह बाए खड़ी है । विदेश में चाहे हिन्दू पहुँचे या मुसलमान, वह 'हिन्दुस्तानी' या 'भारतीय' कहलाता है, पर भारत में वह हिन्दुस्तानी न रहकर मुसलमान रह जाता है । यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि ईरान और तुर्की के मुसलमान अपने को ईरानी और तुर्क कहते हैं पर हिन्दुस्तान के मुसलमान अपने को हिन्दुस्तानी नहीं कहते, न अपने को वे गुजराती, पंजाबी या कन्नड़ कहते हैं । वस्तुतः यह सम्पूर्ण प्रश्न धर्म का न होकर राजनीति का है । सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसकी निन्दा किये जाने पर भी यह प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । हिन्दू-मुस्लिम समस्या के बने रहने के निम्न-लिखित कारण हैं:—

(क) वोट-राजनीति के कारण, अथवा भारतीय मुसलमानों के असन्तोष को अल्पसंख्यकों का असंतोष समझकर न केवल उनके अपराधों को सहन किया गया, वरन् अनेक बार उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया । तुष्टीकरण की नीति के द्वारा उन्हें प्रसन्न रखा जाता है ।

(ख) यद्यपि यह ठीक है कि मुस्लिम सम्प्रदायवाद का इलाज हिन्दू सम्प्रदाय-वाद नहीं है, क्योंकि वह स्वयं एक रोग है, किन्तु कोई अन्य उपाय न होने के कारण किसी स्तर पर यह भी पनपा है। जब तक सभी सम्प्रदायों के प्रति सच्चे

अर्थों में समान व्यवहार नहीं होगा, तब तक हिन्दू सम्प्रदायवाद भी पनपेगा ।

यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि हिन्दू जाति अपने बुद्धिवादी विचारों की स्वतंत्रता तथा सहअस्तित्व के लिए प्रसिद्ध है । हिन्दू-समाज जहाँ जनसंघ, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, जनता आदि सभी दलों में समान रूप से है, वह हिन्दू के रूप में किसी भी एक दल के साथ संबद्ध नहीं हैं, वहाँ मुसलमान समाज सम्प्रदाय और राजनीति को एक मानकर चलने वाले नेताओं के नेतृत्व में चल रहा है । हिन्दू जहाँ सम्प्रदाय और राज-नीति को अलग-अलग मानकर चलता है, वहाँ मुसलमान पूर्णतः ऐसा नहीं मानता । वह समग्र रूप से एक विशेष दल के साथ सम्बन्ध रखता है । परिणामतः वह भारत में अपनी पृथक सत्ता बनाए हैं । उसके केवल धार्मिक स्थल एवं धर्म शाखाएं आदि ही अलग नहीं हैं बरन् मुहल्ले, कालोनियां और गांव भी पृथक हैं । क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम मुसलमानों को प्रेरित कर सकें कि वे अपने मुहल्ले तोड़कर सबके साथ रहें । वे भारतीय समाज में घुलमिल जाएं । भारत के सम्पूर्ण इतिहास को, पूर्वजों को, पर्वों को, भाषा

और साहित्य को समान रूप से मान्यता दें।

हिन्दू और मुसलमान धार्मिक सम्प्रदाय हैं, परन्तु हिन्दू-मुसलमानों की जिस समस्या की हमने चर्चा की है, वह निश्चय ही धार्मिक न होकर राजनीतिक है। बदनाम धर्म होता है, लाभ राजनीतिज्ञ उठाते हैं। सच्चे अर्थों में धार्मिक हिन्दू और धार्मिक मुसलमान अपने कर्म काण्डों व अन्य कट्टरताओं से जुड़े रहने पर भी पारस्परिक वैमनस्य से दूर ही रहते हैं। वे राजनीतिज्ञ होते हैं, जो कि दोनों सम्प्रदायों को परस्पर भड़काकर अपना उल्लू [सीधा करते रहते हैं। यह स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं कि इन सम्प्रदायों के तथाकथित नेता भी धार्मिकता का लबादा ओढ़े रहते हैं। असल में वे राजनीति के ही खिलाड़ी हैं। ये अपने को धार्मिक कहकर भी धर्म का राजनीतिक उपयोग करते हैं। जैसे घोर समाजवादी बढ़-बढ़कर समाजवाद का ढोल बजाते हैं उसी प्रकार अधार्मिक व्यक्ति धर्म का ढोल बजाता है। अतः दोष नेतृत्व में है। नेतृत्व की तीव्राकांक्षा ही उनसे अनेक प्रकार के छल कपट करवाती है।

सिद्धान्त-रूप से धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करने के उपरान्त भी देश के राजनीतिज्ञ नेता प्रत्येक मत के उत्सव पर पहुँच रहे हैं। यदि धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्मों (सम्प्रदायों) के प्रति उपेक्षा ही है तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के धार्मिक मतों से प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होने का क्या अर्थ है? अतः धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हम भले ही मतों के प्रति उपेक्षा करते हों, व्यवहार में ऐसा नहीं है।

राजनीतिक स्वार्थों के ही कारण आज अकाली सिखों की अलग कौम की बात कर रहे हैं। पंजाब में अकाली साम्प्रदायिकता के कारण हिन्दू साम्प्रदायिकता भी उत्पन्न हो रही है।

वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिकता की समस्या का हल नहीं है। सब धर्मों के प्रति उपेक्षा नहीं, वरन राज्य का सब सम्प्रदायों के प्रति समभाव, जिसे 'सर्वधर्म समभाव' कहा जाता है, साम्प्रदायिकता की समस्या का कुछ हल कर सकता है। 'सर्वधर्म-समभाव' के सिद्धान्त के अनुसार गीता, कुरान, बाइबिल एक-साथ सार्वजनिक व राजनीतिक मंचों पर पढ़े जा सकते हैं। यद्यपि स्वार्थी नेताओं ने इस प्रक्रिया से भी अपनी स्वार्थ-सिद्धि की, तो भी सामान्य जनता पर इसका अनुकूल ही प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः केवल नारों से ही समस्या का हल नहीं होता, वरन् सिद्धान्त के मर्म को समझकर उसको ईमानदारी से लागू करने से ही समस्या का समाधान होता है।

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि बहुत बार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के बहुत नारे लगाना या 'हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई' की बहुत बार दुहाई

ता ही साम्प्रदायिकता को बढ़ा देता है। मनोविज्ञान का यह सिद्धान्त है कि किसी चीज के लिए बहुत मना किया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया होती है और वे व्यक्ति भी जो उसके विषय में कभी सोचते भी नहीं, सोचने लगते हैं। अतः सर्व-धर्म-समभाव का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे एक नारा बनाएं और उसे प्रचारित करें, वरन् यह है कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति आदर का भाव रखे।

यदि ठीक प्रकार से व्यक्ति को शिक्षित किया जाए तो उसकी साम्प्रदायिक संकीर्ण मनोवृत्ति को समाप्त किया जा सकता है। हमें प्रत्येक मतावलम्बी का आदर करना चाहिए। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत उन्नति करता हुआ भी दूसरे व्यक्ति से सदा ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। एक परिवार अपना विकास करता हुआ दूसरे परिवार की उन्नति में बाधक नहीं बनता। इसी प्रकार प्रत्येक मत भी अपना विकास करता रह सकता है और उसका दूसरे मत की उन्नति से कोई विरोध भी नहीं हो सकता।

वस्तुतः धर्म भी यही सिखाता है कि हमें प्रत्येक विचार व प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह धर्म का ही काम है कि वह दुनियाँ में रद्दोबदल कर दे और ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठाए कि धार्मिक मनुष्य की राज्य व्यवस्था के अधिकारी दलगत (सम्प्रदायगत) समस्याओं में रुचि लेने का अपराध न कर सकें।

सभी सम्प्रदायों के धर्म-ग्रथों में प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया है कि भक्ति और निष्ठा जहां अपने सिद्धांत के प्रति हो, वहीं मानवता के प्रति भी होनी चाहिए। यदि अपने सिद्धांतों के प्रति व्यक्त निष्ठा अन्ततः दूसरे सम्प्रदाय के प्रति द्वेष-वृत्ति जागरित करती है तो यह समझना चाहिए कि यह द्वेष-वृत्ति हृदय की संकुचित अवस्था का दुष्परिणाम है। हृदय की यह संकुचित अवस्था ही झगड़े की जड़ हैं। 'स्व' का जितना अधिक विस्तार होता जाता है, व्यक्ति उतना ही उदार बनता है और वह उतना ही पुण्य का भागी बनता है। मनु और याज्ञवल्क्य भिन्न विश्वासियों की प्रथाओं का आदर करने का उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ऐसा कभी मत सोचो या कहो कि तुम्हारा अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म को कभी अस्वीकार मत करो बल्कि उनमें से जो आदर योग्य है, उसका आदर करो। जो लोग धर्म प्रचार के लिए दूसरे देशों में जाने वाले थे अशोक उन्हें अपने एक स्तम्भ में निर्देश देता है—याद रखो कि तुम प्रत्येक

जगह आस्था की कुछ जड़ें और विचार-सत्य पाओगे, ध्यान रहे कि तुम उन्हें प्रोत्साहित करो, नष्ट नहीं।

इसी प्रकार का दृष्टिकोण सभी मतावलम्बियों को अपनाना चाहिए। हम किसी मत से संबद्ध हो जाते हैं, पर किसी दूसरे मतावलम्बी के पास भी हमें जाने में संकोच न हो, न दूसरा मतावलम्बी हमें विधर्मी समझकर हमारा तिरस्कार करे।

धार्मिक शिक्षा

किन्तु सर्व-धर्म-समभाव व दूसरे मतावलम्बी का सम्मान करने मात्र से समस्या समाप्त नहीं हो जाती। आधुनिक युग में धर्म-निरपेक्षता का नारा लगाने वाले लोगों ने यह भी प्रचारित किया कि धर्म या धर्मों (मतों) की शिक्षा पर रोक लगा दी जाए। यहाँ तक तमाशा हुआ कि गंगा व गौ पर लिखे पाठों को भी पाठ्यक्रम में रखने से इन्कार किया गया क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म विशेष से है। हमारा मत है कि धर्म अथवा धर्मों की शिक्षा राष्ट्र में अनिवार्य होनी चाहिए। विभिन्न मत पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व भले ही न करें, किन्तु वे सत्य के उन विभिन्न पक्षों और धारणाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं, जिनमें कि लोग विश्वास करते रहे हैं। वस्तुतः वे एक ही सत्य की विविध ऐतिहासिक अभिव्यक्तियां हैं। उनका (उनमें से किसी एक का नहीं वरन् सबका) अध्ययन हमें एक सार्वभौम सत्य की ओर ही ले जाता है। अपने मत के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि हम जहाँ अपने मत का अध्ययन करें वहां विभिन्न मतों का भी गहन अध्ययन करें, क्योंकि वे सभी एक ही संस्कृति के मूल्यवान अंग हैं। उन सबका अध्ययन करके ही व्यक्ति उन मतों में विद्यमान धर्म के समान तत्वों का अन्वेषण कर सकेगा। उनके महान अध्ययन से ही व्यक्ति सत्य के विभिन्न रूपों का साक्षात्कार कर सकेगा।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा १९४८ में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध मे निम्नलिखित निर्देश हैं–

धारा १८–प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में न केवल उसको अपना धर्म या आस्था बदलने का अधिकार शामिल है बल्कि उसे यह भी स्वतंत्रता है कि वह खुद या दूसरों के साथ मिलकर निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की शिक्षा व पालन की अभिव्यक्ति करे व उसका व्यवहार और पूजा करे।

धारा १९–प्रत्येक व्यक्ति का विचार-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के मत बनाने और किसी भी माध्यम से किसी भी जगह से जानकारी चाहने, पाने और देने का अधिकार शामिल है।

(ख) भारतीय संविधान ने प्रारम्भ में ही घोषणा की थी कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को

चार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था
ौर पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता
।

जब व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त
कि वह अपनी रुचि के अनुसार किसी
ी मत के प्रति आस्था व्यक्त कर सकता
, तब यह और भी अधिक आवश्यक है
क उस देश के नागरिक को कम से कम
स राष्ट्र में प्रचलित धार्मिक मतों का
ार्शनिक स्तर तक का अध्ययन करने की
र्ण सुविधा प्रदान की जाए। हमारी
म्मति में राष्ट्र की प्रचलित शिक्षा–
णाली में धर्म-शिक्षा का अध्ययन अनि-
वार्य होना चाहिए, जिसमें धर्म के
सामान्य तत्वों के अध्ययन के साथ विभिन्न
मतों की शिक्षा भी हो।

ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करवाए जायें
जिनमें प्रत्येक मत से सम्बद्ध लेख हों। मत
की प्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से ही
लिखवाए जाएं, ताकि उन्हें यह शिकायत
न रहे कि उनके मत को ठीक प्रकार से
प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राथमिक
कक्षाओं को नैतिक एवं चारित्रिक गुणों
के विकास की शिक्षा तथा माध्यमिक एवं
उच्चतर कक्षाओं को विभिन्न मतों की
अनिवार्य शिक्षा व्यक्ति को विवेकपूर्वक
धर्म का प्रयोग करने में सहायक सिद्ध
होगी।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति
विभिन्न मतों का अध्ययन नहीं करता।
परिणाम यह होता है कि वह अपने मत
को भी ठीक प्रकार से नहीं जानता। वह
उसके वाह्य कर्मकाण्डपरक रूप से ही
परिचित होता है। उसकी उस कर्मकाण्ड
के प्रति अन्ध श्रद्धा तो होती है, पर
उसका विवेकसम्मत अभिप्राय वह भी
नहीं जानता। दूसरे मतों से सर्वथा अन-
भिज्ञ होने के कारण सुनी, सुनाई बातों
के आधार पर उसका अनावश्यक रूप से
विना तर्क के खण्डन करता है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के
मत को मानने का अधिकार देने का
आज यह अर्थ हो गया है कि वह अपने
पिता के मत को ही माने। जन्म के
आधार पर व्यक्ति पर मत थोपने की
प्रणाली तर्कसंगत नहीं कही जा सकती।
किसी मत विशेष में उसकी रुचि तभी
जागरित हो सकती है अथवा अनेक मत
में से अपने लिए किसी एक मत का
चुनाव वह तभी कर सकता है जब प्रत्येक
मत की उसने विस्तृत शिक्षा प्राप्त की
हो। इस प्रकार धर्म व सम्प्रदायों की
शिक्षा से जहाँ व्यक्ति धर्म के मूल तत्वों
को जान लेता है, वह यह भी जान जाता
है कि विभिन्न सम्प्रदायों के संबंध में
ठीक जानकारी प्राप्त कर साम्प्रदायिक
लोगों द्वारा उत्पन्न उसकी विद्वेष की
वृत्ति समाप्त हो जाती है।०

–७/२ रूपनगर, दिल्ली

सरकारी अभिलेखों में—

■ डॉ० श्रीपति अवस्थी

मुगलों की पकड़ से छूटकर भारत अंग्रेजों के जाल में फंस गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में व्यापार हेतु आई थी। व्यापार में असीमित धन अर्जित कर अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया। परिणामत: शनै:-शनै: इन व्यापारियों ने पूरे भारत पर अपना पंजा जमा दिया। ढहते हुए मुसलमानी राज्यों के नवाब, अमीर उमर एवं तालुकेदार परास्त हो गये। बंगाल विजय करने के बाद अंग्रेजों ने अवध का राज्य भी कम्पनी राज्य में मिला लिया। अवध के अन्तिम नवाब वाजिदअलीशाह को पदच्युत कर दिया गया। परिणामत: अंग्रेजों के विरुद्ध सम्पूर्ण उत्तर भारत में क्रांति की आग लग गयी। भारत के इस प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के वीरों का दमन बड़ी क्रूरता से किया गया। अपने पाशविक दमन के बल पर अंग्रेज बंगाल से लेकर दिल्ली तक का शासक बन बैठा। कम्पनी राज्य की दमनकारी नीति से इंग्लैंड की जनता तथा सरकार भी असन्तुष्ट थी। फलत: कम्पनी के हाथों से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया।

पाश्चात्य ढंग की शासन–प्रणाली लागू करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य एवं भूगोल सम्बन्धी विवरणों का प्रामाणिक लेखा-जोखा तैयार कराया। इन सभी विवरणों को लेखबद्ध करने के लिये गजेटियरों के प्रकाशन की व्यवस्था की गई। इस शृंखला में अवध गजेटियरों का उल्लेखनीय स्थान है। यह तथ्य सर्वविदित है कि अयोध्या नगरी का धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व भारतीय जनजीवन में गहराई से समाया हुआ है। बाल्मीकि रामायण में रामकथा की अवतारणा से, अयोध्या नगरी सम्पूर्ण देश में श्रद्धा का केन्द्र बन गयी है। वैष्णव परम्परा के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध परम्परा में भी अयोध्या की महत्ता इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। जैनियों के अनेक तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अनेक वर्षावास अवध क्षेत्र में बिताये थे। अत: हिन्दू समाज के सभी सम्प्रदायों के लिए अयोध्या समानरूपेण पूज्य एवं श्रद्धा केन्द्र है।

यहाँ इस बात की सराहना करना

श्रीरामजन्मभूमि

आवश्यक है कि अंग्रेजों ने ऐतिहासिक सामग्री का संकलन बड़े परिश्रम, लगन एवं निष्ठा के साथ किया है। अतः अंग्रेजों द्वारा संकलित एवं प्रकाशित सरकारी अभिलेखों में श्रीराम जन्मभूमि से सम्बन्धित जो विवरण दिया गया है। उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सन् १८७७-७८ में अवध गजेटियर का प्रकाशन किया गया है। इसमें अयोध्या का वर्णन काफी विस्तार से किया गया है। इसी गजेटियर को आधार बनाकर १८८० ई० में फैजाबाद जनपद का भूराजस्व विवरण (Settlement Report of Faizabad district) का प्रकाशन हुआ। इसी समय के आसपास अयोध्या नगर की नजूल भूमि के विवरण हेतु एक समिति गठित की गई। उक्त समिति ने १९०४ तक समस्त विवरण प्रस्तुत करते हुए भूस्वामियों के विवाद निपटाये तथा समस्त भवनों का लेखा-जोखा रखा गया। इन प्रामाणिक अभिलेखों के बाद विभिन्न जनपदों के गजेटियर प्रकाशित कराये गये। इनमें से बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा बहराइच जनपदों के गजेटियरों में रामजन्मभूमि का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख आया है।

अवध गजेटियर में अयोध्या का उल्लेख कन्नौज के हिन्दू राजा जयचन्द की महारानी द्वारा दिये गये दान से किया गया है। दान से सम्बन्धित ताम्रशासन (Copper plate) फैजाबाद के निकट पाया गया है। आगे बताया गया कि विक्रमादित्य नामक सम्राट ने अयोध्या में ३६० मन्दिरों का निर्माण कराया था। यद्यपि वे सभी मन्दिर मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ डाले गये। मन्दिर का वास्तुशिल्प कैसा था; उनकी व्यवस्था कैसी थी? ये सभी तथ्य काल की गुफा में खो गये हैं। किन्तु उनमें से ४२ मन्दिरों की स्मृति अभी भी जनमानस में विद्यमान है। जनश्रुति के अनुसार बाबर के आक्रमण के समय अयोध्या में ३ मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं कोटि-कोटि हिन्दुओं के श्रद्धाकेन्द्र थे। ये मन्दिर जन्मस्थान, त्रेता के ठाकुर तथा स्वर्गद्वार के नाम से प्रसिद्ध थे। जन्मस्थान पर मुगल आक्रमणकारी बाबर द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया गया। १५२६ ई० में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पानीपत के युद्ध में दिल्ली के अत्यन्त कमजोर शासक इब्राहीम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। खानवां के युद्ध में राणासांगा को परास्त करने के बाद बाबर ने चन्देरी पर आक्रमण

किया। चन्देरी के शासक मेदिनीराव को हराकर उसने हिन्दुओं का भयंकर कत्लेआम कराया तथा एक पहाड़ी पर मानव खोपड़ियों का पिरामिड बनवाया। इसी प्रकार ग्वालियर के निकट उर्वा नामक स्थान पर जैन मूर्तियों को तुड़वाकर मन्दिर नष्ट-भ्रष्ट करवा दिया। बाबर के एक सेनापति हिन्दूबेग ने सम्भल में (मुरादाबाद) हिन्दू-मन्दिर तुड़वा दिया। अपनी विजय के उन्माद में बाबर अवध की ओर बढ़ा। १५२८ ई० में उसने अपना शिविर सरवा तथा घाघरा के संगम पर लगाया। यह स्थान अयोध्या से केवल ४ कोस की दूरी पर है। बाबर यहाँ पर एक सप्ताह तक रुका रहा और इसी अवधि में उसने अपने मनसबदार मीरबाकी को मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। श्रीराम जन्मभूमि पर बनी यह मस्जिद आज भी बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अवध गजेटियर इस ओर संकेत करता है कि बाबरनामा में इस घटना का कोई उल्लेख इसलिये नहीं मिलता है कि अवध पर आक्रमण के समय से ५-१/२ महीने की घटनाओं सम्बन्धी विवरण के पन्ने बाबरनामा से गायब हैं। किन्तु मस्जिद में दो शिलालेख लगे हैं। इनमें बाबर के आदेश से मस्जिद बनवाने का स्पष्ट उल्लेख है। दोनों ही शिलालेखों में ६३५ हिजरी अर्थात १५२८ ई० का उल्लेख है। अवध गजेटियर का लेखक इस बात से पूर्णत: सहमत है कि मीरबाकी ने राममन्दिर के ध्वस्त मलबे से मस्जिद का निर्माण कराया। इस तथाकथित मस्जिद में अभी भी काले पत्थर के १४ स्तम्भ लगे हैं। ये स्तम्भ कसौटी के स्तम्भ कहलाते हैं। इन स्तम्भों पर उत्कीर्ण कलाकृतियाँ हिन्दू देवी देवताओं से संबंधित हैं। स्तम्भों की लम्बाई सात फीट से आठ फीट तक है। आकार अष्टकोणीय है तथा उनका शीर्ष भाग गोल है।

बाबर के कुकृत्य का उल्लेख फैजाबाद सेटलमेण्ट रिपोर्ट १८८० तथा फैजाबाद गजेटियर (१६०४, १६२८) के संस्करणों में किया गया है। बाबर द्वारा मन्दिर तुड़वाने के बाद अनेक वर्षों तक हिन्दुओं तथा मुसलमानों में संघर्ष होता रहा है। श्रीराम जन्मभूमि पर अधिकार करने के लिए मुसलमानों ने अनेक बार जेहाद किया। एक विशेष आक्रमण का उल्लेख तत्कालीन सभी सरकारी अभिलेखों में किया गया है। बाराबंकी गजेटियर में मौलवी अमीर अली के जेहाद का वर्णन आया है।

लखनऊ जनपद में सुल्तानपुर मार्ग पर अमेठी नामक एक छोटा सा कस्बा स्थित है। इसी में मौलवी अमीर अली नामक एक फकीर रहता था। इसने कई बार श्रीराम जन्मभूमि पर अधिकार करने तथा हनुमानगढ़ी ध्वस्त करने का प्रयत्न किया; किन्तु उसे हर बार असफलता ही मिली। नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल १८५३ में अयोध्या के मुसलमान फकीरों ने यह अफवाह फैलाई कि हनुमानगढ़ी में औरंगजेब की बनवाई मस्जिद, बैरागियों ने गिरा दी है। इस खबर से मौलवी अमीर अली

का धर्मोन्माद पुनः जाग उठा। और उसने जेहाद की घोषणा कर दी। इस धर्मयुद्ध में अमेठी, मलिहाबाद, सण्डीला सफदरगंज तथा दरियाबाद (बाराबंकी जनपद) के धर्मांध मुसलमान एवं मुल्ला मौलवी सम्मिलित होने लगे। नवाब वाजिद अली शाह ने जेहाद को रोकने हेतु मौलवी अमीर अली को दरबार में बुलाकर मना किया तथा उसे यह आश्वासन दिया कि यदि कोई मस्जिद गिराई गयी होगी तो उसे अवश्य दिला दिया जायेगा। नवाब के इस आश्वासन पर मौलवी सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने अयोध्या की ओर अपने जेहादियों के साथ मार्च कर दिया। उसका पहला पड़ाव बाराबंकी जिले के प्रमुख कस्बे सफदरगंज के पास बांसा गांव में हुआ। दूसरा पड़ाव दरियाबाद में पड़ा। हम पहले ही बता चुके हैं कि मौलवी की इस जेहादी सेना में सफदरगंज तथा दरियाबाद के अनेक मुसलमान सम्मिलित हुए थे। इस समाचार को सुनकर नवाब ने मौलवी को रोकने के लिए अंग्रेज रेजीडेण्ट आउट्राम को आज्ञा भेज दी। इसके साथ ही फैजाबाद भी सूचना भेज दी गयी। नवाब ने अनेक लोगों को भेजकर मौलवी अमीर अली को पुनः समझाने का प्रयास किया; किन्तु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अन्ततः मौलवी की जेहादी सेना को बलपूर्वक रोकने का आदेश नवाब को देना पड़ा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि

धर्मांध कट्टरपन्थी शांति की भाषा नहीं समझते हैं। मौलवी की जेहादी सेना का पड़ाव दरियाबाद में २० दिनों तक रहा था। इस समय तक उसकी सेना में २००० जेहादी मुसलमान एकत्र हो गये थे। यहाँ से मौलवी ने राम जन्मभूमि तथा हनुमानगढ़ी पर अधिकार करने के लिए अपना अन्तिम अभियान प्रारम्भ किया। कस्बा रुदौली के आसपास मौलवी तथा नवाबी सेना में मुठभेड़ हुई। नवाबी सेना के मुसलमान बंदूकची मौलवी के प्रति सहानुभूति के कारण ठीक से गोलियाँ नहीं चला रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही अवध की प्रथम इंफैंट्री का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज सेनापति बारलो ने उन मुसलमान बन्दूकचियों को जान से मार दिया तथा स्वयं गोलियां चलाना प्रारम्भ कर दीं। इसी समय दरियाबाद के राय अभिराम बली के सिपाही भी युद्ध में सम्मिलित हो गये। साथ ही कमियार के राजा शेरबहादुर सिंह तथा ठाकुरसिंह ने भी मौलवी की सेना को घेर लिया। शेरबहादुर सिंह ने तलवार के एक ही वार

में मौलवी का सिर काट डाला। मौलवी का कटा हुआ सिर नवाब के पास भेज दिया गया तथा उस धर्मांध कठमुल्ले की लाश रहीमगंज में दफन कर दी गयी। लगभग ३ घण्टे के इस युद्ध में नवाब की पूरी इंफैंट्री मारी गयी और जेहादी मौलवी के ७०० लोग मारे गये शेष घायल होकर भाग गये।

१९०४ के गजेटियर बाराबंकी में इस घटना का विस्तार से उल्लेख मिलता है। अवध गजेटियर में रुदौली कस्बे का वर्णन करते समय भी इस घटना का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसी प्रकार लखनऊ गजेटियर में अमेठी कस्बे के उल्लेख में भी मौलवी अमीर अली के जेहाद का वर्णन किया गया है। यह घटना १८५३ में घटी थी। १८५६ ई० में, कम्पनी राज्य में अवध राज्य का विलय कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अवध गजेटियर १८७७-७८ ई० में प्रकाशित किया गया जिसमें जन्मस्थान पर बने श्रीराम मन्दिर के तोड़े जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। फैजाबाद सेटलमेण्ट रिपोर्ट १८८० तथा फैजाबाद गजेटियर १९०४ एवं १९२८ से भी मन्दिर तोड़े जाने की सम्पुष्टि होती है।

किन्तु अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ता है कि स्वतन्त्र भारत में उ० प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित गजेटियरों में राम जन्मभूमि सम्बन्धी विवरणों की भाषा बदल दी गयी है तथा कहीं-कहीं पर तथ्यों को छिपाया भी गया है। अंग्रेजों के समय में छपे गजेटियरों में मुसलमानों के अनेक आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। १८५३ तथा १८५५ के मध्य मुसलमानों ने जन्मस्थान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। जन्मस्थान की मुक्ति हेतु हिन्दुओं ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। इसमें ११ हिन्दुओं को वीरगति मिली तथा ७५ मुसलमान मारे गये। जन्मस्थान के निकट ही इन मुसलमानों को दफन कर दिया गया। यह स्थान 'गंज शहीदां' कहलाता है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक मुसलमानों के आक्रमण तथा हार कर उनके भागने का इतिहास उ० प्र० सरकार द्वारा १९६० में प्रकाशित फैजाबाद गजेटियर में नहीं लिखा गया है। इसी प्रकार बाराबंकी गजेटियर के नवीन संस्करण में मौलवी अमीर अली के जेहाद का संक्षिप्त विवरण देकर इस घटना को छिपाने का प्रयास किया गया है। न केवल घटना ही अपितु मौलवी के जेहाद तथा खून-खराबे की तिथि १८५३ की जगह १८८५ दी गयी है। उल्लेखनीय है कि मौलवी अमीर अली नवाब वाजिद अली शाह के राज्यकाल में था। अवध का राज्य १८५५ में कम्पनी राज्य में मिला लिया गया। गजेटियर बाराबंकी-१९६४ के पृष्ठ ३७ पर हिन्दू धर्म स्थानों-श्रीराम जन्मभूमि तथा हनुमानगढ़ी-का स्पष्ट उल्लेख न करके उन्हें "विवादित स्थानों पर अधिकार हेतु"

वाक्यांश लिखा गया है, जबकि १६०४ के बाराबंकी गजेटियर में इन स्थानों को जन्मस्थान तथा हनुमानगढ़ी कहा गया है। इसी प्रकार पुराने गजेटियर में कमियार के राजा शेरबहादुर सिंह द्वारा मौलवी अमीर अली का सिर काटने का उल्लेख है। किन्तु १६६४ के गजेटियर में कमियार के इस धर्मरक्षक वीर राजा का नाम छोड़ दिया गया है। सिर्फ 'कुछ हिन्दू सरदार' ऐसा उल्लेख किया गया। बाराबंकी गजेटियर १६०४ में लिखे इतिवृत्त का पूरा विवरण २० जून १६०२ के पायनियर समाचारपत्र में 'ऐन एपीसोड इन अवध हिस्ट्री' (अवध के इतिहास में एक घटना) में पहले ही दिया गया है। साथ ही इन तथ्यों की सम्पुष्टि 'लैण्ड लार्ड्स आफ आगरा ऐण्ड अवध' नामक पुस्तक (१६५०) में दरियाबाद (बाराबंकी) के तालुकेश्वर राय अभिराम बली के जीवन चरित में भी होती है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि हमारी यह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार ऐतिहासिक तथ्यों को भी छिपाने का पाखण्ड करती है। मौलवी अमीर अली के जेहाद का वर्ष १८५३ के बजाय १८८५ देना ऐतिहासिक तिथि को विस्थापित करने का कुप्रयास मात्र है। मुस्लिम तुष्टीकरण का यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है।०

—५५१झ/१०८, रामनगर, आलमबाग, लखनऊ-५

प्रोत्साहन

स्त्री

—आलोक कुमार पाण्डेय

रौंदा हुआ पौधा हूँ
किनारे कर दीजिये
मगर याद रखिये कि
मैं दब न जाऊँ कहीं
आपके ही कदमों से
उठा कर मुझें,
घर की शोभा बढ़ाइये
या हृदय के गुलशन में लगाइये
जो भी मिला सामने
उसने मुझे त्रास दिया है
जवाब दीजिये मुझे कि
हँसते-हँसते मुझसे
सभी ने, सब कुछ क्यूँ लिया है
आप पर मैं थोड़ा सा विश्वास
करती हूँ,
समझेंगे कैसे दुख मेरा
जो न कह पाऊँगी
उसी को जान लीजिये
अनकही बातें हमारी
आप मान लीजिये

—२८८/१०७ शिवसदन, आर्यनगर, लखनऊ

भारत व्यथा

(अवधी प्रबन्ध काव्य)

भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'

द्वितीय सर्ग

धीरजु धरि कै तब फिरि आगे
बोली भारत माता ।
बेटा ! जन्मभूमि से नर कर
बहुतु बड़ा है नाता ।१।

राष्ट्र-धरम-संस्कृति के ऊपर
जे जन बलि होइ जावैं ।
ते कर्तव्य-उरिन होइकै ध्रुव
अंत परम पद पावैं ।२।

अब आगे कै सुनउ सविस्तर
अद्‌भुत कथा पुरानी ।
भरत-भूमि कै वैभव-चरचा
बसुधा-बीच समानी ।३।

सब दिन सब सुखु अउ सुराजु भा
अइसि भये तब राजा ।
जिनके वीर भाव कर डंका
दिग-दिगन्त लगि बाजा ।४।

इही देश का दिहिसि बिधाता
ग्यान-रतन कै थैली ।
तेज-जोति भारत कै तब तौ
बिस्व भरे मां फैली ।५।

जइसे दीप-जोति का हर छन
चहइ पतंग बुझावा ।
जइसे बाजु लवा पर झपटै
औरु चहै तेहि खावा ।६।

जइसे देखि दिवाकर कै दुति
खग उलूक अनखावै ।
जइसे देखि नेउर का विषधर
बार-बार मुँहुँ बावै ।

तइसे भारत की महिमा का
खल न कबों सहि पाइनि ।
वै सब इरषा-लोभ-ग्रसित ह्वै
यहि पर घात लगाइनि ।८।

यथा चँदरमा निज समाजु लइ
करइ राति उजियारी ।
तथा प्रकासित जब भारत माँ
भये कृष्ण गिरिधारी ।९।

उन्हकर परम पराक्रमु तव तौ
दिग-दिगन्त लगि छावा ।
सुनि अमरष-बस इरषा-प्रेरित
काल जवनु चढ़ि धावा ।१०।

भवा अरंभ असुभ कर आगम
औरु महा दुखदाई ।
पहिले पहिल बिदेसी सेना
टीड़ी जसि उधिराई ।११।

रास-रचइया कृष्ण चन्द यहु
धावा सुनि चकराये ।
तुरत-बुद्धि से रिपु के बध कै
मन माँ जुगुति लगाये ।१२।

मथुरा नगरी कै सब सेना
भेजि जवन के आगे ।
कूटनीति से भेपु बदलि कै
जुद्ध-बिमुख ह्वै भागे ।१३।
महानास करि सुर सेना कर
काल जवनु जब जागा ।
किहिसि कृष्ण कर तुरतै पीछा
आखिर मरा अभागा ।१४।
मुला तबौ ते रुका बिदेसिन
कर न इहाँ पर आना ।
सान्ति औरु सुख-संपति का जे
लूटिनि सदा खजाना ।१५।
है बरियार कालु यहि जग माँ
कालु सबहिं का पालै ।
काल-उलंघन करि न सकै कोउ
कालु सबहिं का घालै ।१६।
कोउ-कोउ चाहिसि यहि धरती पर
कालजयी बनि जावै ।
मुला न कोउ भवा जग-ऊपर
कालु न जेहिका खावै ।१७।
कालु व्यतीत भवा कुछु आगे
चढ़ि आवा यूनानी ।
नाँउँ सिकन्दर बिस्वजयी कै
केवल क्रूर कहानी ।१८।
पुरुसपुरी कर हिन्दू राजा
पोरस लइ गज-सेना ।
भिड़ा, सिकन्दर कै हय-सेना
मानिसि ताहि चबेना ।१९।
पोरस-सेना डटी समर माँ
यूनानी-दल बाँका ।
गजराजन के पायँ उखरिगे
कटि कै गिरी पताका ।२०।

सेना भई पलायितु, पोरस
यूनानी से हारा ।
औ बन्दी भा, तब तौ भारत
कर धूमिल भा तारा ।२१।
समय-चक्र कुछु सरका आगे
मौर्य-काल तब आवा ।
परम प्रतापी चन्द्रगुप्त कर
सासन जब उपरावा ।२२।
चंद्र-तेज चाणक्य सचिव कै
सूझ-बूझ अलबेली ।
चन्द्रगुप्त का दिहिसि विजय श्री
जइसे बधू नवेली
चन्द्र गुप्त तब अइसन चमका
जस पूनम कर चन्दा ।
करि उजियारी न्याव-नीति कै
काटिसि जन-दुख-फन्दा ।२४।
जब भारत पर किहिसि चढ़ाई
सेल्यूकस सेनानी ।
चन्द्रगुप्त रिपु-लहू बहाइसि
जस बरखा कर पानी ।२५।

भागा खैंबर पार सेल्यूकस
आगे साहस हारा ।
यादि होइ गवा दूधु छठी कर
जोसु उतरिगा सारा ।२६।
राजा भा असोक भारत कै
पकरिसि सासन-डोरी ।
बुद्ध देव की ग्यान-अगिनि से
दाहिसि दुख कैं होरी ।२७।
गौतम-ग्यान-पताका दइकै
पठइसि सुत अउ कन्या ।
देस-देस माँ बिचरे दोऊ
भारत-भुइँ भै धन्या ।२८।
मलय-सुमात्रा-स्याम-ब्रह्म
कम्बोज-चीन अउ बाली ।
तिब्बत-लंका पान किहिनि तब
सौगत-ग्यान-पियाली ।२६।
आगे पुष्यमित्र कर सासनु
भवा भूरि सुखदाई -
जवन मिनेन्डर की सेना कैं
कीन्हिसि काटि सफाई ।३०।
फिरि ते किहिसि अरंभ जज्ञ वहु
अस्वमेध अलबेला ।
जेहिकर दीच्छित अस्व चहूँदिसि
बिचरै लाग अकेला ।३१।
जवन सेनपति डेमेटिरिअस
जब रोकिसि वहु घोड़ा ।
पुष्य मित्र फिरि किहिसि पराक्रम
मिटा जज्ञ कर रोड़ा ।३२।
आगे स्वर्नकाल जब आवा
चन्द्रगुप्त भा राजा ।
तब तौ भारत कर जस-सौरभ
दूर-दूर तक छाजा ।३३।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य फिरि
सासन लीन्हिसि हाथे ।
मुकुट मनोहर तब 'सकारि' कर
चढ़ा वही के माथे ।३४।
सत्रु सकन कहुँ मारि भगाइसि
पाइसि जय जय-कारा ।
वहि के सासन से जनता कर
भागि गया दुखु सारा ।३५।
भा इस्कन्दगुप्त तेजस्वी
वही बंस माँ आगे ।
धावा हूण किहिनि भारत पै
मुला हारि कै भागे ।३६।
भारत भा विख्यात जगत माँ
तब अनन्दु भा भारी ।
खुरासन-जापान आदि ते
बढ़ी प्रीति बैपारी ।३७।
वैभव-विद्या-कला-सिल्प
उद्योग-योग हरियाने ।
गुप्तबंस के राजकाल माँ
फइले अउरु फुलाने ।३८।
सब विधि भा संपन्न देसु तब
मानवता हरषानी ।
वहि सुराज माँ रहा न कोऊ
मानउँ राजा-रानी ।४०।
राजु जसोधरमन कर भा तब
तेजु देस माँ छावा ।
तबै भवा हूणन के मुखिया
तोरमाण कर धावा ।४०।
कीन्हिसि तोरमाणु भारत कै
हानि भयंकर भारी ।
हिंसा-लूट मची अस, जइसे
प्रलय राति अँधियारी ।४१।

जुटे देस के भूप अनेकन
जसधरमन के साथे।
तोरमाण कहुँ मारि, विजय कर
मुकुट सजाइनि माथे।४२।
तोरमाण कर पूतु मिहिरकुल
धावा कीन्हिसि आगे।
जसधरमन के हाथन जेहिकाँ
मरन मिला मुँह माँगे।४३।
आगे बर्धन बंसु बढ़ा, भा
राजा हर्ष निराला।
लइकै धरम पताका पहिरिसि
दानवीर कै माला।४४।
धरम-सभा तब तौ प्रयाग माँ
कीन्हिसि राजा भारी।
दान किहिसि बहु संपति जेहिमाँ
भूरि मान-अधिकारी।४५।
तबै हूण फिरि मूँड़ु उठाइनि
किहे करेरी आँखी।
हरषित हर्ष उठाइसि धनुहाँ
किहिसि रिपुन कहँ राखी।४६।
देस-बिदेसन की आँखिन माँ
भारत सोन-चिरइया।
लार टपकि गै, वै भे जइसे
दूधहिं लखैं बिलइया।४७।
म्लेच्छ-बंस के धावा बढ़िगे
टूट न तब ते ताँता।
भारत-वीर बिलासी होइकै
रहैं सदा मदमाता।४८।
राजा बिमुख वीरता ते भे
अउ ह्वै गये बिलासी।
अइस बढ़ा अभिमान, हृदय कै
सकल एकता नासी।४९।

छेद पाइ तब बिन कासिम कै
अरब-सेन घुसि आई।
सिंधुराज दाहिर कै सेना
मुला न कुछु करि पाई।५०।
ध्वंस किहिनि मन्दिर-मण्डप वै
लूटिनि चाँदी-सोना।
देखि अरब-उतपात सिन्धु कर
रोवा कोना-कोना।५१।
नारिन का अपमानित करि-करि
दुष्ट किहिन मनमानी।
मुला देस के रनवीरन कर
मारनउँ मरिगा पानी।५२।
आगे करि महमूद गजनवी
सतरह बार चढ़ाई।
भारत कर बहु वैभव लूटिसि
अउरु भवा दुखदाई।५३।
सोमनाथ कै मूरति तोरिसि
लइगा माल-खजाना।
मर्दि-मर्दि पच्छिम भारत कर
तूरिसि ताना-बाना।५४।
फिरि पठइसि सैयद सलार कहँ
दइकै सेना भारी।
उत्तर भारत माँ दुखु ढाहिसि
वहु अति अत्याचारी।५५।
पदलोलुप मदमत्त भये जब
भारत के बहु राजा।
दिहिस न कोऊ साथु कोहू का
जवन राजु तब गाजा।५६।
पृथिवीराज रहे छत्रिन माँ
तेजवन्त भटमानी।
उनहिं सहाबुद्दीनु हराइसि
अउरु किहिसि मनमानी।५७।

सासन के आसन कर बनिगा
म्लेच्छ वंसु अधिकारी ।
तेजु सोइगा रजपूतन कर
अउरु गई मतिमारी ।५८।
तब तैमूरलंगु लै सेना
भारत पर चढ़ि आवा ।
जनजीवन ते खेलु करै काँ
दिल्ली-पुर माँ छावा ।५९।
लूटिसि माल-खजाना, खेलिसि
खूब खून कै होरी ।
मचा प्रलय जस नगर भरे माँ
अउरु बढ़ी बरजोरी ।६०।
कबहूँ खिलजी कबहूँ लोदी ।
कबहूँ सासिनि सूरी ।
वै बर्बर हमरे हाथन कै
तोरिनि कंगन-चूरी ।६१।
मुगल कुसासन-चक्र चला तब
बाढ़ि बहुति अँधियारी ।
बाँधि कुसासन भागें भटकें
पंडा अउरु पुजारी ।६२।
वेद-पुरान भये तव गूंगे
मन्दिर भुइँ भहराने ।
चोटी अउरु जनेऊ पकरे
हिन्दू भागि भयाने ।६३।
एकु नहीं, 'जयचन्द' बहुत भे
जेहिते हिन्दू हारे ।
मुस्लिम मउज मनाइनि तब तौ
किहिनि उपद्रव सारे ।६४।
संखनाद भे बन्द, मन्द भै
मन्त्र पाठ अउ पूजा ।
मुस्लिम मजहब कर स्वदेस माँ
जव भैरव रव गूँजा ।६५।
बढ़ी वासना कै ज्वाला फिरि
बढ़िगै ठकुरसोहाती ।
'दिल्लीस्वर' 'जगदीस्वर' बनिगे
मोरि जरी सुनि छाती ।६६।
वही बीच कुछु योरुपवासी
आये बनि बयपारी ।
जेहिते उथल-पुथल भारत माँ
बढ़िगै कठिन करारी ।६७।
नादिरसाहु तबै लइ सेना
कीन्हिसि इहाँ चढ़ाई ।
दिल्लीपति अरि ते भिड़िगा, मुलु
हाथ पराजय आई ।६८।
भारी लूट-मार भै तव तौ
खूनु बहा जस पानी ।
नादिर साहु 'तखत-ताउस' का
लइगा करि मनमानी ।६९।
वहि के बादि साह अब्दाली
किहिसि देस पर धावा ।
पानीपत माँ जुटे मराठा
चाहिनि ताहि भगावा ।७०।
रुका न रोके जुद्ध उभय माँ
बही खून कै धारा ।
जीति गवा अब्दाली दइकै
मोहिं कहँ दुक्खु करारा ।७१।
अस भारत कर भवा अभाग ।
कागा खाइनि हंस क भाग ।७२।

(क्रमशः)

–अकबरपुर, फैजाबाद

व्यंग्य

हाशिमी राजनीति और बरेली का सुर्मा

▣ ओमप्रकाश पाण्डेय 'मंजुल'

उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर बरेली का नगरों के सांस्कृतिक इतिहास में अपना स्थान है। कभी इस नगरी के बाजार में किसी फिल्म अभिनेत्री का झुमका गिर गया था जिसे ढूंढ़ने के लिए सोने की सींक से तरह-तरह का बरेली का सुर्मा लगाया गया पर झुमका दिखायी नहीं दिया क्योंकि सभी सुर्मे घटिया एवं नक़ली थे। यह घटना स्वतंत्र भारत की है। परतन्त्र भारत के इस नगर में मु० हाशिम की एक सुर्मे की फर्म हुआ करती थी। उनका सुर्मा इतना गुणकारी हुआ करता था कि बिना किसी विज्ञापन के ही क्रेता दूकान पर जमघट लगाए रहते थे।

आज असली हाशिम तो नहीं रहे पर उनके नाम पर लूटने वाला बरेली का हर सुर्मा विक्रेता अपनी दूकान को हाशिम की असली दूकान बताता है। हर दूकानदार के सुर्मा साहित्य पर काली शेरवानी पहने लम्बी काली दाढ़ी वाले मु० हाशिम का चित्र छपा रहता है। सभी के साहित्य में कुछ सामान्य समानताएं विद्यमान रहती हैं। मसलन उनका सुर्मा यों तो हर उम्र के लिए मुफ़ीद है पर वयस्कों (वोटर्स) के लिए विशेष गुणकारी है। विद्यार्थियों, अध्यापकों, डाक्टरों तथा वकीलों आदि लिखा-पढ़ी करने वालों के लिए अति लाभदायक है। मजदूर किसानों के लिए विशेष रियायती पैक है महिलाओं की प्रकृति के अनुकूल ठन्डा है। गरीब बेकार तथा असहायों का हमदर्द है। व्यापारी भाइयों को करमुक्त तथा सरकारी कर्मचारियों को विशेष कमीशन पर दिया जाता है। हर दूकानदार अपने को हाशिम का असली उत्तराधिकारी तथा तपनी दूकान को हाशिम की असली दूकान बताकर अन्य दूकानों को नकली बताता है। उसके पम्फलेट के ऊपर बायीं ओर सुर्मा कम्पनी (अपनी

कम्पनी का नाम) जिंदावाद, दायीं ओर मु० हाशिम जिंदाबाद तथा बीच में मु० हाशिम का चित्र और उसके नीचे मोटा सा तीन जगह नक्कालों से सावधान छपा रहता है। यह दूसरी बात है कि उसके सुर्मे से आखें भले ही स्वस्थ होने के स्थान पर पट्ट हो जाएँ और दुकानदार हाशिम का उत्तराधिकारी होने के स्थान पर उसका नाती या पोता हो-वह भी दूर-दराज का।

हुआ यह कि हाशिम अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे उत्तराधिकारी ने अपनी आखिरी सांस और रक्त की अन्तिम बूंद तक हर चन्द कोशिश की कि इस व्यवसाय में केवल उसी के परिवार का एकाधिकार रहे पर एक ही छत के नीचे जब मां-बेटे, भाई-भाई तथा सास-बहुओं में खट-पट होने लगी और हाथी के दांत बाहर निकल आए तो सभी ने पुरानी दूकान छोड़कर कुतुब खाना, किला, बांस मंडी तथा बड़ा बाजार आदि स्थानों पर हाशिम-आर, हाशिम-यस, हाशिम-आई तथा हाशिम-जे० के बोर्ड लगाकर अपनी-अपनी दूकानें जमा लीं। इस परिवार की देखा देखी दूर पास के कुछ प्रवीण लोगों ने भी बरेली की जनता को ठगने के लिए यहां पदार्पण किया तथा उन्होंने भी हाशिम का मुखौटा ओढ़कर 'हाशिम कम्पनी फार आई रिलीफ' 'हाशिम समाजवादी सुर्मा सेवा सोसाइटी' 'भारतीय हाशिम सुर्मा कम्पनी' तथा 'हाशिम सुर्मा सेवा संघ' आदि नामों से अपनी दूकाने खोल लीं।

इस उद्योग में लगे सभी धर्म-जाति के विक्रेता अपने खरीदार बढ़ाने के लिए शुरू से ही विभिन्न हथकन्डे अपनाते आ रहे हैं जो आज भी प्रचलित हैं। एक ओर तो ये लोग राष्ट्रीय महत्व के लोगों के नेत्र दान की घोषणा का घोष करते हुए आंख को अमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति बताते हैं। दूसरी ओर ये अपने हम-कौम खरीदारों को दूसरे कौम के सुर्मा विक्रेताओं से सुर्मा न खरीदने की यह कहकर चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने गर-कौम से सुर्मा खरीदा तो उनकी आंखें तो फूटेंगी ही, उनकी सपत्ति छीनकर उन्हें बरेली से बाहर भी भगा दिया जाएगा। बरेली में जन्मा सुर्मा विक्रेता क्रेताओं को यह समझाकर बाहरी हम-पेशों को उखाड़ना चाहता है कि उसके क्षेत्र की जनता को ठगने का अधिकार घुसपैठियों को कतई नहीं दिया जा सकता। वह क्षेत्र की जनता से अपना पंजा मजबूत करने की अपील करता है। उधर बाहरी विक्रेता भी दुनिया घूम चुका है। बरेलवी भाई डाल-डाल तो लखनवी भाई पात-पात। उसके पास भी बरेली की जनता को प्रभावित करने की बम्बास्टिक दलील है। उसका कहना है कि सुर्मा बेंचना किसी का पुश्तैनी अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुर्मा बेंच सकता है। वह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का लबादा ओढ़कर क्षेत्रवादी विक्रेताओं को,

जो सुर्मा के नाम पर पिसा हुआ कोयला बेंचकर जनता से विश्वासघात करते हैं, को राष्ट्र तथा समाजविरोधी कहता है।

क्षेत्रीय एवं सार्वदेशिक गुटों के अतिरिक्त सुर्मा विक्रेताओं का व्यावसायिक दक्षता एवं तक्नीक से युक्त पृथक विचार धाराओं वालों का भी एक गुट है। इनमें से कुछ अपने को भाषा, धर्म तथा क्षेत्र की संकीर्णता से परे विश्ववाद का अनुयायी बताते हैं। अपने को सबका भाई तथा अपने देश को सभी का देश मानते हैं। जिन्हें बरेली की जनता घुसपैठिया समझाती है वे जनता को यह कहकर समझते हैं कि वे बरेली वालों के लिए गैर नहीं हैं क्योंकि उनके अब्बा-हुजूर यहीं पैदा हुए थे जिन्होंने २० वर्ष तक सुर्मा बेंचकर बरेली की जनता की सेवा की थी। इस प्रकार बरेली को कोई अपनी ननिहाल कोई ससुराल तो कोई पिता का घर बताकर जमना चाहता है। कोई उसे अपनी मां की रंगभूमि तो कोई पिता की कर्मभूमि या नाना-बाबा की पुण्य भूमि कह कर वहाँ की अपढ़-अंधी जनता का पैसा ऐंठना चाहता है। कुल मिलाकर सुर्मा बेंचने वालों की कम्पनी कोई भी हो 'दुश्मनें जाँ हैं सभी सारी की सारी कातिल' सभी आंख फोड़ने और जेब काटने वाली हैं। कोई नागनाथ तो कोई सांपनाथ।

यह तो रहा इनका दार्शनिक विवेचन अब हम सुर्मा मर्चेन्टस के व्यवसायिक लोक-जीवन को लेते हैं। ये कम्पनियां अपन विक्री बढ़ाने के लिए खरीदारों को पानी, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं तथा कोटा, परमिट, लाइसेंस एवं नौकरी दिलाने का झूठा प्रलोभन देती हैं, गरीबों दलितों एवं महिलाओं को मूल्य में विशेष छूट देने की घोषणा करती हैं। सुर्मा की विभिन्न निश्चित मात्राओं की खरीद पर खरीदारों को खद्दर की टोपी जवाहर कट या पजामा-कुर्ता का सूट देने की स्कीम चलाती हैं। बच्चों को लालीटाफ लेमनचूस महिलाओं को विशेष छाप की बिंदियां और फीते तथा बूढ़ों को धोती एवं कम्बल देने की योजनाएं चलाकर भी ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। नकद धनराशि तथा मैडल भी चलते हैं। ये लोग 'हाशिम की है यही दूकान-नक्कालों से सावधान' 'नाक पर न दांत पर, ध्यान दीजिए आंख पर' 'हर हाथ को काम हर खेत को पानी-देगी हाशिम की एक सुर्मा दानी' तथा 'सुर्मा लाओ-आँख बचाओ' जैसे लुभावने नारों के द्वारा भी ग्राहकों को खींचते हैं। ये लोग अपना लाभ अधिकतम करने के लिए मरीज को एक दीर्घकालीन पूर्ण कोर्स के सेवन की सलाह देते हैं। पूरा कोर्स लगाने के बाद भी कोयला छाप सुर्मे का अंधी आंखों को कोई लाभ दिखायी न देने पर ग्राहक जब इनसे शिकायत करता है तो उनका दो टूक जवाब होता है—'आप पिछले तीस वर्षों से ऐसी कम्पनी का सुर्मा लगाते रहे हैं जिसने आपकी आखें पट्ट कर दीं।

हमारे यहां तो आपको सिर्फ ढाई वर्ष हुए हैं। तीस वर्ष की खराब आंखों को हम ढाई वर्ष में कैसे ठीक कर सकते हैं। बेचारा निश्छल गरीब ३० साल से प्रकाश देने का ढोंग करने वाली पुरानी कम्पनी से शिकवा करता है तो वहां भी झिड़की मिलती है-'हमने पहले ही बताया था कि थोड़ा सब्र और करो। हमारी नहीं मानी और बिच्छू का मंत्र न जानने वालों से सर्प का विष उतरवाने चले गए। जो खुद अंधा है वह दूसरों को क्या ठीक करेगा। हम तीस वर्षों के अथक प्रयासों से आंखों को ज्यों ही प्रकाश देने वाले थे कि उन्होंने ढाई साल में चौपट कर दीं। खैर सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम फिर कोशिश करेंगे। पर अब भटकना मत।'

इतने हथकन्डे अपनाने के बाद भी जब काले धन्धो में लगी ये कम्पनियां फेल होने लगती हैं तो उनका अन्तिम रामबाण होता है– छमाही, सालाना नुस्खा-संशोधन का घोषणा पत्र जारी करना। घोषणापत्र में यह तर्क दिया जाता है कि जनता के हित और समय की मांग को देखते हुए 'फार्मूले' में से बेकार अनुपानों को निकाल कर उनके स्थान पर उपयोगी औषधियों को बढ़ाया गया है। ये लोग एक दूसरे के घोषणापत्रों को 'कोरा आदर्शवाद', 'समय के प्रतिकूल' 'मंहगाई एवं भ्रष्टाचार का जनक' :कालाबाजारी में सहायक 'अमीरों का मसीहा' तथा 'गरीबों का दुश्मन' आदि कहकर कम्पनी को ठग, मक्कार, धूर्त और डकैत आदि विशेषणों से समादरित करत रहते हैं। इस प्रकार उतार-चढ़ाव के थपेड़ों को खाता हुआ चला आ रहा है स्व० हाशिम के नाम पर जनता की आंख फोड़ने वालों का यह सुनियोजित षड़यन्त्र। देखना यह है कि जनता कब तक और सुर्मा के नाम पर अपनी जेब कटाती और आँखें फुड़वाती रहेगी।

–कलीनगर (पीलीभीत) उ०प्र०

शहाबुद्दीन 'आवाज-ए-मुसलमाँ' हो नहीं सकता

शहाबुद्दीन आवाज-ए-मुसलमाँ हो नहीं सकता
खुदी से है जो बावस्ता सुलेमाँ हो नहीं सकता।
जहन में नक्शे-पा जिसके दरिन्दों के बने, 'कंचन'
वो कुछ भी हो यकीनन नेक इन्साँ हो नहीं सकता।

–'कंचन', फर्रुखाबाद

कौन कैसे प्राप्त करता है-
सौ वर्ष की आयु?

▣ वैदेहीशरण शास्त्री

'जीवतु शरदो शतम्' यह मात्र उपनिषदों का उद्घोष ही नहीं, अपितु वैदिक परम्परा की मान्यता रही है कि प्रत्येक आर्य अपने जीवन में सौ वर्ष जीवित रहने की कामना करे। वैदिक मान्यता की व्यावहारिक बातें पुराणों और आयुर्वेदिक ग्रन्थों में भी विस्तार से मिलती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मनुष्य का आचरण यदि ठीक हो तो वह सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है क्योंकि आचरण के अन्तर्गत वे सब व्यावहारिक बातें आ जाती हैं जिनसे मानव का शरीर रोगों की प्रतिरोधी क्षमता से युक्त हो जाता है। भीष्म ने एक ही वाक्य में 'आचाराल्लभते आयु आचाराल्लभते श्रियम्' कह कर आचार के अन्तर्गत श्रियम् (कल्याण का सर्वसुगम मार्ग) और आयु सहित लोक में कीर्ति, प्रेत्य (परलोक में परम पद की प्राप्ति) तक की प्राप्ति होने की बात कही है। रोगों का संक्रमण एक शरीर से दूसरे शरीर में जठें भोजन और संसर्ग से होता है। अतः भोजन के समय विशेष ध्यान रखने की बातें बतायी गयी हैं, जो व्यक्ति भोजन के समय हाथ, मुँह धोकर और शुचि स्थान पर बैठता है, उसे कभी रोग ग्रसित नहीं करते। अतः उसकी आयु बढ़ जाती है—

'आर्द्रपादस्तु भुंजीत्
नार्द्रपादस्तु संविशेत्।
आर्द्रपादस्तु भुंजानो
वर्षाणां जीवते शतम्।

इस प्रकार शारीरिक, मानसिक परिशुद्धता से शतायु होने की बात भारतीय विचारों में मिलती है। आयुर्वेद ग्रन्थों में दीर्घ जीवन की कुंजी के रूप में कुछ सूत्र सुझाये गये हैं जिनका तात्पर्य आचरण की शुद्धता के साथ-साथ समय-समय पर किया जाने वाला आहार और सात्विकता ही सर्वोपरि बताई गई है। लेकिन विदेशों में अनेक लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने न तो अपने जीवन में कभी आचार का पालन किया और न सात्विक आहार ही अपनाया पर उन्होंने भी शतायु प्राप्त करके ही इस धरा से प्रयाण किया। गत वर्ष रूस में एक दीर्घायु से सम्बन्धित घटना का विवरण प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया है

कि वहाँ एक ऐसे दम्पित हैं जो एक सौ बीस वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। इन्होंने कोई विशेष आहार नहीं लिया था और न नियमित चर्या ही थी, इन्होंने जो दीर्घ जीवन के सूत्र सुझाये; उनसे यही आशय निकला कि अपने जीवन में उन्होंने कभी उदासी, हीन-भावना अथवा अप्रसन्नता का अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार की एक ११८ वर्षीय दम्पति का विवरण फ्रांस और चीन के समाचारों में भी छपा था। आज विश्व में ऐसे लगभग तीस हजार लोग हैं, जो शतायु के करीब हैं या लगभग पूरी कर चुके हैं। इनमें सबसे अधिक दीर्घजीवियों की संख्या जापान में है। इनमें से दस प्रतिशत लोग ही सात्विक आहार वाले (शाकाहारी) हैं। फ्रांस की एक संस्था जो दीर्घ जीवन और आहार से सम्बन्धित खोज में जुटी हुई हे उसने अपने अब तक के शोध निष्कर्ष का हवाला देते हुए कहा है कि मनुष्य शरीर में वार्धक्य और मृत्यु के लिये शारीरिक विकृतियां ही अधिक जिम्मेवार हैं जो समय-समय पर मनुष्य के शरीर में स्वत: ही उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही मन और चित्त की शांति भी आवश्यक है। मन और शरीर के अनुकूल परिस्थितियों में रहने पर मनुष्य की आयु बढ़ती है। इसके विपरीत मन और शरीर के रोगी हो जाने की दशा में आयु की हानि होती है। जापान के बौद्ध मठों में प्राय: सात्विक आहार पर जोर दिया जाता रहा। वहाँ शाकाहारी भोजन के साथ मन और शरीर पर प्रभाव डालने वाली बौद्ध प्रार्थना पर जोर दिया जाता रहा। इसका एक परिणाम वहीं के बौद्ध मठों में यह हुआ कि लोगों के मन में सात्विक आहार के प्रति लालसा बढ़ी और वे भोज के अवसरों पर या उत्सवों में शाकाहारी भोजन पर जोर देने लगे। कहा जाता है कि आज जापान में बौद्ध मठों के अतिरिक्त गृहस्थ जीवन में शाकाहारी भोजन लोकप्रिय होता जा रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार साठ प्रतिशत बौद्ध भिक्षुओं की आयु या तो सौ वर्ष के आस-पास है या पार कर चुके हैं। इस प्रकार जापान में सामिष भोजन की अपेक्षा शाकाहारी भोजन दीर्घायु का प्रतीक माना जा रहा है।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलफोर्निया के वैज्ञानिक डॉ० लियोनार्ड ने अपने एक दीर्घायु सम्बन्धी लेख में एजिंग-जीन या कोशिकाओं को महत्व प्रदान किया है। मनुष्य के शरीर में लगभग साठ खरब कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती हैं। लगभग पाँच अरब कोशिकाएँ प्रतिक्षण नष्ट होती हैं ओर उतनी ही नई बनकर मृत कोशिकाओं का स्थान ग्रहण कर लेती हैं, परन्तु इस प्रक्रिया में वनने वाली नयी कोशिकाएँ पहले की अपेक्षा कम शक्ति वाली होती जाती हैं। अत: वार्द्धक्य की वृद्धि होती जाती है और शरीर क्षीण

होता जाता है। सोवियत वैज्ञानिकों का एक समूह दीर्घ जीवन से सम्बन्धित खोज में जुटा हुआ है, इन वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर में कुछ रासायनिक तत्वों का अभाव वार्द्धक्य का कारण है और यह तत्व वनस्पतियों के रसायन द्वारा और मानसिक तनावों को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। इधर कुछ वर्ष पहले एक सोवियत वैज्ञानिक ने एक पौधे को भी खोज निकाला है जिसका नाम भी जिनसेंग रखा है। कहा जाता है कि यह कभी भारतीय संजीवनी के प्रतिरूप में वहाँ मान्य रहा है। पर आज इसका महत्व कुछ कम हो गया है क्योंकि यह पौधा संसार के सब भागों में नहीं मिलता और न इसे सब जगह लगाया ही जा सकता है, क्योंकि यह अत्यन्त नाजुक शरीर वाला पौधा होता है। इसकी जड़ दीर्घायु के लिये महत्वपूर्ण वस्तु है। यह पौधा कई वर्षों में तैयार होता है और इसकी जड़ आकार में वहुत छोटी होती है पर बड़ी होने पर इसकी जड़ से दस व्यक्तियों को दीर्घायु बनाया जा सकता है।

आयुर्वेद-ग्रन्थों में अनेक ऐसी जड़ी-बूटियों का उल्लेख मिलता है जिससे दीर्घायु बनाने का काम लिया जाता था। संजीवनी बूटी आज के लिये एक काल्पनिक बूटी भले ही रही हो, पर देखा जाय तो आज संजीवनी का रहस्य ही किसी को ज्ञात नहीं है। यह बूटी भारत के सब भागों में रामायण काल में भी नहीं पाई जाती थी। अन्यथा हनुमान को हिमालय की ओर नहीं जाना पड़ता। यह समय का प्रभाव ही माना जायेगा कि आज हमारे बीच से अनेक जड़ी-बूटियों का अभाव होता जा रहा है। आज के भारतीय बनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार आवश्यक और मानव जाति के लिये अमूल्य जड़ी-बूटियाँ कुछ वर्षों के बाद दुर्लभ हो जाएंगी।

दीर्घ जीवन और योग

यौगिक सिद्धियों में इच्छानुसार मृत्यु एक प्रकार की सिद्धि है। जब योगी अपनी साधना को अपूर्ण मानकर और अधिक जीना चाहता है और उसके लिये यौगिक प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु भी उसके वश में हो जाती है अर्थात जब वह चाहता है तब ही उसकी मृत्यु होती है। महाभारत काल में ऐसे अनेक पात्र हुए हैं, जिनकी मृत्यु उनकी इच्छा से हुई या वे मतान्तर से आज भी जीवित हैं। भीष्म, कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा आदि का नाम उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यही क्रम रामायण काल में तथा उसके पूर्वकाल में भी देखा जा सकता है। विभीषण, राजा बलि, व्यास और हनुमान के विषय में यह स्पष्ट धारणा है कि वे आज भी सूक्ष्म शरीर से हम लोगों के मध्य वास करते हैं। तिब्बत के लामाओं के बारे में कहा जाता है कि वे सिद्धि के वल पर आज भी हिमालय की गुफाओं में दीर्घ जीवन व्यतीत करते हैं। तिब्बत के लामा

मिलेरप के विषय में तिब्बतियों का विश्वास है कि वे तिब्बतवासियों की आज भी प्रच्छन्न रूप से सहायता करते हैं। दीर्घ जीवन और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ जीवन के लिये तिब्बती लामा आज भी मन्त्र, औषधि और योग की कुछ बातें जीवन में अपनाते हैं। तिब्बती योगियों का दीर्घ जीवन से सम्बन्धित यौगिक आधार भारतीय योग और साधना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं (कुमार सम्भव, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम् और मालविकाग्निमित्रम्) में देवता, गन्धर्व और किन्नरों के रूप में तिब्बतवासियों का ही प्रच्छन्न रूप से वर्णन किया है।

महामहोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज ने तांत्रिक साधना में यौगिक प्रक्रिया और उपासना द्वारा दीर्घ जीवन की बातें बतायीं हैं। उन्होंने कायासिद्धि से सम्बन्धित लेख में इस बात का प्रमाण सहित उल्लेख किया है कि मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति से कुछ साधना द्वारा दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। महामहोपाध्याय जी ने 'श्वेताश्वेतरोपनिषद' के–

'न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः।
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरं॥'

आधार पर देह सिद्धि की प्रक्रिया पर विचार करते हुए, बताया कि प्राणियों का शरीर भूत समूह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर निर्भर है, अतः भूत समूह के पांचों स्वरूपों के संयम द्वारा जय लाभ होने पर योगी को अणिमा आदि सिद्धि और काय सम्पत् की सिद्धि होती है। भूत जय होने पर योगी का एक और रूप लावण्य का विकास होता है और दूसरी ओर शरीर वज्र के समान दृढ़ हो जाता है। देह सिद्ध होने पर जरा व्याधि आदि विकारों से मुक्त होकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है (गोपीनाथ जी कविराज, देहसिद्धि)।

प्राचीन योगियों में मार्कण्डेय, कपिल, योगी याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त नाथपन्थी योगियों की एक अलग दीर्घजीवी परम्परा है, इसमें भर्तृहरि, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ के अतिरिक्त चर्पटी नाथ, जलंधार नाथ और चौरंगी योगी की दीर्घजीवी परम्परा है। वैसे कबीर, तुलसी और विद्यापति के विषय में भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में सौ वसन्त देखे। भारतीय योगियों के जीवन ओर आहार-विहार पर ध्यान दिया जाय तो पता चलता है कि इनका जीवन सात्विक आहार से युक्त तो था ही, मन और शरीर दोनों पावन रखकर साधना की दिशा में वे प्रयासरत थे। तिब्बत के लामाओं का जीवन भी पावन और सात्विक आहार से युक्त होता था। तांत्रिक परम्परा में इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। योग में जहाँ चित्तवृत्तियों के निरोध से सारी क्रियाएँ संचालित होती

हैं, वहीं तिब्बत में प्राकृतिक शुद्धता के साथ मन्त्र शक्ति द्वारा मन और शरीर को पावन बनाया जाता है। तिब्बत और भारत में काल की सीमा से मुक्त होकर चिर यौवन की प्राप्ति और दिव्य देह धारण करना मुख्य लक्ष्य रहा है। तांत्रिक बौद्ध मत के आचार्यगण भी रसात्मक बिन्दु को जीवन की सर्वोपरि वस्तु स्वीकार करते हैं, उनके विचार से जिस प्रकार बिन्दुतत्व के वहिर्गमन से शरीर का नाश और उर्ध्वीकरण से शरीर में दिव्य भाव की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार यदि यौगिक शक्ति से बिन्दु तत्व पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सके तो मनुष्य का शरीर अजर अमर हो सकता है।

मानव शरीर को अजर-अमर बनाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ प्राचीन और तांत्रिक ग्रन्थों में 'कालदहन तन्त्र' और 'मृत्युञ्जय तन्त्र' का नाम चर्चित है पर आज ये दोनों ही पुस्तकें दुर्लभ हैं। गोपी नाथ जी कविराज ने तांत्रिक साहित्य में इन पुस्तकों के अतिरिक्त दो तीन अन्य पुस्तकों का भी नामोल्लेख किया है जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में इस विषय पर विस्तृत अनुसंधान किया गया था। पौराणिक साहित्य में मृत्युंजय स्तोत्र तथा मृत्युञ्जय मन्त्र-जप और उससे दीर्घ जीवन की कामना के मूल रूप में यही तांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान थी। •

—शाहपुर, पो०—गीतावाटिका
गोरखपुर (उ० प्र०)

सावनी दोहे

■ ओम उपाध्याय

अमराई में कलरव से, होने लगा शोर।
नाच नाचकर मेघों को रिझाने लगे मोर।

क्षितिज जल की बूंदों से, लगने लगा करीब।
अब प्रकृति के भी, संवरने लगे नसीब।

सूरज निस्तेज होकर, छिप गया बादल ओट।
विरहिणी व्याकुल हुई, साजन दे गये चोट।

मुदित रमुआ का मनुआ, लेने लगा हिलोर।
खेतों में दिखने लगी, हरियाली हर ओर।

बहन-भावज खुश हैं, आ रहे हैं त्योहार।
बहुत दिन हुए मिलने को, भाई से इस बार।

—कस्तूरबा नगर, हबीबगंज, भोपाल

जीवन-रस छलके

अमरीकी कस्बे के एक बैंक में चार क्लर्क थे, पर अधिकांश समय तक वे ताश खेलते रहते थे। एक खातेदार ने बैंक के मुख्य कार्यालय को शिकायत लिख भेजी। वहां से एक इंस्पक्टर जांच के लिए आया। इंस्पेक्टर ने एक दिन चुपचाप बैंक में प्रवेश किया और देखा कि वाकई क्लर्क ताश खेल रहे हैं। उन्हें चौंकाने के लिए उसने 'फायर अलार्म' बजा दिया और कुछ सेकंड तक इन्तजार करने लगा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामने के होटल से एक वेटर ट्रे में काफी के चार मग लिये चला आ रहा है।

o o

अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने प्रश्न-पत्र कक्षा में वितरित किये। एक छात्र ने प्रश्न-पत्र पढ़ने के पश्चात कहा-'सर, प्रश्न पत्र में एक प्रश्न तो बिलकुल वही दिया गया है, जो पिछले सत्र में भी पूछा गया था।'

प्रोफेसर : 'ठीक है, प्रश्न वही है, लेकिन अब की बार मैने उसका उत्तर बदल दिया है।'

o •

संध्या समय एक होटल में जब पार्टी समाप्त हुई, तो एक आदमी ने बैरे को बुलाकर पूछा–'क्या बारिश अभी तक हो रही है ?'

बैरे ने जवाब दिया–'साहब, यह मेरी मेज नहीं है।'

o o

'आप को मेरा चैक मिल गया ?'
'जी दो बार।'
'दो बार ? कैसे ?'
'एक बार आप से, दूसरी बार बैंक से।'

o o

यात्री (होटल के क्लर्क से)–'जनाब, पत्र लिखने के पड और लिफाफे कहाँ हैं ?'

क्लर्क–'वह तो हम होटल के मेहमानों को देते हैं। क्या आप यहां ठहरे हुए मेहमान हैं ?'

यात्री–'जनाब, मैं मेहमान नहीं हूँ। मैं तीस रुपये रोज देता हूँ।'

–डॉ० गोपालप्रसाद 'वंशी'

कहानी

एक सपने की मौत

कुसुमाञ्जलि शर्मा

टी० एन० के बाबा ने कहा था, 'खोके ! नौकरी और छोकरी के चक्कर में न फँसना। इनमें अगर तू फँस गया तो फिर सारी जिंदगी नोन-तेल-लकड़ी ही तुझे नचायेगी।' टी० एन० के बाप की यह इकलौती चेतावनी; यह वर्जना साधारणतया असाधारण ही कही जायेगी। साधारण बात यह होती कि बाप बेटे को नसीहत देता कि– अच्छी तरह पढ़-लिखकर कोई ऊँचे ओहदे वाली नौकरी पकड़ ले, फिर शादी के बाजार में तेरी हाथों–हाथ ऊँची बोली लगेगी, खूब खातिर होगी।' ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाप ने नौकरी और छोकरी की बात को सिरे से ही काट दिया। टी० एन० बेचारा क्या करता। उसका छह फुट तीन इंच लम्बा काला आबनूसी रंग जैसा बाप विरोध सुनने का आदी नहीं था। वह अपनी जवानी के दिनों में प्रसिद्ध मुक्केबाज रहा था। उसने मुक्केबाजी के मैदान में असंख्य प्रतिद्वन्द्वियों को नॉक-आउट किया था। मैदान से बाहर भी उसने अपने प्रतिद्वन्द्वियों को पछाड़ा था। असम्भव शब्द उसके शब्दकोष में था नहीं। उसे बाहर-भीतर कहीं से भी विरोध की रत्ती भर आशंका नहीं थी। टी० एन० जिसका पूरा नाम तारक नाथ रे था, बाप से बहुत डरता था। उसके दोस्त उसके बाप को 'मैन माउंटेन' कहते थे। टी०एन० ऐसा कुछ नहीं कह सकता था, वह बेचारा 'मारा गया' की-सी स्थिति में अपने बाप के पास रहता था।

इस सबका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उसका बाप जल्लाद था। असल में उसने लड़कों के जन्म से पूर्व ही तय कर लिया था कि एक लड़के को विश्व-प्रसिद्ध तैराक बनायेगा। अपनी शारीरिक क्षमताओं तथा लगन के बावजूद वह विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज तो क्या प्रांत प्रसिद्ध भी नहीं हो पाया था। उसके पास लगन थी; जमीन–जायदाद नकदी सब था, लेकिन कोई संरक्षक नहीं था। कोई प्रेरणा देने वाला, राह दिखाने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में अपनी उपलब्धियों पर उसे गर्व था, किन्तु यह भी इच्छा प्रबल थी कि एक बेटा उसके सपनों को साकार करे, प्रसिद्धि की सभी

ऊँचाइयों को वह उसकी देख-रेख, संरक्षण तथा प्रेरणा से प्राप्त कर ले। सो उसने टी० एन० को, जो उसका दूसरा लड़का था, इसीलिये नौकरी और छोकरी से दूर रखने का निर्णय लिया। नौकरी और छोकरी अपने आप में बुरी नहीं हैं। वर्जनीय भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इनमें फंसकर आदमी फिर और किसी काम का नहीं रहता।

टी० एन० ने बिना बहस के बाप की बात मान ली। दूसरी बात जो बाप ने की वह यह थी कि स्थानीय 'बिलासपुर तरण-ताल' में बेटे का नाम लिखा दिया। नाम तो उसमें बहुत लोगों के बेटों के लिखे थे। वे तैरते भी थे। टी० एन० की बात दूसरी थी। उसका मैन-माउंटेन बाप उसे अपने सामने ही पानी में कम से कम आठ घण्टे डूबोये रखता था। नगर के प्रसिद्ध तैराकों को ऊंची पगार देकर वह बेटे को प्रसिद्ध तैराक बना रहा था। उसकी खुराक पर भी पूरा खर्च था। सबेरे एक दर्जन अण्डे, दो किलो दूध, एक दर्जन केले और भगवान जाने क्या-क्या खाकर वह बाहर निकलता था। यह उसका सबेरे दो घंटे तैरने के बाद का सिर्फ नाश्ता था। तैरना और खाना दो ही काम थे, जिन्हें वह करता था। उसकी भूख देखकर उसके दोस्त उसे पेटू कहते थे। वह भी मुस्कराकर इसे स्वीकार कर लेता था। उसका स्वभाव उसके शरीर से तथा शरीर उसकी खुराक से मेल नहीं खाता था। इतना अधिक भोजन कर लेने पर भी उसका शरीर पतला ही था। वह पाँच फुट नौ इंच लम्बा, दुबला-पतला लड़का था। उसके लगभग घुटमुड़े सिर और लाल आँखों का सम्बन्ध पानी से था। बाप ने बाल उसके इसलिए कटवा दिये थे कि बाल होंगे तो भीगे रहेंगे; और भीगने से बेटे का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पानी में इतने अधिक घण्टों तक रहने से उसकी आँखें लाल रहती थीं; क्लोरीन जो पानी में सफाई के लिये डाली जाती है, उसके कारण भी आँखें लाल तथा शरीर काला पड़ गया था। अगर रात में उसे कोई देखकर भूत समझ लेता; तो कुछ आश्चर्य नहीं।

तैरने में टी० एन० ने खूब नाम कमाया। अनुभवी प्रशिक्षकों ने समझ लिया कि बाप-बेटे ठीक ही आगे बढ़ रहे हैं। खर्च भी बाप दिल खोलकर कर रहा था। सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के तरण-तालों को देखकर उसने अपना सोर्स और रुपया लगाकर बिलासपुर तरणताल को आधुनिकतम रूप दिलवाया। अनेक तैराकी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाईं। देश के प्रसिद्ध तैराकों के साथ तथा विरुद्ध अपने बेटे को तराया। उम्र के हिसाब से यह आश्चर्यजनक था। वाटर पोलो जैसे खेल में वह जिस टीम के साथ खेलता था; वह अपनी जीत की दुन्दुभि बजाकर ही पानी से बाहर निकलती थी। वह पानी में मछली की तरह स्वाभाविक रूप से रहता, चलता-फिरता

'कॉमिक्स' का शौक उसे ले डूबा

था। लेकिन बाप सन्तुष्ट नहीं था। वह उसे प्रांत प्रसिद्ध या देश प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध बनाना चाहता था। फिर भी तसल्ली थी कि भावी विश्व प्रसिद्ध तैराक तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बाप बेटे में अच्छा तालमेल समझ और आत्मीयता थी। टी०एन० भले ही तैराकी के क्षेत्र में अपने मन से न घुसा हो; लेकिन एक बार तरण ताल में घुस कर बाप के आदेश से ही सही; उसने फिर कहीं और नहीं देखा। किसी तरह आठवीं पास करके उसने स्कूल छोड़ दिया। तैरने के कारण वह ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। असल में उसके

बाप को दोस्त बिल्कुल पसन्द नहीं थे। वे फालतू छोकरे उसे इसलिये भी छोड़ने पड़े क्योंकि वे उसके साथ उसी के प्रभाव से तरण ताल में मुफ्त की डुबकियाँ लगाना चाहते थे। तरण ताल एक नगर प्रसिद्ध संस्था का था; किन्तु सोर्स एवं रुपयों के बल पर टी० एन० के बाप का वर्चस्व था, और वह नहीं चाहता था कि नगर के निठल्ले लड़के उसके बेटे के कन्धों पर कन्धा रखकर उसी तरणताल में उतरें; जिसमें देश का भावी विश्व चैम्पियन अभ्यासरत हो। यह भी ठीक रहा कि बाप-बेटे ने आसानी से दोस्तों पर विजय पा ली।

इतने शौक और संगी छोड़कर भी टी० एन० खुश था। एक शौक तब भी उसके साथ था जो भीड़ या अकेले में उसे कभी बोर नहीं होने देता था। वह फुरसत के क्षणों में पेट के बल लेटकर तरह तरह के कामिक्स' और बच्चों की कहानियां पढ़ना खूब पसन्द करता था। उसकी पीठ पर एक प्लास्टिक का बैग रहता था, उसमें तैरने की पोशाक और एक दो कामिक्स हमेशा रहते थे। जब भी वह बैठता, जहाँ भी बैठता, कामिक्स निकालकर पढ़ने लगता। उसका बाप उसकी इस कमजोरी को जानता था; लेकिन विरोध नहीं करता था क्योंकि 'कामिक्स' आखिर 'कामिक्स' है। उनसे क्या खतरा। निठल्ले फालतू दोस्तों की भाँति ये वाचाल नहीं हैं।

यही भूल उसे भारी पड़ी। उसे क्या पता था कि यही कामिक्स उसे नॉक आउट कर दगे। कभी-कभी क्या, अक्सर ऐसा होता है कि आदमी वहीं धोखा खाता है; वहीं से छला जाता है जहाँ उसको कोई आशंका नहीं होती। यही टी० एन० के साथ हुआ, यही टी० एन० के बाप के साथ हुआ।

टी० एन० कामिक्स पढ़ने का भयंकर शौकीन हो चुका था। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिये वह निरन्तर प्रयत्नशील था। उसके एकमात्र दोस्त ने बंगाली पारा अर्थात उसी के मोहल्ले में पान की दूकान खोल ली। उसी दूकान में एक आलमारी में उसने कई कामिक्स, सत्यकथा अंक, फिल्मी पत्रिकाएं इत्यादि रख लीं; किराये पर चलाने के लिये। उसकी दुकान टी० एन० के घर के सामने थी; अतः घर-बाहर में विशेष अन्तर नहीं था। टी० एन० उसी दुकान का पक्का ग्राहक बन गया। पक्का ग्राहक और दुकानदार का दोस्त होने के नाते वह उसके घर में भी आने-जाने लगा। वहाँ उसे एक नया चस्का लग गया। नया चस्का था रंगीन टी० वी०; जो दोस्त ने हाल ही में लगवाया था अपनी बहन के आग्रह पर। यह नया चस्का कामिक्स वाले शौक पर भी हावी हो गया। अब वह दोस्त के कमरे में तखत पर अधलेटा कामिक्स पढ़ते हुए टी०वी० का आनन्द भी लेने लगा। उसके बाप को उसके नये शौक का भी पता जल्दी लग गया। उसने इसका विशेष विरोध नहीं किया। बेजानदार कामिक्स की ही

भाँति टी० वी० भी कोई ऐसा प्रबल शत्रु नहीं लगा जो उसके बेटे को पानी से बहुत देर तक दूर रख सके। लेकिन इस बार उसके साथ भाग्य ने बड़ा व्यंग्य किया। टी० एन० जिसको नौकरी और छोकरी से दूर रहने का आदेश उसका बाप निरन्तर देता आया था; अन्त में पहले छोकरी और फिर छोकरी के कारण नौकरी के चक्कर में ऐसा फँसा कि पुनः पानी में डुबकियाँ लगा ही नहीं सका।

हराया जा सकता था। वह भी जुट गई उसे बार-बार हराने में।

तैरना फिर भी चल रहा था। उसमें व्यवधान बाप के कारण पड़ नहीं सकता था। हाँ, एक नई बात यह हुई कि अब जब बाप किसी भी कारणवश शहर से बाहर गया होता था, तो टी० एन० पीठ पर अपना बैग लटकाये सीधा इला के घर आ जाता था। ये नई बात उसके बाप को जल्दी पता नहीं लग सकी।

घर से बाहर किसी से भी अपने हृदय के हाहाकार का वर्णन नहीं कर सकता था। सब लोग उसे ही दोष दे रहे थे। उसी की क्रूरता और मूर्खता का वर्णन रस लेकर कर रहे थे। वे सब अपनी जीत पर खुश थे। आखिर लड़के को एक विश्व चैम्पियन बनाने का स्वप्न उसी ने देखा था, सो निराश और हताश उसे ही होना था। उसको ईश्वर की कृपा से बहुत दिन ऐसी स्थिति में नहीं रहना पड़ा।

हुआ यह कि टी० एन० टी० वी० देखते-देखते पता नहीं कब दोस्त की बहन इला को देखने लगा। प्रारम्भ में बहस और साधारण सी नोंक-झोंक हुई; जिसमें इला जीतती रही। वह पढ़ी-लिखी भी टी० एन० से ज्यादा थी। टी० एन० ने जिन्दगी के उन्नीस-बीस साल पानी में डुबोये थे। कामिक्स पढ़ने से मनोरंजन अवश्य हुआ था, किन्तु ज्ञानवर्धन की आशा न उसे थी; न हुई थी। इस प्रकार इला को एक ऐसा विरोधी मिल गया था, जो आसानी से

बिलासपुर में तैराकी की खुली प्रतियोगिताएँ हो रही थीं। हमेशा की भाँति इस बार भी यह आशा थी कि टी० एन० तरणताल की गहराइयों में से अनेक पदक अपने तथा अपनी टीम के लिये लायेगा। उसका बाप खूब खुश था। भोपाल में बंगाल के प्रसिद्ध तैराक आये थे। बेटा भी खुश था।

नियत तिथि पर प्रतियोगिताएँ हुयीं। इन प्रतियोगिताओं के कारण टी० एन० अपने दोस्त के घर नहीं जा सका और इला से भी नहीं मिल सका। प्रति-

योगिताओं में भाग तो उसने बढ़-चढ़कर लिया, किन्तु इस बार वह हारा भी बढ़-चढ़ कर। भावी विश्व चैम्पियन की बड़ी किरकिरी हुई। उसने उस किर-किरी को भी मुस्कराकर झेल लिया स्पोर्टिंग-स्पिरिट की आड़ में। लेकिन उसका बाप बेटे की इस स्पोर्टिंग-स्पिरिट का कायल नहीं था। अतः उसने अपने बेटे को घर ले जाकर जरा फुर्सत से समझाया। इस समझाने में उसका पुराना दमखम खूब काम आया। टी० एन० के चेहरे पर बाप ने फ्री-स्टाइल मुक्के बर-साये और एक ही प्रश्न पूछा—'तू हार कैसे गया ?'

वह कहाँ जानता था कि हार कैसे गया ? अतः उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर दिया पड़ोस के लड़के और लड़कियों ने। उन्होंने टी. एन. की कर-तूतों का कच्चा-चिट्ठा उसके बाप के सामने सड़क पर खोल दिया। बाप सब समझ गया। सड़क पर सह भी गया। किन्तु घर आने पर ही उसने बेटे को नंगे पाँव घर से बाहर निकाल दिया। रुपये-पैसे के नाम पर एक धेला नहीं दिया। टी. एन. एक पतलून और शर्ट पहने नंगे-सिर, नंगे-पैर सड़क पर खड़ा था। मारे डर के माफी भी नहीं माँग सकता था। दोस्तों ने समझाया—'जा पैर पकड़कर माफी माँग ले, रो-रोकर आँख लाल कर ले, बूढ़ा जरूर पिघल जायेगा।' परन्तु न उसने माफी माँगी, न बूढ़ा पिघला। हारकर दोस्तों ने ही शरण दी। लेकिन टी. एन. को पालन और हाथी पालना बराबर था। वह खाता इतना ज्यादा था कि दो-एक दिन में ही दोस्तों की माँ-बहनें उसे भयानक खब्बू कहकर पीछा छुड़ाती थीं। खर्च भी कौन उठाता ? सिवा तैरने के वह और कुछ जानता नहीं था। ऐसे लड़के को कौन रखे ? दो-एक बार टी. एन. की माँ से जो सम्भव हो सका चोरी-छुपे आर्थिक मदद की। किन्तु वह भी अन्त में पति के प्रचण्ड कोप के कारण बन्द कर देनी पड़ी। अब टी. एन. था और खुली सड़क थी। ऐसी स्थिति में वह मारे शर्म के इला के घर भी नहीं गया। किन्तु इला ने हिम्मत करके उसे घर बुलवाया। वह आया, झेंपता सा। वहीं घर में उस दिन भरपेट भोजन किया। इला ने टेंगन मछली, अण्डाकरी, चावल और पता नहीं क्या-क्या खिलाया। वह जब खा-पीकर बैठा तो उसने पूछा—'ऐसे कब तक कहाँ-कहाँ भटकोगे ?' टी. एन. की आँखों में आँसू आ गये। अभी तक उसे पता ही नहीं चला था कि मछली चावल की जुगाड़ इतनी मुश्किल से होती है। उसने तो भरे पेट भी खाना खाया था। अब भूख में भी भोजन मिलना असम्भव सा लगने लगा। इला ने ही सुझाया—'कोई नौकरी कर लो।'

'कहाँ मिलेगी नौकरी ?' वह थर्ड डिवीजन में आठवीं पास था। ऐसे लड़के को कौन देगा नौकरी ? दोस्तों ने नौकरी की तलाश की। अन्त में एक प्राइवेट

'सी पत बस सर्विस' में उसे नौकरी मिली कण्डक्टर की। मालिक ने सोचा खेल चैंम्पियन है; इसका दबदबा रहेगा। दोस्तों ने सोचा–'पेटू है खाता–पीता रहेगा।' लेकिन जल्दी ही दोनों निराश हो गये। मालिक उसके सीधे-सादे, झेंपू अहिंसक स्वभाव से समझ गया कि वह उसकी लाइन का आदमी नहीं है। दोस्त भी निराश हुए; क्योंकि उनका पेटू दोस्त बहुत दिनों तक खाता-पीता नहीं रह सका। वह फिर इला के घर आ गया।

इधर निराश बाप उसकी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखे था। वह सोचता था, हिसाब लगाता था कि भूख का मारा उसका बेटा अन्ततः भरपेट भोजन के लालच में उसी की शरण में आयेगा। ऐसा सम्भव हो सकता था, किन्तु हुआ नहीं, कारण था भय। टी. एन. बाप के डर के कारण माँ से भी अलग हो गया। माँ बेचारी बाप-बेटे के इस शीत युद्ध में बड़ी जल्दी बलि चढ़ गई। वह जल्दी ही बुखार और सदमे के कारण चल बसी। बाप-बेटे तब भी रूठे रहे। बाप के डर के कारण ही टी. एन. माँ की अन्तिम यात्रा में सम्मिलित भी नहीं हो सका। बाप ने उसे निर्मोही और लड़की का गुलाम कहकर छुट्टी पाई। दोनों ओर वास्तव में क्या गुजर रही थी, यह कोई नहीं जानता था। वे भी नहीं जानते थे।

अन्त में पता नहीं किसकी सलाह पर और कब टी. एन. बिलासपुर से भाग गया। यहाँ वह भूख और चिन्ता से बेहाल था। ऊपर से माँ की मौत ने उसे तोड़ दिया। बड़े भाई ने ऐसी विषम परिस्थिति में उससे ऐसा पीछा छुड़ाया मानो उसे छूत की बीमारी हो गई हो। वह बाप का गुस्सा और छोटे भाई का दुःखद परिणाम देखकर, बिना समझाये ही सब समझ गया था। अतः वह साव-धानीवश ही ऐसा तटस्थ हो गया था।

टी. एन. बिलासपुर से बंगाल गया। वहाँ उसे बड़ी मुश्किल से एक कोयला खान में मजदूरी मिल गई। इसके बाद शाम को किसी तरणताल में वह रुपयों की खातिर लड़कों को तैरना भी सिखाने लगा। उसका पेट किसी तरह भरने लगा। इला को वह अटपटी हिन्दी में पत्र भी डालने लगा।

किन्तु टी. एन. के मुक्केबाज बाप को नियति का यह मुक्का सहन नहीं हुआ। उसने बड़े धीरज से रुपया खर्च करके चुपचाप बेटे के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। उसकी समझ में आ गया कि उसका बेटा विश्व चैम्पियन तो क्या, राष्ट्र चैम्पियन भी नहीं बन सकता। अब वह क्या करे। वह घर या घर से बाहर किसी से भी अपने हृदय के हाहाकार का वर्णन नहीं कर सकता था। सब लोग उसे ही दोष दे रहे थे। उसी की क्रूरता और मूर्खता का वर्णन रस ले लेकर कर रहे थे। वे सब अपनी जीत पर खुश थे। आखिर लड़के को

जाति-भेद गये भूल

हरा भरा सावन मिले बगिया खिलते फूल
राखी के त्योहार में जाति भेद गये भूल

सावन द्वारे पर खड़ा राखी को ललचाय
बरखा राखी बाँधिये देहौं नेग चुकाय

हाथ हुमॉयू का बढ़ा कर्मवती का प्यार
रक्षा-बंधन से बंधा एक भाई का प्यार

यादों के झूले पड़े मन में उठता प्यार
कोयलिया कुहकुह करे बरखा लाई बहार

मृदुल वीरन भेजियो पाती लिख लिख हाल
पवनी को हेरत बहिन खड़ी किरतुआ ताल

—महेन्द्र 'मृदुल', जालौन

एक विश्व चैम्पियन बनाने का स्वप्न उसी ने देखा था, सो निराश और हताश उसे ही होना था। उसको ईश्वर की कृपा से बहुत दिन ऐसी स्थिति में नहीं रहना पड़ा। टी॰ एन॰ के बिलासपुर छोड़ने के लगभग दो महीने बाद वह अचानक चल बसा। डाक्टरों ने मृत्यु का कारण बताया 'हार्टफेल'। किन्तु असल में उसकी मौत का कारण था एक अकेले सपने की ऐसी दर्दनाक असफलता।

टी. एन. बाप की अन्तिम क्रिया के बाद बिलासपुर लौट आया, बुझा-बुझा और दबा-दबा। वह घर भी गया। वहाँ भाई ने उसे दुनियादारी की बातें समझायीं। बाप की वसीयत सुनवायी। जिसके अनुसार उसे ठीक उतना ही मिला था, जितना बिना लड़े-झगड़े भी मिल जाता अर्थात पचास प्रतिशत। भाई ने उसकी शादी इला से करवा दी। सबकी दृष्टि में यहाँ तक कि पत्नी की दृष्टि में वह सफल हुआ था। किन्तु जिस असफलता का वह मूक निरीह गवाह था, वह उसे सदा दुख देती रही। अन्त में उसने निश्चय किया कि वह अपने बाप के स्वप्न को अपने बेटे से पूरा करेगा। इस बार वह कोई रोक नहीं लगायेगा। नौकरी, छोकरी, दोस्त और दुनियादारी सब सहेगा।०

—प्रवक्ता अंग्रेजी
राजकीय बालिका इण्टर कालेज
उरई—२५८००१

मुस्लिम-कानून के भभकते चिराग

वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी

भाग–६ : वक्फ

संसार की सभी विधि प्रणालियों में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति को लगाने का प्राविधान है। समाज के रूप में रहने के लिए कुछ सम्पत्ति को पुण्यार्थ अथवा धर्मार्थ सभी के हित में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसे 'न्यास' कहते हैं। पुण्यार्थ अर्थात विद्यालय, चिकित्सालय, धर्मशाला, सदाव्रत आदि। और धर्मार्थ, अर्थात मठ, मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिद आदि। इस प्रकार की सम्पत्ति, जो न्यास में लगी हो वंध जाती है। उसका उपयोग साधारणतया उसी प्रयोजन के लिए हो सकता है। विधि में सम्पत्ति की संक्रमणता एक बहुत वड़ा गुण है। लोक-नीति की यहीं माँग है कि सम्पत्ति एक स्थान पर अटककर न रह जाये। उसका सदा आदान-प्रदान जारी रहे। इससे सम्पत्ति के स्वामित्व का चलन होता रहता है। तथापि साधारणतया समाज-हित में हस्तान्तरण प्रतिबन्धित किया जा सकता है, जैसा सभी सार्वजनिक न्यास में होता है। पर मुस्लिम-विधि में 'न्यास' अर्थात 'वक्फ' की दुनिया कुछ निराली है।

'वक्फ' का शाब्दिक अर्थ 'रोक' अथवा 'प्रतिबन्ध' है। कहते हैं कि ओमर ने एक भूखण्ड अर्जित किया और उसके पुण्यशाली उपयोग के बारे में राय जाननी चाही। पैगंबर ने कहा-'सम्पत्ति (असल) को बाँध दो और लाभांश को कल्याणकारी (खैरात) कार्यों में लगा दो। न यह बेची जाय, न दान (हिबा) अथवा उत्तराधिकार (विरासत) की वस्तु बने। इसका उत्पादन ईश्वर (खुदा) के नाम से अपनी सन्तान, रक्त-सम्बन्धियों और गरीबों को दे दो।' 'सम्पत्ति को बाँध दो और आय दो' की यह परम्परा ही मुस्लिम-विधि में न्यास की जननी है। इसके पहले अरब में वक्फ का प्रचलन नहीं था और न कुरान में वक्फ सम्बन्धी नियमों का स्पष्ट उल्लेख ही है। उक्त उद्धरण से 'वक्फ' का अर्थ होता है, वह सम्पत्ति, जिसका हस्तांतरण न हो और जो खैराती अथवा धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाय।

सुन्नी-विधि के प्रणेता (अबू हनीफा) के अनुसार, 'वक्फ किसी सम्पत्ति को न्यासकर्ता (वाकिफ) के स्वामित्व में रोक रखना व लाभांश को खैरात में अथवा दूसरे नेक प्रयोजन में लगाना है।' इस परिभाषा से न्यासकर्ता का स्वामित्व

बना रहता है, केवल उसका हस्तांतरण अथवा मनचाहे ढंग से उपयोग समाप्त हो जाता है। इस परिभाषा के अनुसार स्वामित्व ईश्वर में निहित नहीं होता; वह वक्फकर्ता (वाकिफ) में ही विद्यमान रहता है। परन्तु उनके शिष्यों के अनुसार इसका स्वामित्व ईश्वर में निहित होने के कारण ही उसका हस्तान्तरण मानवीय शक्ति के परे होता है। शिया-विधि के अनुसार वक्फ की गई सम्पत्ति का स्वामित्व उसके हिताधिकारियों में निहित है जिनके लिये उसका सृजन हुआ हो। 'मुतवल्ली' वक्फ का अधीक्षक या प्रबन्धक मात्र है। वक्फ की सम्पत्ति उसके कब्जे में रहती है। पर उसे सम्पत्ति में न कोई अधिकार है, न सम्पत्ति उसमें निहित होती है, जैसे न्यासी में। इसलिये मुतवल्ली विधिक दृष्टि में न्यासी (ट्रस्टी) नहीं है।

भगवान और समाज को धोखा

वक्फ दो प्रकार के हो सकते हैं-- सार्वजनिक एवं पारिवारिक या निजी। जन साधारण अथवा सामान्य जनता के हित में सामाजिक प्रयोजन के लिये किया गया वक्फ सार्वजनिक है। सामान्यतया पुण्य या धर्म-कार्य के लिये न्यास की सृष्टि होती है। इस प्रकार के न्यास संसार की सभी विधि-प्रणालियों में पाये जाते हैं। पर पैगम्बर के वाक्य के अनुसार कि 'अल्लाह की राह में वक्फ की गई सम्पत्ति की आय को अपने बच्चों, अपने नजदीकी रिश्तेदारों और गरीबों पर लगाओ', ने एक दूसरे प्रकार के वक्फ को जन्म दिया। पैगम्बर का कथन था 'अपने परिवार को भेंट देना, कि वह अभावग्रस्त न होने पाये, भिखारियों को भिक्षा देने से अधिक पुण्य का कार्य है। सबसे बड़ा 'सदका' वह है जो कोई व्यक्ति अपने परिवार को देता है।' इसे 'वक्फ-अल्ल-औलाद' कहते हैं। यह वक्फ अपने और अपनी आने वाली सन्तान या सम्बन्धियों के भरण-पोषण के लिये भी हो सकता है। उसकी वैधता के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह पर्याप्त है कि इन सबके न रहने पर (शायद वह दिन कभी न आये) सम्पत्ति की आय जनसाधारण या गरीबों के लिये खर्च होगी। यह 'पारिवारिक वक्फ' सम्पूर्ण सम्पत्ति को केवल एक परिवार के भरण-पोषण के लिये सदा के लिये बाँधना है। यह शायद भगवान को और समाज को धोखा देना है। इस तरह का न्यास संसार की किसी अन्य विधिप्रणाली में मान्य नहीं है।

'परोपकार' का सामान्य अर्थ दूसरे का उपकार करना है। पर मुस्लिम-विधि की धारणा इसके विपरीत है कि स्वजनों का भरण-पोषण (सुन्नी विधि में अपना भी) सबसे बड़ा परोपकार है। (शिया-विधि में केवल वक्फकर्ता वक्फ से कोई लाभांश प्राप्त नहीं कर सकता, न हिताधिकारी हो सकता है, जो दिया है उसमें उसका अंश नहीं हो सकता।) यह पारिवारिक वक्फ परिवार के सभी

बंशजों के समाप्त होने पर ही (जो संदिग्ध है) सार्वजनिक वक्फ में परिवर्तित हो सकता है।

विधि में 'न्यास' की अभिधारणाओं के विपरीत होने के कारण न्यायालयों ने पारिवारिक वक्फ को अवैध माना। प्रिवी काउंसिल के अनेक निर्णय इस विषय में हैं। उदाहरणार्थ पत्नी, पुत्री व पुत्री के वंशजों के लिये एक वक्फ में आय को किसी अन्य परोपकारी कार्य या धर्म-कार्य में लगाने का उल्लेख न था, न वंशजों के न रहने पर अन्ततोगत्वा परोपकार में लगाने की व्यवस्था। प्रिवी काउन्सिल ने ऐसे पारिवारिक वक्फ को, जिसमें परिवार के लोगों के न्सिल ने कहा कि पारिवारिक वक्फ तभ वैध हो सकता है जब आय का पर्याप्त अंश धार्मिक और परोपकारी कार्यों में लगाया जाय। और अन्त में [अब्दुल फता मुहम्मद बनाम रसमयधर चौधरी आई० एल० आर० २२ कलकत्ता ६१६ पी० सी० में] निर्धारित किया कि इस प्रकार के वक्फ की वैधता के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि वंशजों के न रहने के बाद कुल आय जनता के परोपकारी कार्य में लगाई जायेगी। अनिश्चितता और अप्रत्यक्ष होने के कारण जनता को मिलने वाला यह लाभ एक धोखा है। सार्वजनिक कार्यों में व्यय वंशजों के ऊपर किये गये व्यय के साथ-साथ और

वक्फ से वाकिफ नहीं हैं वे

साथ अन्य व्यक्ति हिताधिकारी न हो, शून्य माना। [देखें अब्दुल गफूर बनाम निजामुद्दीन आई० एल० आर० १२ बम्बई १—पी० सी०]। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के लिये केवल एक नगण्य भाग सुरक्षित रखना अथवा परिवार के ही मुतवल्ली [प्रबन्धक] जो चाहें उसके लिये दें, कहकर केवल नाममात्र को ही परोपकार की औपचारिकता को पूरी करने से भी पारिवारिक वक्फ वैध नहीं हो जाता। [देखें, अहसान-उल्ला बनाम अमरचन्द कुण्डू आई० एल० आर० १७ कलकत्ता ४६८ पी० सी०]। प्रिवी काउ- समवर्ती होना चाहिये। दूर, संदिग्ध अथवा कभी भी न आने वाले भविष्य में नहीं।

तब 'मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम १६१३' आया। इस प्रकार एक प्रतिगामी कदम उठाकर मुस्लिम विधि को संसार की अन्य विधि प्रणालियों के समकक्ष लाने के स्थान पर उसे और भी पीछे धकेलने का प्रयत्न हुआ। बिना परोपकार के लिये पर्याप्त आय अथवा उसके लिये व्यय की साथ-साथ व्यवस्था हुए बगैर ही सारे पारिवारिक वक्फ वैध करार दिये गये। केवल आ-

त्यक्ष दृष्टि से ही सही, अन्तिम रूप में (चाहे वह इस समय अचिन्तनीय ही क्यों न हो) धार्मिक और परोपकारी कार्य में लगने का विचार मात्र पारिवारिक वक्फ की वैधता के लिये पर्याप्त है। यदि वक्फनामा इस अन्तिम उद्देश्य के लिये मौन हो तो भी 'वक्फ' शब्द के प्रयोग मात्र से इसकी परिकल्पना की जाती है।

यह कैसी परोपकार के लिये अथवा समाज के लिये लगाई गई सम्पत्ति ह; जिसका हम व हमारे वंशज ही सदा के लिये उपभोग करते रहेंगे ? तब तक, जब तक हमारे वंशज जीवित हैं। यह कैसा ईश्वर का स्वामित्व ? जिसके कारण यह सम्पत्ति निरुद्ध हो गयी और इसका हस्तान्तरण नहीं हो सकता। पारिवारिक वक्फ में सम्पत्ति सदैव केवल कुछ लोगों के भरण-पोषण के लिये बंध जाती है। यह भी व्यंग्य है कि उसका उपयोग अन्य कार्यों में और, सार्वजनिक हित में नहीं हो सकता। यह स्थिति समाज के लिये घातक है। केन्या में आज भी प्रिवी काउन्सिल के द्वारा निर्धारित वक्फ की वैधता के मानदण्ड लागू होते हैं। (देखो फातमा बिन मुहम्मद बनाम मोहम्मद बिन सलीम १९५२ ए० सी०)। प्रिवी काउन्सिल ने अपने इस निर्णय में अपनी पुरानी व्यवस्था को दुहराया और अभि-निर्धारित किया कि जब तक कोई अन्य कानून नहीं बनता, जैसा भारत में हुआ, पुराने निर्णय ही विधिक मान्यता को सही रूप में दर्शाते हैं।

मृत हाथ

मुस्लिम संसार में इस प्रकार संपत्ति वक्फ में निरुद्ध होने के कैसे दुष्परिणाम हुए ? उससे उबरने के लिये कैसे उपाय करने पड़े ? इन दुष्परिणामों की चर्चा फैजी ने अपनी पुस्तक 'मुस्लिम विधि की रूपरेखा' में की है। उनका कहना है कि वक्फ रूपी 'मृत हाथ' ने कैसी संपदा अर्जित कर ली थी और कैसे आर्थिक विनाश का यह कारण बना, यह 'मृत हाथ' नामकरण से समझा जा सकता है। सन १९२५ में तुर्की में तीन चौथाई कृषि योग्य भूमि वक्फ थी। उन्नीसवीं शती के अन्त से अलजीरिया में आधी कृषि भूमि वक्फ थी। इसी प्रकार ट्यूनिस में १/३ व मिस्र में १/८ कृषि भूमि ईश्वर के स्वामित्व में थी। पर बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही 'मृत हाथ' द्वारा फैलायी गयी विध्वंस लीला पहले फ्रांस फिर तुर्की व मिस्र में समझ में आ गयी। वक्फ के कारण किस प्रकार स्वाभाविक विकास में अड़चनें आयीं और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था डगमगाने लगी। फ्रांसीसी सरकार ने अलजीयर्स व मोरक्को में हेबूसों को नियन्त्रण में लिया और सब जगह नियन्त्रण कड़ा कर दिया। सन १९२४ में तुर्की ने वक्फ मन्त्रालय ही समाप्त कर दिया। मिस्र में कृषि-भूमि के वक्फ जब्त कर लिये गये और १९२४ में वक्फ मन्त्रालय संसद के अधीन हो गया। सन १९५२ में कुछ प्रकार के

वक्फ समाप्त कर दिये गये। रूस में राज्य क्रांति के बाद सभी वक्फ राज्य की सम्पत्ति हो गये।

वक्फ से अपकर्ष

फैजी ने राष्ट्र जीवन में वक्फ द्वारा लाये गये अपकर्ष की चर्चा की है। जब पिता द्वारा अपने वंशजों के लिए वक्फ होता है, जिसकी आय उन्हें मिलती रहेगी, तो वे अपनी शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं और उनके जीवन में उन्नति करने की प्रेरणा शनैः-शनैः घट जाती है। इस प्रकार खरात उन्हें उद्यम से दूर रखती है और वे आलस्य व अधोपतन के शिकार बनते हैं। इससे बढ़कर जो लोग इस प्रकार से वक्फ में सम्पत्ति लगाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं, वे कई बार गलत तरीकों से, कभी-कभी शोषण और उत्पीड़न से सम्पत्ति प्राप्त करते हैं। कृषि भूमि की पैदावार कम होने लगती है; किसी को उसे अच्छी हालत में रखने में दिलचस्पी नहीं होती। और तब भूमि स्थाई पट्टे पर उठा दी जाती है। फैजी लिखते हैं—'भारत में वक्फ का कुप्रबन्ध, मुतवल्लियों का भ्रष्टाचार आदि की कहानियाँ न्यायालयों में आई हैं। इन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वक्फ रूपी संस्था मुस्लिम समाज को शापयुक्त वरदान है।' 'धीरे-धीरे इस प्रकार की वक्फ जायदाद बंटती जाती है और प्रत्येक का हिस्सा कम हो जाता है। उसका बड़ा भाग झूठी मुकदमेबाजी में चला जाता है। अब लोगों का ध्यान इस तरह सदैव के लिये जायदाद को बांटने के हानिकर परिणामों की ओर जा रहा है।'

दोनों प्रकार के अर्थात सार्वजनिक व पारिवारिक वक्फ का प्रशासनिक व वित्तीय मामलों में नियमन करने का प्रयास 'मुसलमान वक्फ अधिनियम १६२३' व उसके बाद 'वक्फ अधिनियम १६५४' द्वारा हुआ है। और कई प्रदेशों में भी इस प्रकार के अधिनियम बने हैं। उत्तर प्रदेश में 'उ. प्र. मुस्लिम वक्फ अधिनियम १६३६' था जिसके स्थान पर अब उसी नाम का '१६६० का अधिनियम' लागू किया गया है। अब 'वक्फ अधिनियम १६५४' में १६८४ में संशोधन कर उत्तर प्रदेश में इस 'केन्द्रीय अधिनियम' को लागू करने की व्यवस्था की गई है। पर आज तक इस संशोधन को लागू नहीं किया गया। इस संशोधन के लागू होने पर उत्तर प्रदेश में भी केन्द्रीय 'वक्फ अधिनियम १६५४' लागू हो जायेगा।

इन सब अधिनियमों में वक्फ को पंजीकृत करने की व्यवस्था है। 'केन्द्रीय वक्फ बोर्ड' (सुन्नी व शिया) दोनों को अपने-अपने सम्प्रदाय के वक्फ पर नियमन के कुछ अधिकार दिये गये हैं। मुतवल्ली को हिसाब-किताब रखने के लिये आदेश देने का अधिकार बोर्ड को है और यदि वक्फ में कोई स्थान रिक्त हो तो उसे भरने का भी उसे अधिकार है। सबसे प्रमुख व्यवस्था वक्फ की सम्पत्ति के संरक्षण की है। यदि मुतवल्ली (प्रब-

न्धक) कोई सम्पत्ति बिना 'केन्द्रीय वक्फ बोर्ड' की अनुमति के बेच देता है अथवा उस पर अतिक्रमण हो गया है तो 'केंद्रीय वक्फ बोर्ड' जिलाधीश से उस पर आधि-पत्य की अधियाचना कर सकता है। कलेक्टर, उस पर बेदखली का और केन्द्रीय वक्फ बोर्ड को कब्जा करने का आदेश देगा। इस आदेश की जिला न्या-याधीश के यहाँ अपील हो सकती है।

वक्फ मुस्लिम-विधि द्वारा मान्य धार्मिक कार्यों के लिए प्रतिफल रहित सम्पत्ति का स्थाई समर्पण है। 'समर्पण' वक्फ की प्रथम विधिक अनिवार्यता है। इसी को हिन्दू-विधि में 'उत्सर्ग' कहा गया है। इसके कारण सम्पत्ति वक्फ-कर्ता के स्वामित्व से निकल जाती है। पहले स्थावर सम्पत्ति ही वक्फ की जा सकती थी। पर बाद में चल-अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति वक्फ की जाने लगी। वक्फ की निर्बन्ध घोषणा ही उसका सृजन है। उसके लिये कब्जा देना अथवा मुत-वल्ली (प्रबन्धक) की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। पर कोई सशर्त अथवा समा-श्रित समर्पण की दशा में अथवा वक्फ के सृजन के बाद उसका क़ायम रहना, यदि किसी शर्त अथवा किसी घटना पर आधारित है, तो वह वक्फ प्रारम्भ से ही शून्य और अवैध है।

वक्फ में स्वामित्व का समर्पण होने के कारण वक्फकर्ता को सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी होना चाहिये। इस प्रकार पट्टे-दार अथवा भोग-बन्धकदार अपने अधि-कार का वक्फ नहीं कर सकता। संपत्ति के अविभाजित भाग को यदि वह विभा-जन योग्य हो तो, वक्फ के लिये समर्पित किया जा सकता है। पर मुस्लिम-विधि में सार्वजनिक कब्रिस्तान के लिये अथवा मस्जिद बनाने के लिये अविभाजित भाग (मुशा) का वक्फ नहीं हो सकता।

विधि में सम्पत्ति अन्तरण का एक सिद्धांत 'शाश्वतता के विरुद्ध नियम' कहलाता है। इसके अनुसार ऐसा हित स्पष्ट नहीं हो सकता, जो किन्हीं व्य-क्तियों के वंशजों के पास सदा रहे। पर यह सिद्धांत न्यास के लिये लागू नहीं होता। इसी प्रकार वक्फ में स्थाई सम-र्पण होने के कारण शाश्वतता उसका एक गुण है। वक्फ बनने पर वह अपरिवर्त-नीय भी है। वक्फ सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जा सकता और 'शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत' उस पर लागू नहीं होता।

एक विचित्र बात है कि गैर मुसल-मान भी उन उद्देश्यों के लिये वक्फ बना सकता है जो वक्फकर्ता के धर्म व इस्लाम सिद्धांतों के प्रतिकूल न हो। इसीलिये एक गैर मुसलमान भी वक्फ सम्पत्ति में हितग्राही हो सकता है। वैसे अनेक मुस्लिम परिवार हिन्दू मन्दिरों की आय में भाग लेते हैं। उनके हिन्दू पूर्वजों के अधिकार उनको भी मिल रहे हैं।

कब्रिस्तान के लिए वक्फ

दो प्रकार के मुस्लिम वक्फ की

विशेष चर्चा है। प्रथम उल्लेख्य है कब्रिस्तान के लिए वक्फ। जबरदस्ती किसी दूसरे की भूमि में शव को दफनाया नहीं जा सकता। पर सदियों से यह होता आया है, और ऐसे अनेक वाद न्यायालयों के समक्ष आये हैं जिनमें दूसरे की अथवा जमींदार की खाली भूमि में मुर्दा दफनाया गया। यदि दफनाते समय आपत्ति नहीं की गयी, तो कहीं-कहीं उतनी जगह जहाँ कब्र हैं, को विधि में वक्फ मान लिया गया है। पर उनको हटाने के भी आदेश न्यायालय ने दिये हैं। वाराणसी में शिया कब्रिस्तान में दो सुन्नी कब्रों को हटाने का उच्चतम न्यायालय का हाल का प्रसिद्ध निर्णय है। शिया और सुन्नियों के कब्रिस्तान अलग-अलग हैं व मुसलमानों के अन्य सम्प्रदायों के भी कब्रिस्तान अलग होते हैं। वैसे किसी कुटुम्ब का निजी कब्रिस्तान भी हो सकता है।

समस्या

पर कब्रिस्तान व उसका रख-रखाव बहुत बड़ी समस्या है। मुसलमानों के धर्मशास्त्र में कयामत के दिन सभी अपने कब्रों से उठेंगे और अल्लाह के समक्ष पेश होंगे, जहाँ उनका लेखा-जोखा देखा जायेगा। ईश्वरीय दूत मुहम्मद के अनुयाई उनके कारण स्वर्ग (जन्नत) प्राप्त करेंगे। ऐसी मान्यता के कारण शव का रख-रखाव आवश्यक है। इसी लिये कब्र व कब्रिस्तान का बड़ा महत्व है। वैसे इससे मिलती-जुलती यमराज व चित्रगुप्त की कहानी हिन्दुओं में प्रचलित है। पर वह तो आत्मा की अनश्वरता व कर्मवाद से जुड़ा आख्यान है।

योरोप में भी साधारणतया शव को दफनाते थे। पर यवन (ग्रीक) इतिहास में पाइथागोरस (पीठगुरु) संप्रदाय था। ये ज्ञान-विज्ञान के प्रणेता थे। वे पुनर्जन्म को मानते थे व शवदाह करते थे। ईसाई मत में शवदाह साधारणतया न होता रहा हो, फिर भी कभी वर्जित न था। उत्तराधिकारी अथवा मृतक के सम्बन्धी निजी स्थान पर शवदाह कर सकते थे। आज इंग्लैंड व योरोप के अनेक देशों में शवदाहगृह बनाये गये हैं। शवदाह के पूर्व अथवा बाद में पादरी आकर अन्तिम प्रार्थना करते हैं। भस्म कलश में निश्चित स्थान पर अथवा गिरजाघर में रखी जाती है।

योरोप में भी इन बढ़ते कब्रिस्तानों की समस्या रही है। इंग्लैंड में जब किसी कब्रिस्तान में स्थान न रहे और एक ही कब्र में कई शव गाड़ने की भी गुंजायश न रहे, तो वह कब्रिस्तान बन्द किये जाने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसे अप्रचलित कब्रिस्तान बन्द होने के ५० वर्ष बाद उसे नगर के खुले पार्क अथवा भवन बनाने की योजना में लिया जा सकता है। पर मुस्लिम-विधि में उसे कयामत के दिन तक रखा जाना आवश्यक है। किसी भी स्थान पर शव दफना देने का फल आज हम सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों में; रेलवे स्टेशनों में और निजी बंगलों में कहीं भी बनी कब्रों

में देख सकते हैं।

ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हिन्दू के लिये शव को गाड़ना निषिद्ध है। कुछ सम्प्रदाय अथवा स्थानों में हिन्दुओं के शवों को भी गाड़ते हैं। उदाहरणार्थ कुर्ग में। जहाँ भारत के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा का शव दफनाया गया था। संन्यासियों में जल–समाधि प्रचलित है, अर्थात शव को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। संन्यास लेते समय सांसारिक जीवन में उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसा मानते हैं। इसलिये पुन: दाह-संस्कार व क्रिया-कर्म नहीं किया जा सकता। यदि सागर या नदी न हो जहाँ शव प्रवाहित किया जा सके तो संन्यासी के शव को गाड़ते भी हैं। महर्षि अरविन्द का शव दफनाया गया है। हिन्दू के लिये शव तो मिट्टी है; उसका राख बनना ही अच्छा, आत्मा अमर है और वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस पुनर्जन्म की धारणा के कारण समाधि का महत्व नहीं है। भस्म को नदी, जलाशय अथवा सागर में प्रवाहित कर देते हैं। कभी-कभी जहाँ इसकी सुविधा न हो वहाँ भस्म को अथवा अस्थियों को गाड़कर उसके ऊपर समाधि बना देते हैं।

हिन्दू धर्मशास्त्र में प्रेत-पूजा वर्जित है। इसलिए हिन्दुओं में भस्म या अस्थियों का अथवा समाधि का पूजन नहीं होता। जहाँ आश्रम में अधिष्ठाता की समाधि हो, वहाँ बैठकर चिन्तन तो हो सकता है, पर पूजन मना है। समाधि को ऐसे स्थान पर उस महान आत्मा का प्रतीक मान लेते हैं। पूजा केवल जीवित जाग्रत देवता की ही हो सकती है या उस मूर्ति की जिसकी प्राण-प्रतिष्ठा हो गयी हो।

'दरगाह' शब्द का अर्थ पारसी भाषा में 'प्रवेश द्वार' है। यह किसी दरवेश (मुसलमान सन्त) की कब्र के लिये आदरसूचक शब्द हैं। सम्भवतया प्राचीन पारसी जीवन-दर्शन से प्रभावित सूफी सन्तों की कब्र के चारों ओर मेले जुड़ने लगे। ऐसा मेला प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर में बारहों मास लगता है। यह मकबरा सूफी सन्त चिश्ती का है। इसमें मुसलमान व हिन्दू दर्शनार्थियों द्वारा जो चढ़ावा आता है वह वहाँ के खादिमों की सम्पत्ति है। आश्चर्य यही है

कि बन्देमातरम् गीत को भी मूर्ति पूजा (बुतपरस्ती) मानकर आपत्ति करने वालों को यह कब्र की पूजा नहीं दिखती।

मुहम्मद साहब स्वयं किसी आलीशान मकबरा बनाने के विरुद्ध थे। पर भारत में इस प्रकार के मकबरे बनाने की रीति चल निकली। भवनों को भी मकबरे में बदला गया है।

मस्जिद और वक्फ

वक्फ का दूसरा बड़ा सम्भाग 'मस्जिद' का है। मुस्लिम–विधि में मस्जिद सार्वजनिक ही हो सकती है। वसे निजी अथवा कौटुम्बिक मस्जिद को

भी कभी-कभी न्यायालयों ने मान्यता दी है। पर विधि की दृष्टि से किसी स्थान पर अथवा घर में नमाज पढ़ लेने से या बराबर पढ़ने से वह स्थान मस्जिद नहीं बन जाता। अन्यथा सरकारी कार्यालयों के स्थान पर, जहाँ शुक्रवार की सामूहिक नमाज पढ़ी जाये, भी मस्जिद हो जायेगी। यह दूसरी बात है कि राजा अथवा शक्तिशाली लोग अपने परिवार के लिए एक आराधना (इबादत) का स्थान सुरक्षित कर लें। मुसलमानों में भी भिन्न सम्प्रदाय के लोगों की बनवायी अलग मस्जिदें हो सकती हैं, पर उनमें हर मुसलमान को चाहे वह दूसरे सम्प्रदाय का हो, नमाज पढ़ने का अधिकार है।

मस्जिद-नियम

सभी मस्जिदें सार्वजनिक प्रार्थना-स्थल होने के कारण उनमें मुअज्जिन [अजान देने वाला] अनिवार्य है, जो दिन में पाँच ब. अजान (प्रार्थना के लिये पुकार अथवा बुलावा) देता है। अजान (आह्वान) मस्जिद की मीनार पर चढ़कर ऊँचे स्थान से दी जाती है, जिससे वह मकान की छतों के ऊपर गूँजे। इसलिये हिजरी (मुहम्मद के मक्का से मदीने भाग जाने) से ५० वर्ष बाद से कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं बनी जिसमें मीनार न हों। यह मीनारें इमारत के कन्धों पर बनायी जाती हैं।

दूसरी बात मस्जिद मार्ग के स्वामित्व में किसी की साझेदारी नहीं हो सकती, जिससे कोई उसमें रुकावट न डाल सके। उसे सदा-सर्वदा उन्मुक्त रहना चाहिए। इसी प्रकार मस्जिद का द्वार भी उन्मुक्त होना चाहिये, जिससे कोई मुसलमान दिन-रात के किसी भी समय (पाँच समय की सामूहिक नमाज के अतिरिक्त) मस्जिद में जाकर जब चाहे आराधना कर सके। इसी प्रकार विवादित अथवा किसी दूसरे की जमीन में मस्जिद नहीं बनायी जा सकती। भगवान (खुदा) ऐसे स्थान पर आराधना स्वीकार नहीं करता। अविभाजित हिस्सा भी मस्जिद के लिए दान नहीं दिया जा सकता। मस्जिद की पीठ काबा की ओर होनी चाहिए। अर्थात भारत में पश्चिम की ओर। नमाज काबा की ओर मुँह करके पढ़ी जाती है। हर मस्जिद में बजू (उल्टी ओर हाथ धोना) के लिए पानी का स्थान होता है। और इमाम के उपदेश के लिए पीठिका।

मुस्लिम विधि-शास्त्रियों का दावा था कि एक बार वक्फ होने पर सदा के लिए वक्फ रहता है। ऐसा एक लाहौर के गुरुद्वारा शहीदगंज का प्रसिद्ध मुकदमा है। (कृपया देखें ए० आई० आर० १९४० पी० सी० ११६, व ए० आई० आर० १९३८ लाहौर ३६९[पूर्णपीठ]) इसमें प्रिवी काउन्सिल ने अन्तिम रूप से यह विनिश्चित किया कि मुस्लिम–विधि भारत में अधिनियमों के अधीन लागू विधि है। यहाँ के अन्य कानून, जिनमें 'परिसीमा अधिनियम' के अन्त-

र्गत कालावधि (जिसके अन्दर वाद दायर होना चाहिए) भी है; जो उसी प्रकार वक्फ पर लागू है, जैसे अन्य सम्पत्ति पर। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के नाम से कोई वाद नहीं लाया जा सकता, जैसे हिन्दू-विधि में मठ अथवा किन्हीं प्राण-प्रतिष्ठित देवता के नाम से, जिन्हें विधिक व्यक्तित्व आरोपित है। इस निर्णय के अनुसार मस्जिद में अपने नमाज के पढ़ने के अधिकार की घोषणा के लिए कोई मुसलमान वाद ला सकता है (और मस्जिद में यही उसका अधिकार है)। यदि यह अधिकार कालावधि के अन्दर प्रयोग हुआ हो। यदि अवधि के परे इस अधिकार के प्रयोग से वह प्रतिकूल आधिपत्य द्वारा वंचित कर दिया गया हो, तो यह अधिकार भी वक्फ के साथ-साथ समाप्त हो जाता है।

मन्दिर बनाम मस्जिद

आज अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि इमारत की बड़ी चर्चा है। कहते हैं विक्रमादित्य द्वारा कसौटी पत्थरों से निर्मित उस भव्य मन्दिर को तोड़कर बाबर के शासनकाल में उसी मलवे से मस्जिद में परिणा करने का प्रयत्न हुआ। आज भी मन्दिर के स्तम्भों के ऊपर अंकित कलाकृतियाँ कुछ जगह दीवाल से झाँक रही हैं। इस इमारत के पश्चिम में एक बहुत बड़ा खड्ड है और इमारत के पूर्व में छोटे से सहन को तीन ओर आवेष्टित करता प्रांगण है। इस बाहरी प्रांगण में उत्तर की ओर सीता-रसोई, चरण और अन्य धार्मिक स्थानों के साथ मन्दिर का सिंहद्वार आज भी विद्यमान है। पूर्व की ओर भण्डार व 'रामचबूतरा' है जिसमें श्री रामललाजी की मूर्ति स्थापित है। दक्षिण पूर्व में वाराह अवतार की मूर्ति है, और पीपल-नीम के संयुक्त वृक्ष के नीचे हैं और देवता। इमारत के चारों ओर परिक्रमा के अवशिष्ट चिन्ह भी मिलते हैं। इस प्रकार हिन्दू स्थानों से घिरी यह इमारत व अन्दर के छोटे आंगन में जाने का एकमेव मार्ग हिन्दू मन्दिर के बीच में होकर है। थोड़ी दूरी पर है लोमश चौरा व सीता-कूप। ये सभी स्थान और रामललाजी की मूर्ति अकबर के समय से हैं। कहते हैं, औरंगजेब का उसे तोड़ने का प्रयत्न भी सफल नहीं हो सका।

उक्त वर्णन से २ है इसमें कभी मुसलमानों का अधिपत्य नहीं रहा होगा। इतिहास व परम्परा कहती है कि कोई तीन वर्ष का कालखण्ड नहीं गुजरा जब हिन्दुओं ने पुनः इस पर आधिपत्य न कर लिया हो। अंग्रेज शासनकाल के फैजाबाद गजेटियर में इसका निम्न वर्णन है- 'नगर के पवित्रतम स्थान का विनाश हिन्दू-मुसलमानों के बीच घोर कड़ुवाहट का कारण बना। कई अवसरों में भावनाओं की परिणति रक्तपात में हुई। सन १८५५ में खुला युद्ध हुआ। मुसलमानों ने बलपूर्वक जन्म-स्थान हथिया लिया और एक भीषण आक्रमण हनुमान

गढ़ी (जो निकट है) पर किया। वे उस मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ गये। परंतु बहुत से हताहत होने के साथ वे पीछे हटा दिये गये। तब हिन्दुओं ने प्रत्याक्रमण किया और जन्मस्थान ले लिया, जिसके फाटक पर ७५ मुसलमान दफना दिये गये। उस सामूहिक कब्र का नाम गंज-शहीदान हो गया। राजा की सेना वहाँ पर उपस्थित थी, पर उसको हस्तक्षेप न करने का आदेश था। (उस समय नवाब वाजिद अली शाह का राज्य था और सेना भी मुसलमान थी। आक्रमणकारी मुसलमान थे; इसलिए हस्तक्षेप नहीं हुआ।) इसके थोड़ी ही देर बात अमेठी के मौलवी अमीर अली ने एक वृहत सैन्य अभियान रचाया, पर उसकी सेना बाराबंकी जिले में रोक दी गयी।

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वास्तव में १८६५ के पहले व उसके बाद हिंदुओं का ही आधिपत्य इस इमारत पर था। कहा जाता है कि सन् १८५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य समर में हिन्दू–मुसलमानों में सुलह हो गयी कि यह स्थान हिन्दुओं के ही आधिपत्य में रहे। पर अंग्रेजों ने उसका क्रियान्वयन नहीं होने दिया। उन्होंने इमारत के पूरब में छोटा सा आँगन घेर कर चारों ओर के मन्दिर व पवित्र स्थानों से उसे अलग कर दिया। पर उस अन्दर के घेरे का मार्ग मन्दिर से होकर आज भी है। सन् १९३४ के दंगों में पुनः मुसलमानों ने इमारत को लेने का प्रयत्न किया। उस समय तीन मुसलमान खेत रहे। उसके बाद कभी किसी ने इसके अन्दर नमाज पढ़ने का दुष्प्रयत्न नहीं किया।

कैसे वक्फ हैं ये ?

इसी प्रकार का रक्त-रंजित इतिहास मथुरा में 'कृष्ण जन्मभूमि' व काशी विश्वनाथ मन्दिर' का है। कैसे वक्फ हैं ये, जो यहाँ के निवासियों के श्रद्धा केन्द्रों को नष्ट कर उसके मलवे से आततायी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बनाये गये थे। आज इन बर्बर विदेशी अत्याचारियों का नाम लेकर देश के मुसलमानों को, जो वस्तुतः हिन्दू की ही सन्तान हैं, भड़काया जा रहा है। आखिर यहाँ के मुसलमान जिनका शरीर इस देश की मिट्टी से बना है, यहाँ की जलवायु से जिनका पोषण हुआ, और हिन्दू जाति का रक्त जिनकी रगों में प्रवाहित है, को इन मंगोल विदेशियों से क्या लेना-देना है? देश की स्वतन्त्रता के साथ गुलामी के अवशिष्ट चिन्हों को दूर करने का संकल्प होना चाहिए था। परन्तु राष्ट्र के अपमान की ये इमारतें आज भी खड़ी हैं। आज मजहबी जुनून में यह समझना सम्भव नहीं कि यह भारत राष्ट्र का अपमान, यहाँ के प्रत्येक मुसलमान का अपमान है। और इस देश के श्रद्धा स्थान ढहा कर, मुसलमान की मस्जिद सम्बन्धी आधारभूत धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध उस पर जबरदस्ती बनायी गयी इमारत सच्चा वक्फ नहीं हो सकती।०

—वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्याय
२७, ताशकन्त म [illegible]

आलोक यादव

'यार, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो ?'

'हूँ ?' इससे पहले कि वह प्रश्न दोहराता दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर सामने डाकिया खड़ा था। उसने मुझे पत्र थमाया, और चलता बना। पत्र पिताजी का था, मैं वापस आकर उसे पढ़ने लगा। पत्र पढ़ने के बाद मैंने एक लम्बी उसाँस ली और फिर चुपचाप नंगी दीवारों की ओर ताकने लगा।

'किसका पत्र है ?' रामप्रताप ने प्रश्न किया।

'पिताजी का।'

'क्या लिखा है ? कोई खास बात ?'

मैंने बजाय उत्तर देने के चुपचाप पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने पत्र पढ़ा और रख दिया। फिर मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला—'तो क्या इरादा है ?'

'किस बारे में ?' मैंने प्रश्न तो कर दिया किन्तु मुझे बाद में लगा कि प्रश्न नितांत अवांछित था।

'लड़की देखने जाओगे या नहीं ?' उसने टटोला।

'क्या फायदा है यूँ लड़की देखते रहने से ? क्या देखने के बाद अकारण इन्कार कर देने से लड़की के मन को ठेस नहीं लगती होगी ?' मैंने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न करना ही बेहतर समझा।

'तो घर जाओगे कि नहीं ?' राम ने फिर पूछा।

घर तो जाना ही पड़ेगा। 'हाई-कमान' की आज्ञा तो माननी ही पड़गी।'

'लड़की वाले तो कल आ रहे हैं न ? तो तुम्हें आज ही जाना होगा ?' फिर उत्तर का इन्तजार किए बिना बोला, 'तो ठीक है तुम तैयारी कर लो और शाम की गाड़ी से चले जाना। मैं चलता हूँ...।' वह चल पड़ा। मैं दरवाजे तक उसे छोड़ने गया और वापस आकर फिर बैठ गया।

मैं जब इस शहर में पहली पोस्टिंग

'मैं दहेज के रूप में एक पैसा भी नहीं लेना चाहता .'

पर आया था तो नया शहर, नया माहौल, नये लोग, नयी दिनचर्या; परन्तु घर से दूर होने के एहसास से यदि किसी ने मुक्ति दिलाई तो वह था—राम प्रताप, मेरे दफ्तर का सहकर्मी। पिछले दो बर्षों में ही सम्बन्ध इतने प्रगाढ़ हो गए थे कि कभी-कभी तो लोग मुझे उसका सगा भाई मान लेते थे। अक्सर वह मेरे घर या मैं उसके घर पर सो जाया करते थे। उससे मुझे भाई का, उसकी माँ से माँ का और पत्नी से भाभी का प्यार मिला था। मेरी कोई बहिन नहीं है। उसकी बहिन के निश्छल, सरल, तथा उन्मुक्त स्नेह ने इस रिक्तता को भर दिया।

रोज दफ्तर से आने के बाद हम लोग साथ-साथ बैठते और दीन-दुनिया की बातें कर तरोताजा हो जाया करते थे। किन्तु आज तो आरम्भ ही कुछ गलत हुआ था। सुबह-सुबह दफ्तर के कर्मचारी की मृत्यु के कारण दफ्तर बन्द हो गया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह प्रारम्भ हुआ कि वातावरण बोझिल हो गया।

…अरे ! मैं किस सोच में पड़ गया। मुझे जाने की तैयारी करनी होगी। मैंने ट्रेन में आरक्षण हेतु अपने मित्र सहायक स्टेशन मास्टर शर्माजी को फोन कर कह दिया और फिर सामान तैयार किया।

अभी समय काफी था, सोचा कुछ फाइलें ही पलट लूँ। पहले छुट्टी की अर्जी लिखी, फिर फाइलों पर झुक गया।

अंधेरा ढल गया था। नौकर नरेश खाना बनाकर और मेज पर लगा कर चला गया था। मैंने खाना खाया और फिर कपड़े बदलने लगा। इतने में ड्राइवर आ गया था। मैंने छुट्टी की अर्जी उसको दी और उसने सूटकेस उठाकर कार में रख दिया। स्टेशन पहुँच कर शर्मा जी मे आरक्षण की रसीद और टिकट लेकर उन्हें धन्यवाद सहित पैसे थमाए और गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी चली तो हौले-हौले हिचकोलों में शीघ्र ही नींद आ गई। और गन्तव्य पहुँचने तक नींद नहीं टूटी।

कण्डक्टर ने आकर जगाया, 'सर ! आपका स्टेशन आ गया है।'

मैं उठा। सुबह के ६ बजे थे। सूटकेस उठाकर मैं कूपे से बाहर दरवाजे तक आया। गाड़ी प्लेटफार्म पर रेंग रही थी।

घर पहुँचकर मालूम हुआ कि मेरे भावी ससुर जी पहले से ही विराजमान हैं। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर मैं अपने कमरे में बैठा ही था कि रामचरन ने आकर कहा, 'भइया जी, साहब बुला रहे हैं। नाश्ता तैयार हो चुका है।'

मैं मेज पर पहुँचा तो पिताजी के साथ आगन्तुक और मेरे मामा जी जो यह रिश्ता लाए थे, बैठे हुए थे।

मैंने दोनों हाथ जोड़कर सबको सादर अभिवादन किया और बैठ गया। पहले मामा जी ने आगन्तुक महोदय से मेरा औपचारिक परिचय कराया।

'बेटा रोहित, ये हैं फतेहगढ़ के जमींदार कुँवर रणवीर सिंह पवानिया, जनपद के रईसों में आपकी गिनती है। आपकी बेटी दीपा बड़ी सुशील और सुन्दर लड़की है। इसी साल बी० ए० पास किया है उसने। कुँवर साहब अपनी बेटी का रिश्ता लाए हैं तुम्हारे लिए… मैंने तो दीपा बेटी को खुद कई बार देखा है…बहुत अच्छी लड़की है। फोटो देख लो। लड़की भी देख लेना…फोटो तुम्हारी माँ के पास है उन्हें तो बहुत पसन्द है अरे रामचरन।…' मामा जी ने फोटो मँगवाने के लिए नौकर को आवाज लगाई ही थी कि मैंने उन्हें रोक दिया।

'मामा जी ! मैं फोटो तो बाद में देख लूँगा, पहले आवश्यक बातें कर ली जाएँ।' कुँवर साहब, की ओर मुखातिब होते हुए मैंने अपना चिरपरिचित प्रश्न दागा, 'कुँवर साहब, दहेज के बारे में…'

'अरे बेटा ! तू इनसे दहेज की क्या बात करता है, ये तो इतना देंगे…इतना

देंगे कि तेरा घर भर जाएगा, हाँ !' मामाजी ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही टाँग अड़ा दी ।

मैंने कुछ कहना चाहा कि मेरी नजर पिताजी के चेहरे पर पड़ी वे मुझे खीझ भरी दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन मैंने उनकी परवाह न करते हुए कहा, 'मगर ठाकुर साहब, मैं दहेज के रूप में एक भी पैसा नहीं लेना चाहता ।'

कुँवर साहब का चेहरा जो अभी तक मामा की बातों से चमकने लगा था, आश्चर्य और किसी अबोध बालक जैसे भावों से रंग गया, 'क्या कह रहे हो बेटा ? क्या हम अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर दें ? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है समाज में ! लोग क्या कहेंगे ?'

'मगर क्या आप नहीं जानते कि दहेज कानूनन अपराध है ? यह समाज का कोढ़ है । दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी और सामाजिक अपराध हैं ।' मैंने दृढ़ स्वर में कहा ।

'दहेज तो वह है जो जबरदस्ती माँगा जाए और वही अपराध हो सकता है किन्तु स्वेच्छा से उपहार देना तो दहेज नहीं कहलाता…वह तो अपराध नहीं हो सकता ।' उन्होंने तर्क दिया ।

'रिश्वत को नजराना या उपहार का नाम देने से उसकी बुराई को कम नहीं किया जा सकता । स्वेच्छा से दिया गया दहेज, दहेज लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है । वस्तुतः आप जैसे लोग दोहरा अपराध करते हैं—एक तो दहेज देकर दहेज को बढ़ावा देते हैं और दूसरे योग्य लड़कियों (जिनको कि वे वर मिलना चाहिए जिन्हें आप जैसे लोग पैसे से खरीद लेते हैं,) को आप उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर देते हैं । बेचारी गरीब लड़की धनाभाव में अयोग्य वर के सिर मढ़ दी जाती हैं । यदि आप लोग स्वेच्छा से दहेज देना छोड़ दें और इसका खुले रूप से विरोध करें तो कोई वजह नहीं है कि यह अभिशाप समाज से जड़ सहित न उखड़ जाए, क्योंकि तब वर और उसके माँ-बाप के पास विवाह हेतु केवल वधू की योग्यता ही एकमात्र कसौटी रह जाएगी ।'

मैं बोले जा रहा था, शायद और बोलता तभी पिताजी नाश्ता समाप्त कर उठ खड़े हुए और बोले, 'कुंवर साहब, आप लोग बैठिए, अराम कीजिए, मुझे आवश्यक कार्य से अपने फार्म हाउस जाना है, शाम को लौटूँगा । फिर बात होगी ।'

'नहीं, नहीं ठाकुर साहब ! अब हम भी इजाजत चाहेंगे फिर कभी आऊँगा तो अवश्य रुकूँगा…।' वे भी उठ खड़े हुए ।

'वैसे मैं तो चाहता था कि आप रुकते…खैर, अब आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है फिर कभी आइयेगा… अच्छा मै चलूँ…आपकी गाड़ी तो अभी तीन घंटे बाद आएगी । रोहित आपको छोड़ आएगा…अच्छा नमस्ते…' पिताजी

ने औपचारिकता निभाई और चले गए। मैं जानता था कि पिताजी को वस्तुत; कोई आवश्यक कार्य नहीं है किन्तु वे खीझवश वहाँ से चले गए। यह कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी दो अवसर ऐसे ही आ चुके थे। किन्तु मैं पिताजी की नाराजगी के बावजूद अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सका था और मैं बदल भी नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं यह प्रयास अवश्य करता रहता हूँ कि मेरे पिताजी और अन्य लोग मेरे विचार स्वीकार कर सकें।

मामा जी और कुँवर साहब अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुके थे। मैं अपने कमरे में आ गया।

गाड़ी का समय शीघ्र ही हो गया तो वे चलने लगे मैंने स्टेशन तक साथ चलने का प्रस्ताव रखा तो वे धन्यवाद सहित इन्कार कर गए। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। चलते समय फिर बोले, 'बेटा रोहित, मेरी बातों का विचार करके देखना, आदमी को आज के जमाने में आदर्शवाद को सीमित रख कर व्यावहारिक होना चाहिए…।'

'देखिए कुँवर साहब, आपसे पूर्व भी कई लोग मुझे यह सलाह दे चुके हैं किन्तु मैं लाख विचारने के बाद भी अपना दृष्टिकोण बदल नहीं पाया हूँ। हाँ, आप यदि मेरे विचार अपना सकें तो मैं आपका स्वागत करूँगा।'

कुँवर साहब बिना कुछ बोले 'देखूँगा' का भाव मुख पर ओढ़े चले गए।

फिर कभी उनकी ओर से कोई बात नहीं चलाई गई। मैं जानता था कि उन्होंने जिस निम्न स्तरीय व्यवहारिकता का खोल ओढ़ा हुआ है, उस वर्षों पुराने खोल को यूँ ही झटके से उतारना उनके वश की बात नहीं है।०

—प्रयाग वि० वि०, प्रयाग

डाकियों के साक्षात्कार में एक उम्मीदवार से यह प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है ?

उम्मीदवार : साहब, यदि चिट्ठियां बांटने के लिए चंद्रमा तक जाना पड़ेगा तो यह नौकरी मुझे नहीं करनी।

० ०

एक बार तीन मित्र आपस में बातें कर रहे थे। इतने में एक ने कहा, 'मैं तो करोड़पति हूँ।' दूसरे ने कहा, 'मैं तो अरबपति हूँ।' तभी तीसरे ने झट से कहा' 'मैं तो अपनी बीबी का पति हूँ।'

—डॉ० 'वंशी'

राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड, लखनऊ के लिए मनसाराम गुप्त द्वाराप्रकाशित एवंकौशल प्रेस, लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक : वीरेश्वर द्विवेदी